छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) 492002
ई–मेल– hocecb@gmail.com

क्रमांक 8549 /मुख्या./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2019   नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, दिनांक31/12/2019

प्रति,

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
'परिवेश भवन', पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली–110032

विषय :– Effective Implemention of Guidelines issued by CPCB for idol-immersion-reg.

संदर्भ :– केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली का पत्र कमांक F.No.WQM-I/IIG-RSUT/2019-20/4307 दिनांक 22.07.2019.

----:oo:----

उपरोक्त विषयांतर्गत छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के परिपालन हेतु कलेक्टर्स, आयुक्त (नगर पालिक निगम), संचालक (नगरीय प्रशासन एवं विकास), मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) एवं क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग–भिलाई/कोरबा/जगदलपुर/रायगढ़/अंबिकापुर को सूचित किया गया एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। कार्यवाही हेतु मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1) नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पाण्ड/बण्ड का निर्माण एवं पूजन व सजावट सामग्री का उचित तरीके से अपवहन।
2) विसर्जन के उपरांत वेस्ट मटेरियल को एकत्र कर पुनः उपयोग व कम्पोस्टिंग करना।
3) वेस्ट मटेरियल को विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित किया जाना।
4) स्थानीय निकायों द्वारा विसर्जन स्थल की समयपूर्व व्यवस्था व उसकी जन साधारण को सूचना एवं मिट्टी और प्राकृतिक रंगो से बने छोटी मूर्तियों की स्थापना (5 फीट से अधिक नहीं)।
5) विसर्जन स्थल पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था।
6) मूर्तियां मिट्टी से ही बनाई जाए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले का उपयोग ना हो।

उपरोक्त बिन्दुओं का पालन करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी एवं मूर्ति विसर्जन के पूर्व, मूर्ति विसर्जन के दौरान व मूर्ति विसर्जन के पश्चात एकत्रित जल–नमूनों का विश्लेषण, फोटोग्राफ्स, परिणाम, स्थानीय समाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञप्ति/समाचार एवं निरीक्षण प्रतिवेदन कृपया संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

o/c

क.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संलग्नक
1.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कबीर नगर, व्यावसायिक परिसर, छ.ग. गृह निर्माण मंडल कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)	**संलग्नक–1 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)**
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)	**संलग्नक–2 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)**
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	**संलग्नक–3 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)**
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, तहसील ऑफिस के पास रामपुर, कोरबा, एच.आई.जी.–21 एवं 22 कोरबा (छ.ग.)	**संलग्नक–4 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)**
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, एच.आई.जी.5 एवं 6 अघनपुर हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, चित्रकोट रोड़, जगदलपुर (छ.ग.)	**संलग्नक–5 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)**
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, टी.वी. टॉवर रोड़, रायगढ़ (छ.ग.)	**संलग्नक–6 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)**
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, बैंक कॉलोनी बी.टी.आई के पीछे, वार्ड क्रमांक 6, नवापारा , अंबिकापुर (छ.ग.)	**संलग्नक–7 (गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव)**

संलग्नक - 1

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 2912/वैज्ञा/क्षेका/छ.प.सं.मं./2019 रायपुर दिनांक 23/10/2019

प्रति,

सदस्य सचिव,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– मूर्ति विसर्जन के दौरान खारून नदी जल नमूनों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयातंर्गत लेख है कि खारून नदी के नमूने मूर्ति विसर्जन के पहले, मूर्ति विसर्जन के दौरान एवं मूर्ति विसर्जन के बाद जल नमूनें एकत्रित किये गये थे। जल नमूनों का विवरण निम्नांकित अनुसार है :–

1. खारून नदी महादेवघाट (श्री गणेश मूर्ति विसर्जन के पहले) दिनांक 06.09.2019
2. खारून नदी महादेवघाट (श्री गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान) दिनांक 12.09.2019 एवं दिनांक 13.09.2019.
3. खारून नदी महादेवघाट (श्री गणेश मूर्ति विसर्जन के बाद) दिनांक 20.09.2019.
4. खारून नदी महादेवघाट (माँ दुर्गा मूर्ति विसर्जन के पहले) दिनांक 05.10.2019.
5. खारून नदी महादेवघाट (माँ दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान) दिनांक 08.10.2019.
6. खारून नदी महादेवघाट (माँ दुर्गा मूर्ति विसर्जन के बाद) दिनांक 11.10.2019.

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

11938
08/11/19

SSO

26 OCT 2019

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	Before Ganesh Idol Emersion
Date & Time of Sample Collection	:	06.09.19 (11:00AM)
Date of Sample Analysis	:	06.09.19
Sample Collected By	:	S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II), Y.K.Bhaskar (Lab. Attd.)
Sample Analysed by	:	S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II), Y.K.Bhaskar (Lab. Attd.)
Reference	:	As Per R.O. Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1	Temperature	°C	26.0
2	Apperance	--	Slight Turbid
3	Odour	--	Odorless
4	pH	pH Unit	7.45
5	Conductivity	µ Mhos/cm	282.0
6	Turbidity	NTU	52.0
7	Total Solids	Mg/Liter	246.0
8	Total Dissolved Solids	"	208.0
9	Suspended Solids	--	38.0
10	Dissolved Oxygen	"	7.2
11	C.O.D.	"	15.68
12	Total Alkalinity	"	114.0
13	Total Hardness (as $CaCO_3$)	"	104.0
14	Calcium Hardness(as $CaCO_3$)	"	72.0
15	Magnesium Hardness (as$CaCO_3$)	"	32.0
16	Chloride (as Cl)	"	30.0

Lab. Asst. Chemist Scientist Scientist Regional Officer

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	During Idol Immersion 1. Up Stream of Kharoon river approx 100 meters distance from Ganesh Idol Immersion (05:00 PM). 2. Down Stream of Kharoon river approx 100 meters distance from Ganesh Idol Immersion (05:30 PM).
Date & Time of Sample Collection	:	12.09.2019
Date of Sample Analysis	:	12.09.2019
Sample Collected By	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade –II)
Sample Analysed by	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade –II)
Reference	:	R.O. Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result - 1	Result - 2
1	Temperature	°C	25.5	25.5
2	Apperance	--	Slight Turbid	Slight Turbid
3	Odour	--	Odorless	Odourless
4	pH	pH Unit	7.71	7.65
5	Conductivity	µ Mhos/cm	286.0	288.0
6	Turbidity	NTU	38.0	42.0
7	Total Solids	Mg/Liter	248.0	254.0
8	Total Dissolved Solids	"	208.0	212.0
9	Suspended Solids	--	40.0	42.0
10	Dissolved Oxygen	"	7.1	6.9
11	C.O.D.	"	19.6	20.2
12	Total Alkalinity	"	118.0	122.0
13	Total Hardness (as $CaCO_3$)	"	108.0	112.0
14	Calcium Hardness(as $CaCO_3$)	"	74.0	78.0
15	Magnesium Hardness (as$CaCO_3$)	"	34.0	34.0
16	Chloride (as Cl)	"	32.0	34.0

Lab. Asst. Chemist Scientist Scientist Regional Officer

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	During Idol Immersion 1. Up Stream of Kharoon river approx 100 meters distance from Ganesh Idol Immersion (04:35 PM). 2. Down Stream of Kharoon river approx 100 meters distance from Ganesh Idol Immersion (05:00 PM).
Date & Time of Sample Collection	:	13.09.2019
Date of Sample Analysis	:	13.09.2019
Sample Collected By	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade –II)
Sample Analysed by	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade –II)
Reference	:	R.O. Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result - 1	Result - 2
1	Temperature	°C	26.0	26.0
2	Apperance	--	Turbid	Slight Turbid
3	Odour	--	Odorless	Odorless
4	pH	pH Unit	7.53	7.58
5	Conductivity	µ Mhos/cm	290.0	294.0
6	Turbidity	NTU	42.0	45.0
7	Total Solids	Mg/Liter	250.0	256.0
8	Total Dissolved Solids	"	205.0	208.0
9	Suspended Solids	--	45.0	48.0
10	Dissolved Oxygen	"	6.8	6.7
11	C.O.D.	"	21.4	22.6
12	Total Alkalinity	"	122.0	126.0
13	Total Hardness (as $CaCO_3$)	"	114.0	118.0
14	Calcium Hardness(as $CaCO_3$)	"	78.0	80.0
15	Magnesium Hardness (as$CaCO_3$)	"	36.0	38.0
16	Chloride (as Cl)	"	34.0	36.0

Lab. Asst. Chemist Scientist Scientist Regional Officer

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	River Water
Date & Time of Sample Collection	:	After Gansh Idol Immersion 20.09.2019 (10:45 AM)
Date of Sample Analysis	:	20.09.2019
Sample Collected By	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade –II)
Sample Analysed by	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade –II)
Reference	:	R.O. Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1	Temperature	°C	25.0
2	Apperance	--	Turbid
3	Odour	--	Odorless
4	pH	pH Unit	7.43
5	Conductivity	μ Mhos/cm	284.0
6	Turbidity	NTU	44.0
7	Total Solids	Mg/Liter	240.0
8	Total Dissolved Solids	"	198.0
9	Suspended Solids	--	42.0
10	Dissolved Oxygen	"	7.3
11	C.O.D.	"	15.68
12	Total Alkalinity	"	116.0
13	Total Hardness (as $CaCO_3$)	"	106.0
14	Calcium Hardness(as $CaCO_3$)	"	74.0
15	Magnesium Hardness (as$CaCO_3$)	"	32.0
16	Chloride (as Cl)	"	34.0

Lab. Asst. Chemist Scientist Scientist Regional Officer

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	River Water
Date & Time of Sample Collection	:	Before Durga Idol Immersion
Date of Sample Analysis	:	05.10.2019 (02:30 PM)
Sample Collected By	:	S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade –II)
Sample Analysed by	:	S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II), Sanjay Singh (Lab. Asst. Grade –II)
Reference	:	As Per Package

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1	Temperature	°C	26.5
2	Apperance	--	Slight Turbid
3	Odour	--	Odorless
4	pH	pH Unit	7.52
5	Conductivity	µ Mhos/cm	278.0
6	Turbidity	NTU	44.0
7	Total Solids	Mg/Liter	236.0
8	Total Dissolved Solids	"	196.0
9	Suspended Solids	--	40.0
10	Dissolved Oxygen	"	6.7
11	C.O.D.	"	17.2
12	Total Alkalinity	"	122.0
13	Total Hardness (as $CaCO_3$)	"	114.0
14	Calcium Hardness(as $CaCO_3$)	"	84.0
15	Magnesium Hardness (as$CaCO_3$)	"	34.0
16	Chloride (as Cl)	"	28.0

Lab. Asst. Chemist Scientist Scientist Regional Officer

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	During Idol Immersion 1. Up Stream of Kharoon river approx 100 meters distance from Durga Idol Immersion (03:10 PM). 2. Down Stream of Kharoon river approx 100 meters distance from Durga Idol Immersion (04:15 PM).
Date & Time of Sample Collection	:	08.10.2019
Date of Sample Analysis	:	08.10.2019
Sample Collected By	:	S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II), R.R.Tripathi (Lab. Attd.)
Sample Analysed by	:	S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II), R.R.Tripathi (Lab. Attd.)
Reference	:	R.O. Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result - 1	Result - 2
1	Temperature	°C	26.5	26.0
2	Apperance	--	Slight Turbid	Slight Turbid
3	Odour	--	Odorless	Odourless
4	pH	pH Unit	7.46	7.48
5	Conductivity	µ Mhos/cm	270.0	272.0
6	Turbidity	NTU	42.0	44.0
7	Total Solids	Mg/Liter	232.0	236.0
8	Total Dissolved Solids	"	190.0	192.0
9	Suspended Solids	--	42.0	44.0
10	Dissolved Oxygen	"	6.6	6.7
11	C.O.D.	"	17.6	18.2
12	Total Alkalinity	"	116.0	120.0
13	Total Hardness (as $CaCO_3$)	"	112.0	114.0
14	Calcium Hardness(as $CaCO_3$)	"	80.0	82.0
15	Magnesium Hardness (as$CaCO_3$)	"	32.0	32.0
16	Chloride (as Cl)	"	34.0	36.0

Lab. Asst.   Chemist   Scientist   Scientist   Regional Officer

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected From	:	Kharoon River at Mahadev Ghat, Raipur
Description of Sample	:	River Water
Date & Time of Sample Collection	:	After Durga Idol Immersion 11.10.2019 (04:45 PM)
Date of Sample Analysis	:	11.10.2019
Sample Collected By	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II)
Sample Analysed by	:	A.K.Bhagat (Chemist) S.K.Khanna (Lab. Asst. Grade –II)
Reference	:	R.O. Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1	Temperature	°C	26.0
2	Apperance	--	Slight Turbid
3	Odour	--	Odorless
4	pH	pH Unit	7.62
5	Conductivity	μ Mhos/cm	266.0
6	Turbidity	NTU	46.0
7	Total Solids	Mg/Liter	238.0
8	Total Dissolved Solids	"	202.0
9	Suspended Solids	--	36.0
10	Dissolved Oxygen	"	6.8
11	C.O.D.	"	15.68
12	Total Alkalinity	"	126.0
13	Total Hardness (as $CaCO_3$)	"	110.0
14	Calcium Hardness(as $CaCO_3$)	"	78.0
15	Magnesium Hardness (as$CaCO_3$)	"	32.0
16	Chloride (as Cl)	"	30.0

Lab. Asst. Chemist Scientist Scientist Regional Officer

स्मरण पत्र

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक /क्षेका/वैज्ञा/छ.प.सं.मं./2019 रायपुर दिनांक / /2019

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम रायपुर,
जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– मूर्ति विसर्जन के दौरान महादेवघाट स्थित मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ–सफाई व स्वच्छता के संबंध में।

संदर्भ :–
1. मंडल मुख्यालय का पत्र पृ.क्रमांक 3897 अटल नगर दिनांक 30.07.2019.
2. इस कार्यालय का पत्र कमांक 1879 रायपुर दिनांक 06.08.2019.
3. इस कार्यालय का पत्र कमांक 2124 रायपुर दिनांक 03.09.2019.
4. इस कार्यालय का पत्र कमांक 2144 रायपुर दिनांक 04.09.2019.
5. इस कार्यालय का पत्र कमांक 2302 रायपुर दिनांक 18.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत जैसा कि विदित ही है कि मूर्ति विसर्जन से संबंधित प्रकरण माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन है। भगवान् श्री गणेश के मूर्ति विसर्जन के दौरान महादेवघाट स्थित मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ–सफाई व स्वच्छता के संबंध में की गई कार्यवाही की अघतन स्थिति की जानकारी मय फोटोग्राफ के शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का अनुरोध है, ताकि जानकारी मंडल मुख्यालय प्रेषित की जा सके।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क. 2710/वैज्ञा/क्षेका/छ.प.सं.मं/2019 रायपुर दिनांक 10 OCT 2019

प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवां रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

22 OCT 2019

छत्तीसगढ़

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
व्यवसायिक परिसर, छ.ग. हॉउसिंग बोर्ड कालोनी, कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

H.O.C.G. Environment Conservation Board Atal Nagar, Distt. Raipur (C.G.)
10522
11/10/19

क्रमांक क्षेका / तक / छ.प.सं.मं / 2019 रायपुर दिनांक / / 2019

कार्यालय आदेश

मंडल मुख्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 5220, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.09.2019 के संबंध में निर्देशानुसार राजधानी क्षेत्र अर्थात रायपुर में **(2 से 3 स्थलों पर)** लगातार 15 दिन, **दिनांक 20.10.2019 से 03.11.2019** तक अर्थात दीपावली पर्व के पूर्व, दीपावली पर्व के दिन एवं पश्चात में PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2, NO_2 पैरामीटर्स के साथ परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्य एवं ध्वनि मापन / मॉनिटरिंग कार्य संपादित किये जाने हेतु निम्नानुसार दल का गठन किया जाता है :–

दल क्रमांक 01		दल क्रमांक 02	
1	श्री एम.एस. पांडेय, सहायक अभियंता	1	श्री पी. सोनकर, सहायक अभियंता
2	श्री के.सी. साहू, रसानज्ञ	2	श्री ए.के. भगत, रसानज्ञ
3	श्री एस.के. खन्ना, प्र0सहा0 ग्रेड–2	3	श्री संजय सिंह, प्र0सहा0 ग्रेड–2
4	श्री आर.आर. त्रिपाठी, प्र0परि0	4	श्री व्हाय.के. भास्कर, प्र0परि0

उपरोक्तानुसार गठित दलों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि प्रदूषण मापन कार्य किया जाकर विश्लेषण रिपोर्ट निर्धारित **प्रपत्र 1, 2, 3, 4 एवं 5** के अनुसार प्रतिवेदन तैयार कर **दिनांक 10.11.2019 तक** वैज्ञानिक (II) एवं (I) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

हस्ता0
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 2650 क्षेका / तक / छ.प.सं.मं / 2019 रायपुर दिनांक 3 / 10 / 2019

प्रतिलिपि :– 1 सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

2 सर्वसंबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

5/10
10/10

कार्यालय नगर पंचायत कुरूद, जिला-धमतरी (छ.ग)

पता-पुराना बाजार चौक-कुरूद, फोन-7705-223149, फैक्स-7705-223535, Email-npkurud@yahoo.in, kurudnp@gmail.com,

क्रमांक / /4/लो.स्वा.वि./2019–20 कुरूद, दिनांक / /2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर,
छ.ग. गृह निर्माण मंडल कालोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :– मूर्ति के विसर्जन से जल स्त्रोतों की जलगुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी।

संदर्भ :– आपका पत्र कं/2144/क्षे.का./छ.प.स.म./2019 रायपुर दिनांक 04.09.2019

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि शासन के गाईड लाईन के अनुसार नगर में गणेशोत्सव तथा दुर्गोत्सव पर्व पर मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की जलगुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिए नगर प्रशासन कुरूद द्वारा पृथक से विसर्जन कुंड तैयार किया जाकर नगर के समस्त समितियों को एक ही स्थान पर मूर्ति विसर्जन करने हेतु प्रेरित कर नगर के समस्त मूर्तियों का विसर्जन नगर पंचायत द्वारा बनाये गये विसर्जन कुंड में किया गया। विसर्जन के पूर्व एवं विसर्जन के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– फोटोग्राफ्स की प्रति।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत, कुरूद
जिला–धमतरी (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 3856/4/लो.स्वा.वि./2019–20 कुरूद, दिनांक 10/09/2019

प्रतिलिपि –

01. सदस्य सचिव महोदय, पर्यावरण संरक्षण मंडल, मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर प्रस्तुत।
02. डिप्टी कलेक्टर/वास्ते कलेक्टर (पर्यावरण शाखा) जिला धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत, कुरूद
जिला–धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत कुरूद,जिला-धमतरी (छ.ग)

पता-पुराना बाजार चौंक-कुरूद, फोन-7705-223149, फैक्स-7705-223535, Email-npkurud@yahoo.in, kurudnp@gmail.com

विसर्जन कुंड निर्माण के पूर्व स्थिति

विसर्जन कुंड निर्माण के दौरान सफाई कार्य

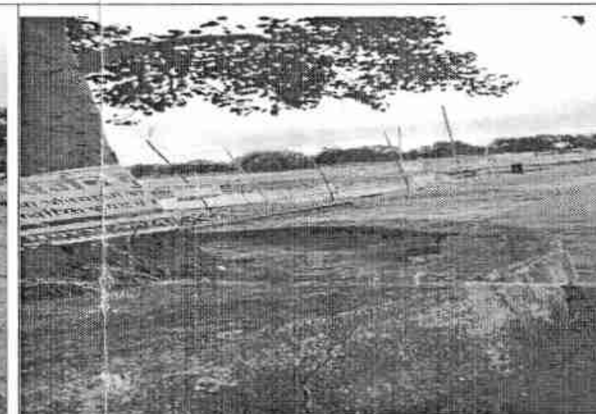

विसर्जन कुंड निर्माणाधीन के दौरान स्थिति

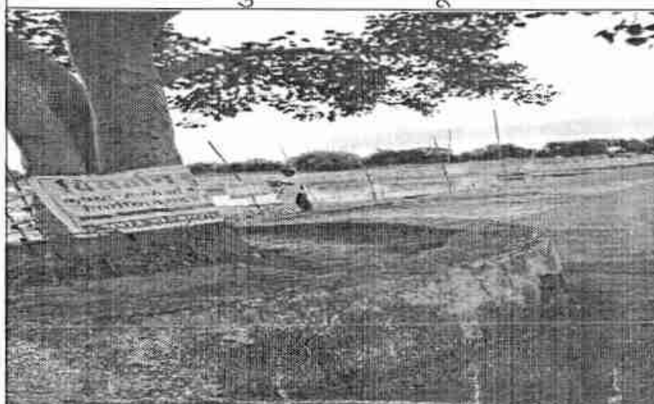

विसर्जन कुंड में बांस बैरिकेट्स निर्माण कार्य

विसर्जन कुंड में फ्लैक्स सूचना

विसर्जन के सफाई के पश्चात् की स्थिति

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत कुरूद
जिला-धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत कुरूद, जिला-धमतरी (छ.ग)

पता-पुराना बाजार चौंक-कुरूद, फोन-7705-223149, फैक्स-7705-223535, Email-npkurud@yahoo.in, kurudnp@gmail.com

विसर्जन कुंड स्थल पर नगर पंचायत कुरूद द्वारा की गई डस्टबीन व्यवस्था

विसर्जन कुंड स्थल पर नगर पंचायत कुरूद द्वारा की गई फ्लैक्स बैनर व्यवस्था

विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स

विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स

विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स

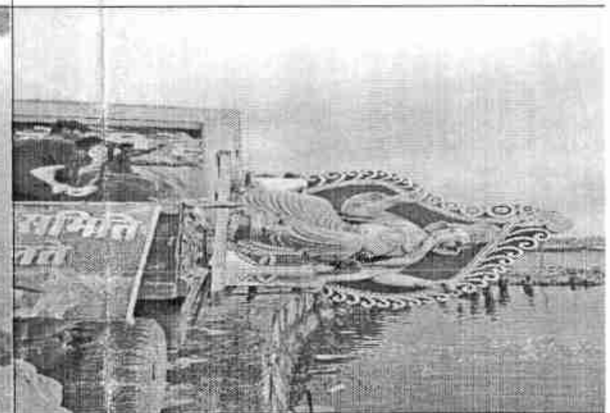

विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत कुरूद
जिला-धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत कुरूद,जिला-धमतरी (छ.ग)

पता-पुराना बाजार चौंक-कुरूद, फोन-7705-223149, फैक्स-7705-223535, Email-npkurud@yahoo.in, kurudnp@gmail.com

विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स

विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स

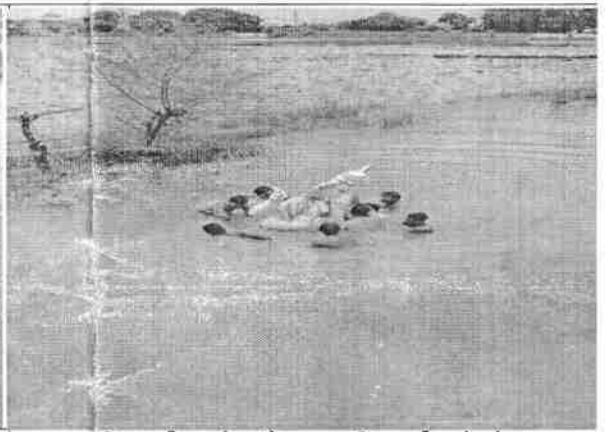

विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स

विसर्जन के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स

विसर्जन के दौरान सफाई कार्य

विसर्जन के दौरान सफाई कार्य

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत कुरूद
जिला-धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत कुरूद,जिला-धमतरी (छ.ग)

पता-पुराना बाजार चौंक-कुरूद, फोन-7705-223149, फैक्स-7705-223535, Email-npkurud@yahoo.in, kurudnp@gmail.com

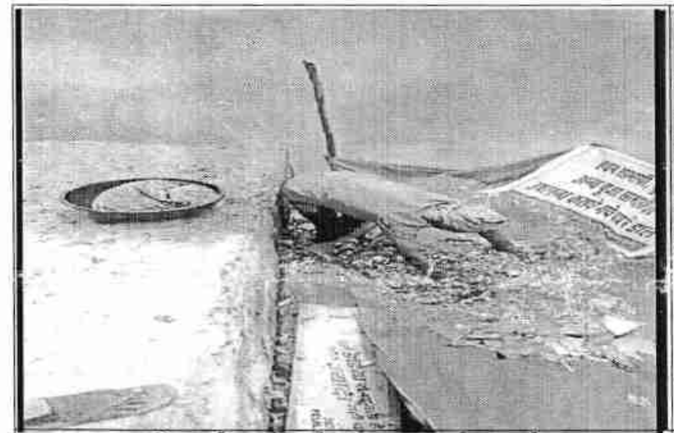	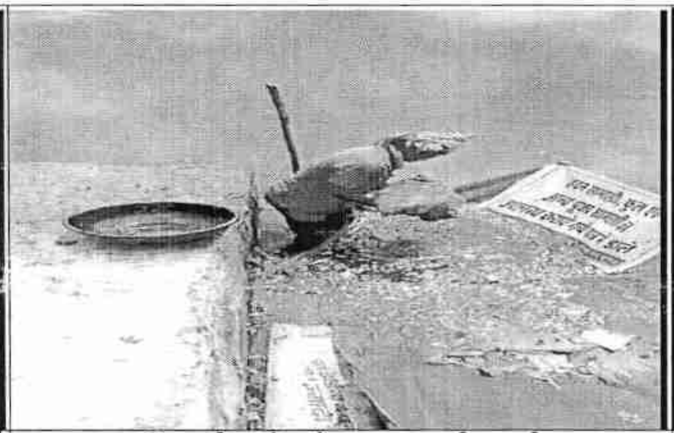	
विसर्जन के दौरान सफाई कार्य	विसर्जन के दौरान सफाई कार्य	विसर्जन के दौरान सफाई कार्य
		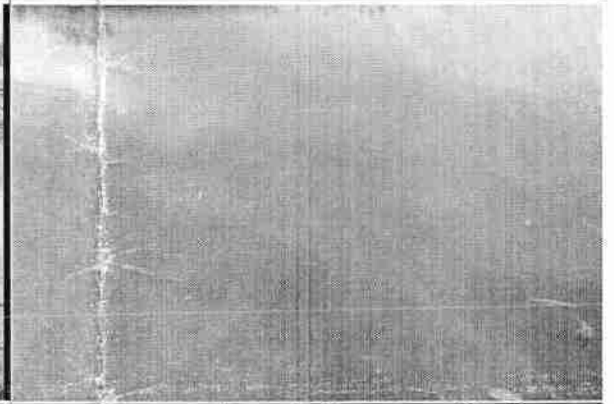
विसर्जन के पश्चात् सफाई कार्य	विसर्जन के पश्चात् सफाई कार्य	सफाई कार्य के पश्चात् स्थिति

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत कुरूद
जिला-धमतरी (छ.ग.)

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / या.प्र. / 2019–20 / 9493 अटल नगर, दिनांक 30/8 /2019

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम (छत्तीसगढ़)

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (छत्तीसगढ़)

C.G. Environment Conservation Board, Atal Nagar, Raipur (C.G.) 10278 04/9/19

विषय :– **मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतो की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत् ।**

संदर्भ :– 1) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग संरक्षण मंडल का पत्र क्र. 3894 / मुख्या. / वैज्ञा. / छ.ग.प.सं.मं. / 2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.07.2019
2) अवर सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रमांक 8196 / 2019 / 18 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14.08.2019

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। संदर्भित पत्र 02 में अवगत कराया गया है कि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतो की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये है :–

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉड / बन्ड / अरथाई पॉड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिससे नदह या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। साथ ही प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुंच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये है, जिन्हें माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक, पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जावें। मूर्ति निर्माण में सिंथेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जावें।

5. यह सुनिश्चित किया जावे कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाए। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले का उपयोग न किया जावें। मूर्तियों की ऊँचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जावें।

मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल, द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर गाईडलाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये है। अतः समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है कि, उपरोक्त गाईडलाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो। साथ ही मूर्तियों का विसर्जन केवल विसर्जन कुंडो में ही किया जावें। इस हेतु निकायों में निर्मित/निर्माणाधीन विसर्जन कुंडो की प्रगति से शीघ्र ही इस कार्यालय को अवगत करावें ताकि वांछित जानकारी से छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को अवगत कराया जा सकें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर

पृ. क्रमांक/या.प्र./ 2019–20/9494 अटल नगर, दिनांक 30/8 /2019

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग संरक्षण मंडल, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को विभाग के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर

S.E.

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल, डी ब्लाक, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर
(Phone : 0771-2235828 E-Mail : technicalcellraipur2017@gmail.com)

क्र./यां.प्र.–05/2019–20/ 9988 अटल नगर, दिनांक ~~/08/2019~~ 11.9.19

प्रति,

1. **समस्त आयुक्त,**
   नगर पालिक निगम,
   छत्तीसगढ़।
2. **समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
   नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,
   छत्तीसगढ़।

विषय :– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतो की जल गुणवत्ता पर पडने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भः– सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर का पत्र पृ.क. 3895 दिनांक 30.07.2019

––00––

विषयांतर्गत सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर के पत्र की छायाप्रति संलग्न है। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
अटल नगर, जिला–रायपुर

पृ.क्र./यां.प्र.–05/2019–20/9989 अटल नगर, दिनांक ~~/08/2019~~ 11.9.19

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, अटल नगर की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
अटल नगर, जिला–रायपुर

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

10207
03/10/19

क्रमांक /क्षेका/वैज्ञा/छ.प.सं.मं./2019 रायपुर दिनांक / /2019

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम रायपुर,
जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– मूर्ति विसर्जन के दौरान महादेवघाट स्थित मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ–सफाई व स्वच्छता के संबंध में।

संदर्भ :–
1. मंडल मुख्यालय का पत्र पृ.क्रमांक 3897 अटल नगर दिनांक 30.07.2019.
2. इस कार्यालय का पत्र कमांक 1879 रायपुर दिनांक 06.08.2019.
3. इस कार्यालय का पत्र कमांक 2124 रायपुर दिनांक 03.09.2019.
4. इस कार्यालय का पत्र कमांक 2144 रायपुर दिनांक 04.09.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत जैसा कि विदित ही है कि मूर्ति विसर्जन से संबंधित प्रकरण माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन है। भगवान् श्री गणेश के मूर्ति विसर्जन के दौरान महादेवघाट स्थित मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ–सफाई व स्वच्छता के संबंध में की गई कार्यवाही की अघतन स्थिति की जानकारी मय फोटोग्राफ के शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का अनुरोध है, ताकि जानकारी मंडल मुख्यालय प्रेषित की जा सके।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क. 2303/वैज्ञा/क्षेका/छ.प.सं.मं/2019 रायपुर दिनांक 18/9 /2019

प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवां रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

आवश्यक / महत्वपूर्ण / समयसीमा

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

कमांक /क्षेका/छ.प.सं.मं/2019 रायपुर दिनांक /2019

प्रति,

संलग्न सूची अनुसार

विषयः– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भः– 1.मंडल मुख्यालय का पृ. कमांक 3897 दिनांक 30/07/2019
2.इस कार्यालय का पत्र कमांक 1879 दिनांक 06/08/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉड/बन्ड/अस्थायी पॉड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिसमें नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सकें। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुॅच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये है, जिन्हे मान. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर, आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।

4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगो को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगो का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जाये।
5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू–भराव इत्यादि में किया जावे।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तिया प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जायें। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जावें।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर गाईडलाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से मंडल मुख्यालय तथा इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

इसे आवश्यक समझा जावे।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 2125/क्षेका/तक./छ.प.सं.मं./2019 रायपुर दिनांक 03/09/2019

प्रतिलिपी :–

सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

C.C.

13/9

Sut Singh
12/9/19

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

क्र.	नगरीय निकायों के नाम
1.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला–रायपुर
2.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला–रायपुर
3.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला–धमतरी
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महासमुंद, जिला–महासमुंद
5.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, राजिम, जिला–गरियाबंद
6.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गोबरा नवापारा, जिला–रायपुर
7.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, तिल्दा–नेवरा, जिला–रायपुर
8.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, खरोरा, जिला–रायपुर
9.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
10.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
11.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
12.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
13.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद
14.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, छुरा, जिला–गरियाबंद
15.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, गरियाबंद, जिला–गरियाबंद
16.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कूरा, जिला–रायपुर
17.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, अभनपुर, जिला–रायपुर
18.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आरंग, जिला–रायपुर

19.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, माना कैंप, जिला–रायपुर
20.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, टुण्डरा, जिला–बलौदाबाजार
21.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भटगांव, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
22.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार
23.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
24.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, लवन, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
25.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पिथौरा, जिला–महासमुंद
26.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, तुमगांव, जिला–महासमुंद
27.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सराईपाली, जिला–महासमुंद
28.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बसना, जिला–महासमुंद
29.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बागबाहरा, जिला–महासमुंद
30.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, नगरी, जिला–धमतरी
31.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, मगरलोड, जिला–धमतरी
32.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आमदी, जिला–धमतरी
33.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भखारा, जिला–धमतरी
34.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कुरूद, जिला–धमतरी

कार्यालय, कलेक्टर बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक /899/उ.लि./2019 बलौदाबाजार, दिनांक 05.08.2019

प्रति,

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
   बलौदाबाजार,भाटापारा,सिमगा,कसडोल, बिलाईगढ
2. तहसीलदार,
   बलौदाबाजार,भाटापारा,सिमगा,पलारी,कसडोल, बिलाईगढ़,
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत
   बलौदाबाजार,भाटापारा,
   सिमगा,पलारी,कसडोल,लवन,बिलाईगढ़,भटगांव,टुण्डा

HO C.G. Environment Conservation Board 9667 19/9/19

विषयः– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर का पत्र क्रमांक/3896/क्षेका/छ.प.सं.मं./2017 दिनांक 30.07.2019
कार्यालयीन पत्र क्रमांक दिनांक 05.08.2015, 08.09.2015, 29.08.2016, 22.06.2017,08.08.2017 एवं 18.07.2018

——0——

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर से प्राप्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन का कड़ाई से पालन किये जाने निर्देश दिये गये है। इस संबंध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये है।

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है, अतएव आप अपने अधीनस्थ आने वाले क्षेत्रों में उक्त संबंध में प्रचार–प्रसार कर जारी गाईड लाईन का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

सहपत्रः–उपरोक्तानुसार.

अपर कलेक्टर
बलौदाबाजार–भाटापारा

पृ.क्रमांक /900/उ.लि./2019 बलौदाबाजार, दिनांक 05.08.2019

प्रतिलिपिः–

सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19 नवा रायपुर की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर
बलौदाबाजार–भाटापारा

13/9

24/09/19

M/2016/Letter

आवश्यक / महत्वपूर्ण / समयसीमा

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

H.O. C.G. Environment Conservation Board, Atal Nagar
9307
16/9/19

क्रमांक /क्षेका / छ.प.सं.मं / 2019 रायपुर दिनांक / / 2019

प्रति,

समस्त स्थानीय निकायों की सूची।

विषयः– मूर्ति के विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत्।

संदर्भः– 1. मंडल मुख्यालय का पृ. क्रमांक 3897 दिनांक 30 / 07 / 2019
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1879 दिनांक 06 / 08 / 2019
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2124 दिनांक 03 / 09 / 2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के निर्देश / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार गणेशोत्सव तथा दुर्गोत्सव पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही, विसर्जन कुण्ड के निर्माण के संबंध में जानकारी / विसर्जन के पश्चात घाटों की साफ–सफाई की जानकारी मय फोटोग्राफ्स सहित भेजा जाना सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें, जिससे कि जानकारी मंडल मुख्यालय के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को भेजी जा सके।

हस्ता०
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 2145 / क्षेका / तक. / छ.प.सं.मं. / 2019 रायपुर दिनांक 04 / 09 / 2019

प्रतिलिपी :–1. सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर पत्र क्रमांक 4439 दिनांक 27.08.2019 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर, जिला–रायपुर / महासमुन्द / धमतरी / बलौदाबाजार–भाटापारा / गरियाबंद (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित।

C.C.
Amtsingh
13/9
12/9

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

क्र.	नगरीय निकायों के नाम
1.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला–रायपुर
2.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला–रायपुर
3.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला–धमतरी
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महासमुंद, जिला–महासमुंद
5.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, राजिम, जिला–गरियाबद
6.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गोबरा नवापारा, जिला–रायपुर
7.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, तिल्दा–नेवरा, जिला–रायपुर
8.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, खरोरा, जिला–रायपुर
9.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
10.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
11.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
12.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
13.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद
14.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, छुरा, जिला–गरियाबंद
15.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, गरियाबंद, जिला–गरियाबंद
16.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कूरा, जिला–रायपुर
17.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, अभनपुर, जिला–रायपुर
18.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आरंग, जिला–रायपुर
19.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, माना कैंप, जिला–रायपुर
20.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, टुण्डरा, जिला–बलौदाबाजार
21.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भटगांव, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
22.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार
23.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
24.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, लवन, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
25.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पिथौरा, जिला–महासमुंद
26.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, तुमगांव, जिला–महासमुंद
27.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सराईपाली, जिला–महासमुंद
28.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बसना, जिला–महासमुंद
29.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बागबाहरा, जिला–महासमुंद
30.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, नगरी, जिला–धमतरी
31.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, मगरलोड, जिला–धमतरी
32.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आमदी, जिला–धमतरी
33.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भखारा, जिला–धमतरी
34.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कुरूद, जिला–धमतरी

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

Environment Conservation Board (C.G.) H.O.C.G. 9310 16/9/19

क्रमांक /क्षेका/छ.प.सं.मं/2019 रायपुर दिनांक / /2019

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
कार्यालय कलेक्टोरेट,
जिला–रायपुर/महासमुन्द/धमतरी/बलौदाबाजार–भाटापारा/गरियाबंद (छ.ग.)

विषयः– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भः– 1.मंडल मुख्यालय का पृ. क्रमांक 3897 दिनांक 30/07/2019
2.इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1881 दिनांक 06/08/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉड/बन्ड/अस्थायी पॉड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिसमें नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सकें। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये है, जिन्हे मान. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर, आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।

4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगो को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगो का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जाये।
5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू–भराव इत्यादि में किया जावे।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तिया प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जायें। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जावें।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर गाईडलाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कृपया संबंधितों को निर्देशित करने का अनुरोध है।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 2123/क्षेका/तक./छ.प.सं.मं./2019 रायपुर दिनांक 03/09/2019

प्रतिलिपी :–

सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

SEO C.C. Smt Singh 13/9 18/9/19

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

Environment Conservation Board H.O. C.G. Atal Nagar, Nava Raipur (C.G.) 9306 16/9/19

क्रमांक / /वैज्ञा./क्षेका/छ.प.सं.मं/2019 रायपुर दिनांक / /2019

–::कार्यालय आदेश::–

मंडल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 4439 दिनांक 27.08.2019 के माध्यम से प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में मूर्ति के विसर्जन से जल स्त्रोंतो की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी के संबंध में भगवान गणेश एवं दुर्गोत्सव के दौरान विसर्जन के पूर्व, दौरान एवं विसर्जन के पश्चात् जल नमूने एकत्रित कर, जल विश्लेषण रिपोर्ट, ध्वनि मापन की जानकारी आदि फोटोग्राफ्स सहित मंडल मुख्यालय प्रेषित किया जाना है। तदानुक्रम में उपरोक्त कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यालयीन दल का गठन किया जाता है :–

दल क्रमांक 01

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	श्री खेमचंद साहू	रसायनज्ञ
2.	श्री संजय सिंह परिहार	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड–2
3.	श्री वाय.के. भास्कर	प्रयोगशाला परिचारक

दल क्रमांक 02

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	श्री अजय कुमार भगत	रसायनज्ञ
2.	श्री एस.के. खन्ना	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड–2
3.	श्री आर.आर. त्रिपाठी	प्रयोगशाला परिचारक

C.C.

उपरोक्तानुसार कार्यों का संपादन समयावधि के भीतर सुनिश्चित कर, जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि जानकारी मंडल मुख्यालय प्रेषित की जा सके।

हस्ता0
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

पृ.क्रमांक/2143/वैज्ञा./क्षेका/छ.प.सं.मं/2019 रायपुर दिनांक 04/09/2019

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, अटल नगर नवा रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित।
2. सर्वसंबंधितों ~~की~~ ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक क्षेका / तक / क्षेका / छ.प.सं.मं / 2019 रायपुर, दिनांक / / 2019

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–रायपुर (छ.ग.)

Conservation Board H.O. C.G. Environment ... Atal Nagar, Distt.-Raipur (C.G.) 9053 04/9/19

विषयः– संयुक्त जॉच दल गठन बाबत्।

संदर्भः– माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा 31 / 2016 में दिनांक 18 / 07 / 2016 को पारित आदेश।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा 31 / 2016 में दिनांक 18 / 07 / 2016 को पारित आदेश के पालनार्थ मूर्तियों के जॉच हेतु संयुक्त जॉच दल का गठित किया जाना है। जॉच दल हेतु प्रारुप के दल क्रमांक 1,2,3 एवं 4 अनुसार नामित किया जाता है। संयुक्त जॉच दल के गठन हेतु प्रारुप पत्र के साथ संलग्नकर कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

पृ. क्रमांक 2031 (A) / तक / क्षेका / छ.प.सं.मं / 2019 रायपुर, दिनांक 23 / 08 / 2019

प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

12/09/19

13/9/19

प्रारुप

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर

—: आदेश :—

जावक क्रमांक /अ.जि.द./2019 रायपुर दिनांक / /2019

माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा 31/2016 में दिनांक 18/07/2016 को पारित आदेश के पालनार्थ मूर्तियों के जॉच हेतु संयुक्त जॉच दल का गठन किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी के नाम
1	तहसीलदार रायपुर, नगर निगम रायपुर के प्रतिनिधि संबंधित थाना प्रभारी, रायपुर श्री प्रसन्ना सोनकर, सहायक अभियंता एवं एस.के. खन्ना, प्रयोगशाला सहायक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर
2	तहसीलदार आरंग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आरंग थाना प्रभारी, आरंग श्री एम.एस. पाण्डेय, सहायक अभियंता एवं ए.के. मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर
3	तहसीलदार अभनपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभनपुर थाना प्रभारी, अभनपुर श्री के.सी. साहू, रसायनज्ञ एवं संजय सिंह, प्रयोगशाला सहायक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर
4	तहसीलदार तिल्दा—नेवरा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तिल्दा—नेवरा, थाना प्रभारी, तिल्दा—नेवरा, श्री ए.के. भगत रसायनज्ञ एवं वाय.के. भास्कर, प्रयोगशाला परि. क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर

आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जॉच कर, जॉच प्रतिवेदन अतिशीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला—रायपुर

पृ. क्रमांक / अ.जि.द /2019 रायपुर, दिनांक / /2019

प्रतिलिपिः—
1 अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर/आरंग/अभनपुर/तिल्दा—नेवरा को सूचनार्थ प्रेषित।
2 संबंधित नगरीय निकायों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3 संबंधित थाना प्रभारीयों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला—रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द (छ.ग.)

फोन नं.–07723–223305, फैक्स नं.–07723–223302, Email-ld-msamund.cg@nic.in

8706
20/08/19

// ज्ञापन //

क्रमांक/518 /क/एस.डब्ल्यू./2019 महासमुंद, दिनांक 08/08/2019

प्रति,

01. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द
02. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, महासमुन्द/बागबाहरा/पिथौरा/सरायपाली

विषय :– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भ :– सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर(छ.ग.) का पत्र क्रमांक 3896/मुख्या./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30.07.2019

——000——

विषयांतर्गत कृपया संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होने से जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा एवं प्रदूषण को रोकने हेतु आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के निर्देशानुसार निम्न मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

01. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉड/बन्ड/अस्थाई पॉड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुंच मार्ग सहित बनाने हेतु मान. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
02. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक पेपर, आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में उपयोग किया जा सकता है।
03. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
04. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाये। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जाये।
05. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसजन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावे एवं मिट्टी को भू–भराव इत्यादि में किया जावे।
06. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जाये! मूर्तियों की उंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जाये।
07. मूर्तियों का विसर्जन के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल के गाईडलाईन का पालन सुनिश्चित करें।

02/ कृपया संलग्न पत्र में दिये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
महासमुन्द

S.W._Letter-91

पृ.क्रमांक/518 /क/एस.डब्ल्यू./2019 महासमुंद, दिनांक 08/08/2019

प्रतिलिपि :—

01. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
महासमुन्द

C.C.

550

7/9/19

12/09/19

आवश्यक / महत्वपूर्ण / समयसीमा

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

Conservation Board
8240
07/08/19
H.O. C.G. Environment Conservation Board, Atal Nagar, Raipur (C.G.)

क्रमांक /क्षेका/छ.प.सं.मं/2019 रायपुर दिनांक / /2019

प्रति,

पंचायत प्रभारी अधिकारी
....
....

विषयः— मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा—निर्देश बाबत्।

संदर्भः— मंडल मुख्यालय का पृ. क्रमांक 3897 दिनांक 30/07/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव—जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :—

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉड/बन्ड/अस्थायी पॉड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिसमें नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सकें। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये है, जिन्हे मान. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर, आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगो को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण

हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगो का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जाये।

5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू–भराव इत्यादि में किया जावे।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तिया प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जायें। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जावें।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर गाईडलाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से मंडल मुख्यालय तथा इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

इसे आवश्यक समझा जावे।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 1880/क्षेका/तक./छ.प.सं.मं./2019 रायपुर दिनांक 6/8/2019

प्रतिलिपी :–

सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

for क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.)

C.C.
7/9
09/09/19

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

क्र.	नगरीय निकायों के नाम
1.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला–रायपुर
2.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला–रायपुर
3.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला–धमतरी
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महासमुंद, जिला–महासमुंद
5.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, राजिम, जिला–गरियाबंद
6.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गोबरा नवापारा, जिला–रायपुर
7.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, तिल्दा–नेवरा, जिला–रायपुर
8.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, खरोरा, जिला–रायपुर
9.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
10.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
11.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
12.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
13.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद
14.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, छुरा, जिला–गरियाबंद
15.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, गरियाबंद, जिला–गरियाबंद
16.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कूंरा, जिला–रायपुर
17.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, अभनपुर, जिला–रायपुर
18.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आरंग, जिला–रायपुर

19.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, माना कैंप, जिला–रायपुर
20.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, टुण्डरा, जिला–बलौदाबाजार
21.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भटगांव, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
22.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार
23.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
24.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, लवन, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
25.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पिथौरा, जिला–महासमुंद
26.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, तुमगांव, जिला–महासमुंद
27.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सराईपाली, जिला–महासमुंद
28.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बसना, जिला–महासमुंद
29.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बागबाहरा, जिला–महासमुंद
30.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, नगरी, जिला–धमतरी
31.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, मगरलोड, जिला–धमतरी
32.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आमदी, जिला–धमतरी
33.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भखारा, जिला–धमतरी
34.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कुरूद, जिला–धमतरी

संलग्नक - 2

14-233
26/12/19

क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास,बिलासपुर (छ.ग.)

e-mail:cecb.robilaspur@gmail.com,ph.no. 07752-261172

क्रमांक 2371 /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019 बिलासपुर ,दिनांक:07/12/2019

प्रति,

सदस्य सचिव महोदय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर,
जिल–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत्।

संदर्भ :– 1. मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक 7621 दिनांक 28.11.2019
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2172 दिनांक 11.11.2019
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2206 दिनांक 19.11.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत मंडल मुख्यालय के संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि गणेशोत्सव पर्व के दौरान एकत्रित जल नमूनों के विश्लेषण परिणाम एवं ध्वनि स्तर मापन परिणाम संदर्भित पत्र क्रमांक 02 तथा मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी संदर्भित पत्र क्रमांक 03 के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित की गई है, सुलभ संदर्भ हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 02 एवं 03 पुनः संलग्न कर कृपया प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।(पृष्ठ 01 से 30 तक)

07/12/19

क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर

S.S.O.

26/12

19 DEC 2019

①

क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

e-mail: cecb.robilaspur@gmail.com Ph. No. 07752-261172

क्रमांक 2172 /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019 बिलासपुर, दिनांक : 11/11/2019

प्रति,

सदस्य सचिव,
मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19,
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) 492002

विषयः– गणेशोत्सव पर्व के दौरान एकत्रित जल नमूनो के विश्लेषण एवं ध्वनि स्तर मापन परिणाम बाबत्।

संदर्भः– मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में गणेशोत्सव पर्व के दौरान मूर्ति विर्सजन हेतु चिन्हांकित स्थल से मूर्ति विर्सजन के पूर्व, मूर्ति विर्सजन के दौरान एवं मूर्ति विर्सजन के पश्चात् एकत्रित जल नमूनो का विश्लेषण एवं ध्वनि स्तर मापन परिणाम/प्रतिवेदन कृपया संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

11/11/19
क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर

Scanned by CamScanner

गणेशोत्सव पर्व के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण :-

मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019 के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा गणेशोत्सव पर्व के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा तैयार मार्गदर्शिका अनुसार मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन के लिए किये गये प्रावधानों का पालन कराने हेतु माननीय नेशलन ग्रीन ट्रिब्युनल, सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा पारित आदेश में पी.ओ.पी. की मूर्तियों का निर्माण प्रतिबंधित किया गया है एवं निर्धारित अधिकतम उंचाई के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्यक्षेत्र अंतर्गत आने वाले तीनों जिले बिलासपुर, मुंगेली एवं जांजगीर–चांपा के स्थानीय निकायों – नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को उक्त निर्देशों के पालनार्थ पर्व के दौरान मूर्ति विसर्जन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1571, 1573 दिनांक 07.08.2019 एवं पत्र क्रमांक 1728 दिनांक 29.08.2019 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया।

दिनांक 03.09.2019 को क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर एवं नगर पालिक निगम, बिलासपुर की टीम द्वारा पी.ओ.पी. से बनने वाली गणेश प्रतिमा निर्माण स्थलों को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मूर्ति निर्माण स्थलों पर प्लास्टर आफ पेरिस (पी.ओ.पी.) से मूर्ति का निमार्ण किया जाना नहीं पाया गया मूर्ति मूर्ति निर्माण हेतु मिट्‌टी एवं प्राकृतिक रंगों का उपयोग किये जाने हेतु समझाईस दी गई तथा मूर्तिकार को 5 फीट से अधिक ऊंचाई की मूर्तियों का निर्माण नहीं किये जाने की समझाईस दी गई।

गणेशोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विर्सजन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार मूर्ति विसर्जन के पूर्व दिनांक 09.09.2019 मूर्ति विसर्जन के दौरान दिनांक 12.09.2019 तथा मूर्ति विसर्जन के पश्चात् दिनांक 13.09.2019 को अरपा नदी का निम्न चार स्थलों से जल नमूना एकत्र किया गया।

S. No.	Location
1.	Arpa River U/S of Idol Emmerson Spot Near Shiv Mandir Village Sendari Bilaspur.
2.	Arpa River Idol Emmerson Spot Near Pachri Ghat (Kilaward) Bilaspur
3.	Arpa River Idol Emmerson Spot Near Chhath Ghat, Bilaspur
4.	Arpa River Approx 1 K.M. D/S from Idol Emmerson Spot Near Check Dame Deorikurd Bilaspur

उपरोक्तानुसार एकत्रित जल नमूनों के विश्लेषण परिणाम संलग्न है।

Scanned by CamScanner

दिनांक 16.09.2019 को आर. के. अहिरवार, रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर द्वारा मूर्ति विसर्जन स्थल पचरीघाट (किलावार्ड) एवं छठघाट तोरवा बिलासपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समय पचरीघाट (किलावार्ड) वार्ड में नगर पालिक निगम द्वारा निर्मित अस्थाई पॉड तथा छठघाट में मूर्ति विसर्जन हेतु चिन्हांकित स्थल की सफाई कार्य पूर्ण होना पाया गया। मूर्ति विसर्जन स्थलों के समीप नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा मूर्तियों की साज–सज्जा में प्रयुक्त सामग्री के संग्रहण हेतु पृथक से कन्टेनर की व्यवस्था देखी गयी। निरीक्षण समय दोनों विसर्जन स्थलों में मूर्ति अवशेष अवलोकित नहीं हुये एवं नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओमकार शर्मा से भेट कर आगामी दुर्गोत्सव पर्व के दौरान मूर्ति विसर्जन हेतु मूर्ति विसर्जन स्थलों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार और अधिक अस्थाई पॉड का निर्माण करने व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कहा गया।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन कृपया प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

रसायनज्ञ
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

Scanned by CamScanner

List of Natural Water Sample

Sr. No.	Description Of Sample	Date Of Sample Collection	Analysis Report No.
01.	**Before Lord Ganesh Idol Immersion:-** 1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sendari Bilaspur 2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat 3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat 4- Approx 1 Km. downstream from immersion spot. (near Check dam) Deorikhurd	09.09.2019	554
02.	**During Lord Ganesh Idol Immersion:-** 1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sanderi Bilaspur 2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat 3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat 4- Approx 1 Km. down stream from immersion spot (Near Check dam) Deorikhurd	12.09.2019	555
03.	**After Lord Ganesh Idol Immersion:-** 1-Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sanderi Bilaspur 2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat 3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat 4- Approx 1 Km. downstream from immersion spot (Nsear Check dam) Deorikhurd	13.09.2019	556

CECB, Bilaspur

Scanned by CamScanner

Analysis Report No. 554

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

NATURAL WATER ANALYSIS REPORT DURING GANESH UTSAV FASTIVAL

SAMPLE COLLECTED FROM	:	Arpa River, Bilaspur **Pre-Immersion**

DESCRIPTION OF SAMPLE :
1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sendari Bilaspur
2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat
3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat
4- Approx 1 Km. downstream from immersion spot (near Check dam) Deorikhurd

DATE OF COLLECTION	:	09.09.2019
DATE OF RECEIVED	:	09.09.2019
DATE OF ANALYSIS	:	09.09.2019
SAMPLE COLLECTED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist
ANALYSED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist

S No.	Characteristics	Unit	Result 1	Result 2	Result 3	Result 4
13.	Temperature	^{0}C	30.2	30.0	29.5	29.2
14.	Appearance	-	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid
15.	Odour	-	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
16.	pH	pH Unit	8.2	7.8	7.9	8.5
17.	Turbidity	NTU	123.0	132.0	142.0	126.0
18.	Sp. Conductivity	µS/cm	380.0	398.0	412.0	386.0
19.	Total Solids	Mg/L	426.0	452.0	472.0	434.0
20.	T. Dissolved Solids	--,,--	272.0	286.0	294.0	276.0
21.	Suspended Solids	--,,--	154.0	166.0	178.0	158.0
22.	Dissolved oxygen (DO)	--,,--	6.2	5.6	5.4	5.8
23.	B.O.D (3day 27^{0}C)	--,,--	3.4	3.6	3.8	3.5
24.	C.O.D.	--,,--	54.0	64.0	68.0	58.0

Chemist | Scientist | Ch. Chemist

Scanned by CamScanner

(6)

Analysis Report No. 555

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

NATURAL WATER ANALYSIS REPORT DURING GANESH UTSAV FASTIVAL

SAMPLE COLLECTED FROM	:	Arpa River, Bilaspur **During-Immersion**

DESCRIPTION OF SAMPLE :
1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sendari Bilaspur
2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat
3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat
4- Approx 1 Km. down stream from immersion spot (near Check dam) Deorikhurd

DATE OF COLLECTION	:	12.09.2019
DATE OF RECEIVED	:	12.09.2019
DATE OF ANALYSIS	:	12.09.2019
SAMPLE COLLECTED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist
ANALYSED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist

S No.	Characteristics	Unit	Result 1	Result 2	Result 3	Result 4
25.	Temperature	^0C	30.4	30.2	29.8	29.6
26.	Appearance	-	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid
27.	Odour	-	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
28.	pH	pH Unit	8.0	8.0	7.5	7.8
29.	Turbidity	NTU	140.0	158.0	160.0	150.0
30.	Sp. Conductivity	µS/cm	384.0	414.0	417.0	392.0
31.	Total Solids	Mg/L	450.0	494.0	504.0	468.0
32.	T. Dissolved Solids	--,,--	274.0	296.0	298.0	280.0
33.	Suspended Solids	--,,--	176.0	198.0	206.0	188.0
34.	Dissolved oxygen (DO)	--,,--	6.0	5.4	5.6	5.8
35.	B.O.D (3day 27^0C)	--,,--	3.6	3.8	4.0	3.8
36.	C.O.D.	--,,--	56.0	84.0	88.0	62.0

Chemist Scientist Ch. Chemist

Scanned by CamScanner

Analysis Report No. 556

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

NATURAL WATER ANALYSIS REPORT AFTER GANESH UTSAV FASTIVAL

SAMPLE COLLECTED FROM	:	Arpa River, Bilaspur **After-Immersion**

DESCRIPTION OF SAMPLE :
1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sanderi Bilaspur
2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat
3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat
4- Approx 1 Km. down stream from immersion spot (near Check dam) Deorikhurd

DATE OF COLLECTION	:	13.09.2019
DATE OF RECEIVED	:	13.09.2019
DATE OF ANALYSIS	:	13.09.2019
SAMPLE COLLECTED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist
ANALYSED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist

S No.	Characteristics	Unit	Result 1	Result 2	Result 3	Result 4
25.	Temperature	^{0}C	30.3	30.0	29.4	29.4
26.	Appearance	-	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid
27.	Odour	-	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
28.	pH	pH Unit	8.4	8.0	8.0	8.5
29.	Turbidity	NTU	124.0	150.0	152.0	144.0
30.	Sp. Conductivity	μS/cm	378.0	406.0	412.0	390.0
31.	Total Solids	Mg/L	426.0	478.0	484.0	458.0
32.	T. Dissolved Solids	--,,--	470.0	290.0	294.0	278.0
33.	Suspended Solids	--,,--	156.0	188.0	190.0	180.0
34.	Dissolved oxygen (DO)	--,,--	6.0	5.5	5.6	5.8
35.	B.O.D (3day 27^{0}C)	--,,--	3.5	3.8	4.0	3.6
36.	C.O.D.	--,,--	56.0	78.0	84.0	60.0

Chemist

Scientist

Ch. Chemist

Scanned by CamScanner

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

Sound Monitoring Report - Durring Ganeshotshav

Date cf Monitoring	:	**11.09.2019**
Location	:	**Bilaspur City in Normal Day**
Monitoredy By	:	**Dr. Anita Yadav Scientist, R.K. Ahirwar, Chemist**

Sr. No.	Time	Location	Zone	Noise Level dB(A)		
				L_{min}	L_{max}	Leq
1.	2.40 PM	CMD CHOWK	C	52.3	73.7	53.4
2.	2.45 PM	GANDHI CHOWK	C	53.4	65.1	62.9
3.	2.50 PM	DAYALBAND CHOWK	C	55.3	78.7	72.9*
4.	2.55 PM	GURUNANAK DEV CHOWK	C	62.3	79.4	68.4*
5.	3.00 PM	CHHAT GHAT	R	49.1	57.4	49.4
6.	3.10 PM	CHINGRAJPARA APOLLO ROAD	C	54.7	67.2	67.2*
7.	3.30 PM	SANICHARI RAPTA	C	62.4	71.3	71.0*
8.	3.40 PM	PACHRIGHAT, KILAWARD	R	43.3	45.0	44.8
9.	2.50 PM	BILASA CHOWK	C	62.7	69.1	67.6*
10.	4.00 PM	CITY KOTWALI CHOWK	C	65.7	76.0	74.3*
11.	4.20 PM	HATRI CHOWK	C	59.0	66.4	63.1

Prescribed Limit Residential Zone (R): - Day Time from 6 am to 10 pm - 55 dB(A)
Night Time fromj 10 pm to 6am - 45 dB(A)

Prescribed Limit Commercial Zone(C): - Day Time from 6 am to 10 pm - 65 dB(A)
Night Time fromj 10 pm to 6am - 55 dB(A)

Remark :- Noise level (*) at Residential location found below prescribed standard in Normal Day but Noise level at some Commercial location found above prescribed standard in Normal Day due to vehicular activities.

Chemist Scientist Ch. Chemist

Scanned by CamScanner

(9)

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

Sound Monitoring Report - Durring Ganeshotshav

Date of Monitoring	:	**12.09.2019**
Location	:	**Bilaspur City, During lord Ganesha Idol Immersion**
Monitoredy By	:	**R.K. Ahirwar, Chemist & Sanjay Mishra Lab Attd.**

Sr. No.	Time	Location	Zone	Noise Level dB(A)		
				L_{min}	L_{max}	Leq
1.	3.30 pm	CMD CHOWK	C	65.6	76.6	65.5*
2.	3.35 PM	INDIRA CHOWK	C	62.2	68.6	62.4
3.	3.40 PM	SHIV TAKIES CHOWK	C	61.6	70.5	66.5*
4.	3.45 PM	OLD BUS STAND CHOWK	C	69.8	76.3	69.8*
5.	3.50 PM	KOTWALI CHOWK	C	66.9	75.6	75.6*
6.	3.55 PM	BILASA CHOWK	C	65.8	71.9	71.9*
7.	4.00 PM	PACHRI GHAT ENTRY GATE	R	64.8	81.8	64.8*
8.	4.05 PM	PACHRI GHAT IMMERSION POINT	R	60.5	67.0	64.7*
9.	4.10 PM	HATRI CHOWK	C	66.0	75.9	67.7*
10.	4.15 PM	GANDHI CHOWK	C	67.1	77.3	68.2*
11.	4.20 PM	JAGMAL CHOWK	C	68.5	88.3	70.7*
12.	4.25 PM	GURUNANAK CHOWK	C	69.3	72.4	69.6*
13.	4.30 pm	CHHAT GHAT	R	66.5	72.0	71.7*

Prescribed Limit Residential Zone (R): - Day Time from 6 am to 10 pm - 55 dB(A)
Night Time fromj 10 pm to 6am - 45 dB(A)
Prescribed Limit Commercial Zone(C): - Day Time from 6 am to 10 pm - 65 dB(A)
Night Time fromj 10 pm to 6am - 55 dB(A)

Remark :- Noise level (*) at all location (Residential & Commercial Zone) found above prescribed standard during Goddess Durga Idol Immersion due to DJ and other Sound instruments.

Chemist | Scientist | Ch. Chemist

Scanned by CamScanner

अरपा नदी मूर्ति विसर्जन कुण्ड - पंचरीघाट बिलासपुर

Scanned by CamScanner

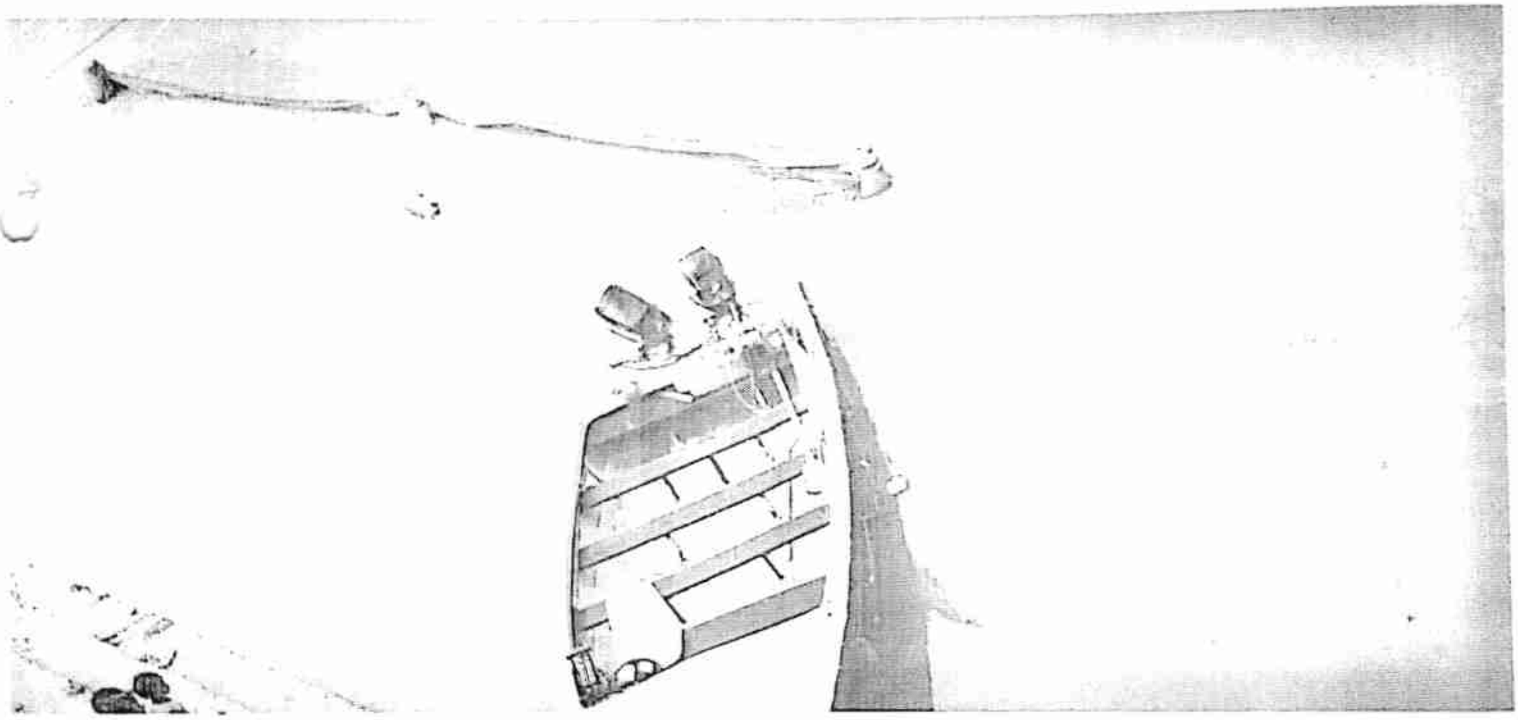

अरपा नदी मूर्ति विसर्जन स्थल - छठघाट बिलासपुर

Scanned by CamScanner

अरपा नदी पचरीघाट बिलासपुर में गणेश मूर्ति विसर्जन

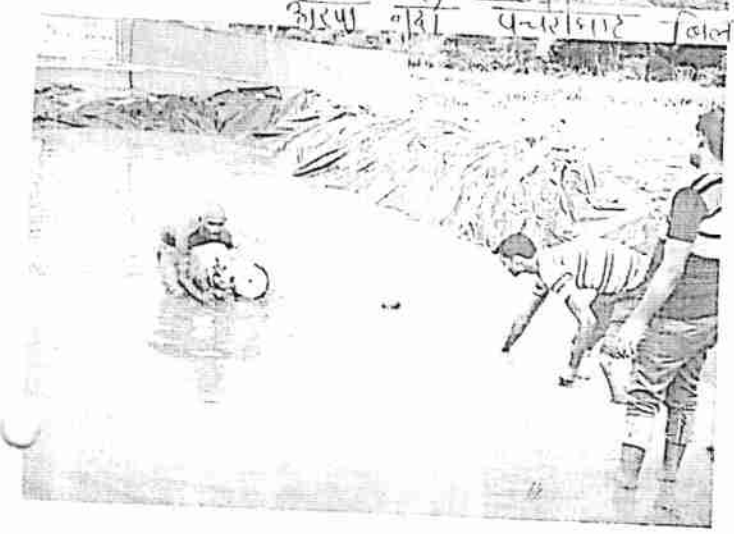

Scanned by CamScanner

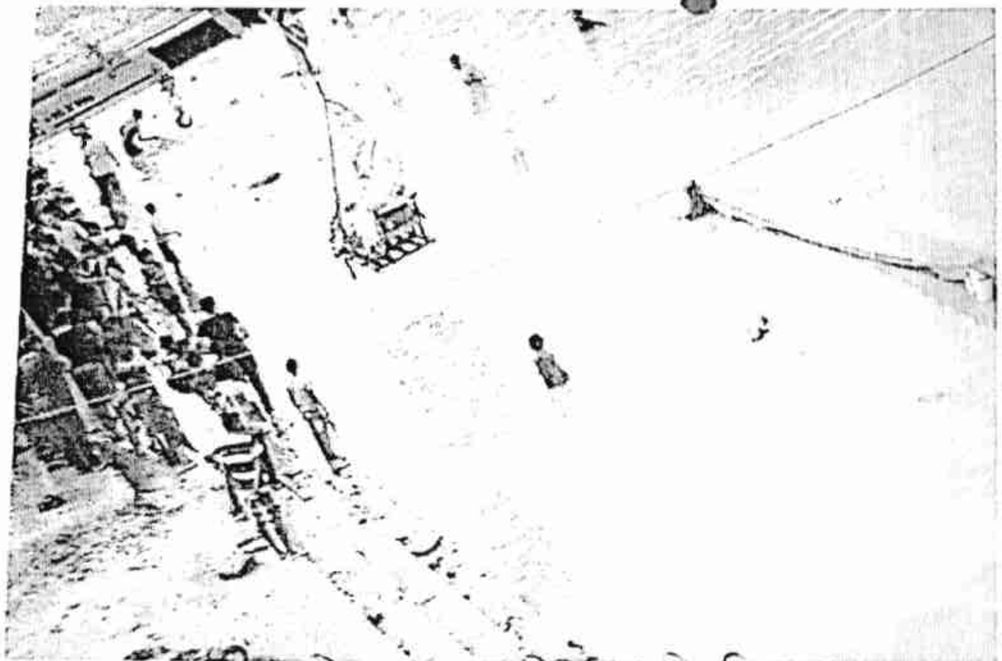

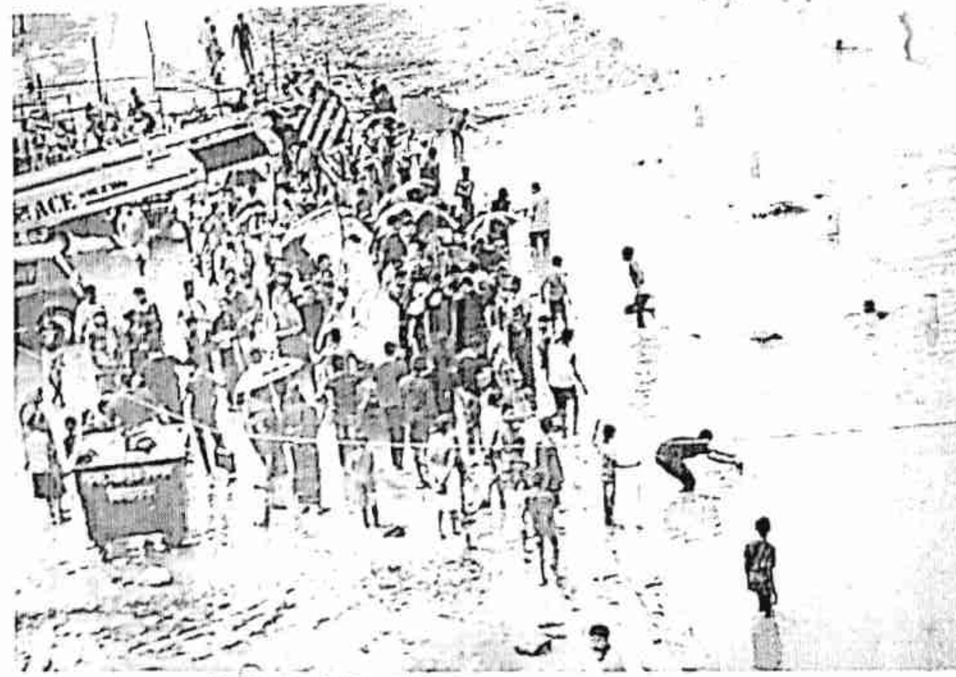

अरपा नदी गणेश मूर्ति विसर्जन - छठघाट बिलासपुर

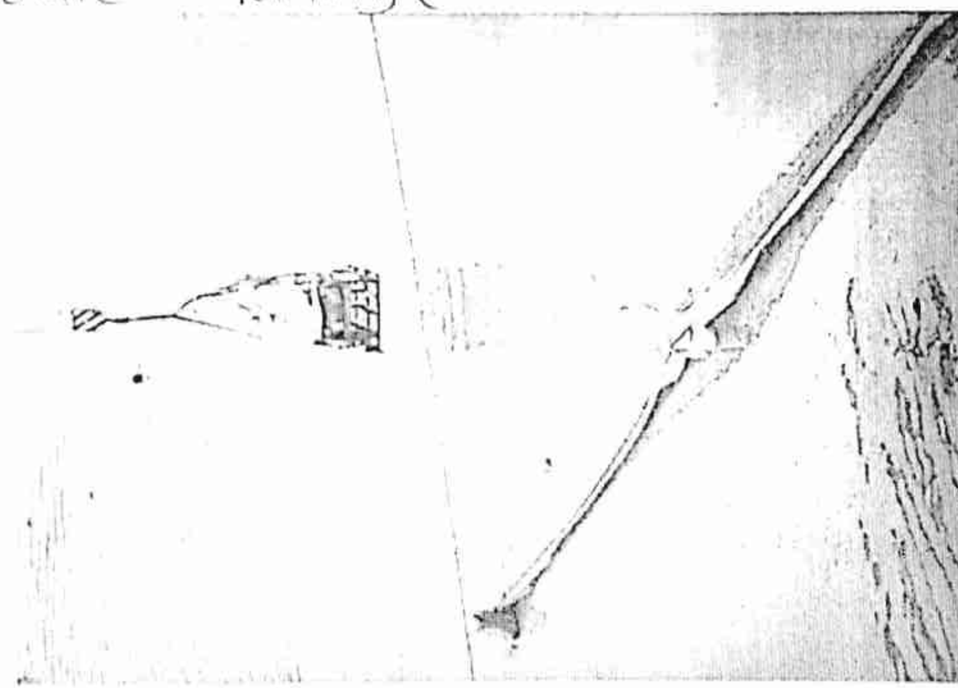

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

e-mail: cecb.robilaspur@gmail.com Ph. No. 07752-261172

क्रमांक 2206 /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019 बिलासपुर, दिनांक : 19/11/2019

प्रति,

सदस्य सचिव,
मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

विषयः– मूर्ति विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विभिन्न विपरीत प्रभावों के रोकथाम एवं मूर्ति विसर्जन के पूर्व एवं पश्चात् जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट भेजने के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भः–
1. मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019
2. मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3897 दिनांक 30.07.2019
3. मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र क्र. 5238 दिनांक 23.09.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में दुर्गोत्सव पर्व के दौरान जल स्त्रोतों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही, अस्थायी कुण्ड के निर्माण के संबंध में जानकारी, विसर्जन के पश्चात् घाटों की साफ–सफाई, जल विश्लेषण रिपोर्ट, ध्वनि मापन की जानकारी आदि फोटोग्राफ सहित संलग्न कर कृपया प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

15/11/19
क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय ,छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर (छ.ग.)

१. दुर्गोत्सव पर्व के दौरान मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही :- मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019 एवं 5238 दिनांक 23.09.2019 के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा दुर्गोत्सव पर्व के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा तैयार मार्गदर्शिका अनुसार मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन के लिए किये गये प्रावधानों का पालन कराने हेतु माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा पारित आदेश में पी.ओ.पी. की मूर्तियों का निर्माण प्रतिबंधित किया गया है एवं निर्धारित अधिकतम उंचाई के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्यक्षेत्र अंतर्गत आने वाले तीनों जिले बिलासपुर, मुंगेली एवं जांजगीर–चांपा के स्थानीय निकायों –नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को उक्त निर्देशों के पालनार्थ पर्व के दौरान मूर्ति विसर्जन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1571, 1573 दिनांक 07.08.2019 एवं पत्र क्रमांक 1728 दिनांक 29.08.2019 के अन्य पत्र प्रेषित किया गया था।

दिनांक 03.09.2019 को क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर एवं नगर पालिक निगम, बिलासपुर की टीम द्वारा पी.ओ.पी. से बनने वाली प्रतिमा निर्माण स्थलों को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मूर्ति निर्माण स्थलों पर प्लास्टर आफ पेरिस (पी.ओ.पी.) से मूर्ति का निमार्ण किया जाना नहीं पाया गया मूर्ति मूर्ति निर्माण हेतु मिट्टी एवं प्राकृतिक रंगों का उपयोग किये जाने हेतु समझाईस दी गई तथा मूर्तिकार को 5 फीट से अधिक ऊंचाई की मूर्तियों का निर्माण नहीं किये जाने की समझाईस दी गई।

२. अस्थायी कुण्ड के निर्माण के संबंध में जानकारी :- अरपा नदी, बिलासपुर के पचरी घाट में नगर पालिक निगम, बिलासपुर द्वारा मूर्ति विसर्जन हेतु अस्थायी पॉण्ड का निर्माण कराया गया। अस्थायी पॉण्ड में सिंथेटिक लाईनर बिछाया गया तथा ग्रीन कर्टन एवं बेरिकेटिंगक कर अरपा नदी से अलग किया गया। अरपा नदी बिलासपुर के छट घाट में नदी के किनारा को ग्रीन कर्टन एवं बेरिकेटिंग कर अलग किया गया था।

३. अरपा नदी के जल विश्लेषण रिपोर्ट :- दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विर्सजन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार मूर्ति विसर्जन के पूर्व दिनांक 07.10.2019, मूर्ति विसर्जन के दौरान दिनांक 09.10.2019 तथा मूर्ति विसर्जन के पश्चात् दिनांक 14.10.2019 को अरपा नदी का निम्न चार स्थलों से जल नमूना एकत्र किया गया। एकत्रित जल नमूनों के विश्लेषण परिणाम संलग्न है।

Scanned by CamScanner

S. No.	Location
1.	Arpa River U/S of Idol Emmerson Spot Near Shiv Mandir Village Sendari Bilaspur.
2.	Arpa River Idol Emmerson Spot Near Pachri Ghat (Kilaward) Bilaspur
3.	Arpa River Idol Emmerson Spot Near Chhath Ghat, Bilaspur
4.	Arpa River Approx 1 K.M. D/S from Idol Emmerson Spot Near Check Dame Deorikurd Bilaspur

३. परिवेशीय ध्वनि स्तर मापन रिपोर्ट :- दुर्गोत्सव दुर्गोत्सव पर्व के दौरान बिलासपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर परिवेशीय ध्वनि स्तर मापन का कार्य दिनांक 07.10.2019 (सामान्य दिवस) एवं 09.10.2019 (विसर्जन दिवस) किया गया। ध्वनि स्तर मापन परिणाम संलग्न है।

३. विसर्जन के पश्चात् अरपा नदी के विसर्जन स्थल की साफ-सफाई :- दिनांक 18.10.2019 को आर. के. अहिरवार, रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर द्वारा मूर्ति विसर्जन स्थल पचरीघाट (किलावार्ड) एवं छठघाट तोरवा बिलासपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समय पचरीघाट (किलावार्ड) वार्ड में नगर पालिक निगम द्वारा निर्मित अस्थाई पॉड तथा छठघाट में मूर्ति विसर्जन हेतु चिन्हांकित स्थल की सफाई कार्य पूर्ण होना पाया गया। मूर्ति विसर्जन स्थलों के समीप नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा मूर्तियों की साज–सज्जा में प्रयुक्त सामग्री के संग्रहण हेतु पृथक से कन्टेनर की व्यवस्था देखी गयी। निरीक्षण समय दोनों विसर्जन स्थलों में मूर्ति अवशेष अवलोकित नहीं हुये। मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ–सफाई पूर्ण होने संबंधी फोटोग्राफ्स की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्तानुसार जानकारी कृपया प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

आर. के. अहिरवार, रसायनज्ञ
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर

Scanned by CamScanner

List of Idol Immersion Water Sample

Sr. No.	Description Of Sample	Date Of Sample Collection	Analysis Report No.
01.	**Before Goddess Durga Idol Immersion:-** 1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village- Sendari Bilaspur 2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat 3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat 4- Approx 1 Km. downstream from immersion spot. (near Check dam) Deorikhurd	07.10.2019	571
02.	**During Goddess Durga Idol Immersion:-** 1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village- Sanderi Bilaspur 2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat 3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat 4- Approx 1 Km. down stream from immersion spot (Near Check dam) Deorikhurd	09.10.2019	572
03.	**After Goddess Durga Idol Immersion:-** 1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village- Sanderi Bilaspur 2- Arpa River Water from the immersion spot near Pachari Ghat 3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat 4- Approx 1 Km. downstream from immersion spot (Nsear Check dam) Deorikhurd	14.10.2019	573

Asstt.Eng.
CECB, Bilaspur

Scanned by CamScanner

Analysis Report No. 571

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

NATURAL WATER ANALYSIS REPORT DURING DURGA PUJA FASTIVAL

SAMPLE COLLECTED FROM	:	Arpa River, Bilaspur	**Pre-Immersion**

DESCRIPTION OF SAMPLE :
1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sendari Bilaspur
2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat
3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat
4- Approx 1 Km. downstream from immersion spot (near Check dam) Deorikhurd

DATE OF COLLECTION	:	07.10.2019
DATE OF RECEIVED	:	07.10.2019
DATE OF ANALYSIS	:	07.10.2019
SAMPLE COLLECTED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist
ANALYSED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist

S No.	Characteristics	Unit	Result 1	Result 2	Result 3	Result 4
25.	Temperature	^{0}C	29.0	29.5	29.5	30.0
26.	Appearance	-	Clear	S. Turbid	Turbid	S. Turbid
27.	Odour	-	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
28.	pH	pH Unit	8.0	8.5	8.5	8.5
29.	Turbidity	NTU	70.0	90.0	102.0	76.0
30.	Sp. Conductivity	µS/cm	364.0	400.0	403.0	378.0
31.	Total Solids	Mg/L	348.0	398.0	416.0	366.0
32.	T. Dissolved Solids	--,,--	260.0	286.0	288.0	270.0
33.	Suspended Solids	--,,--	88.0	112.0	128.0	96.0
34.	Dissolved oxygen (DO)	--,,--	6.4	5.8	5.9	6.0
35.	B.O.D (3day 27^{0}C)	--,,--	2.9	3.0	3.4	3.0
36.	C.O.D.	--,,--	48.0	56.0	60.0	52.0

Chemist | Scientist | Ch. Chemist

Scanned by CamScanner

Analysis Report No. 572

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

NATURAL WATER ANALYSIS REPORT DURING DURGA PUJA FASTIVAL

SAMPLE COLLECTED FROM	:	Arpa River, Bilaspur **During-Immersion**
DESCRIPTION OF SAMPLE : 1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sendari Bilaspur 2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat 3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat 4- Approx 1 Km. down stream from immersion spot (near Check dam) Deorikhurd		
DATE OF COLLECTION	:	09.10.2019
DATE OF RECEIVED	:	09.10.2019
DATE OF ANALYSIS	:	09.10.2019
SAMPLE COLLECTED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist
ANALYSED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist

S No.	Characteristics	Unit	Result 1	Result 2	Result 3	Result 4
37.	Temperature	^{0}C	29.0	30.0	30.0	29.5
38.	Appearance	-	Clear	S.Turbid	Turbid	S.Turbid
39.	Odour	-	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
40.	pH	pH Unit	8.0	8.5	8.5	8.0
41.	Turbidity	NTU	78.0	126.0	148.0	102.0
42.	Sp. Conductivity	μS/cm	378.0	420.0	432.0	390.0
43.	Total Solids	Mg/L	368.0	458.0	494.0	406.0
44.	T. Dissolved Solids	--,,--	270.0	300.0	308.0	278.0
45.	Suspended Solids	--,,--	98.0	158.0	186.0	128.0
46.	Dissolved oxygen (DO)	--,,--	6.2	5.6	5.5	5.9
47.	B.O.D (3day 27^{0}C)	--,,--	3.0	3.2	3.3	3.1
48.	C.O.D.	--,,--	52.0	60.0	64.0	56.0

Chemist Scientist Ch. Chemist

Scanned by CamScanner

Analysis Report No. 573

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

NATURAL WATER ANALYSIS REPORT AFTER DURGA PUJA FASTIVAL

SAMPLE COLLECTED FROM	:	Arpa River, Bilaspur **After-Immersion**

DESCRIPTION OF SAMPLE :
1- Up Stream of Arpa River near Shiv Mandir Village-Sanderi Bilaspur
2- Arpa River Water from the immersion spot near PachariGhat
3- Arpa River Water from the immersion spot near ChhathGhat
4- Approx 1 Km. down stream from immersion spot (near Check dam) Deorikhurd

DATE OF COLLECTION	:	14.10.2019
DATE OF RECEIVED	:	14.10.2019
DATE OF ANALYSIS	:	14.10.2019
SAMPLE COLLECTED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist
ANALYSED BY	:	R.K. Ahirwar, Chemist

S No.	Characteristics	Unit	Result 1	Result 2	Result 3	Result 4
37.	Temperature	^0C	31.0	30.5	30.5	30.0
38.	Appearance	-	Clear	S.Turbid	S.Turbid	S.Turbid
39.	Odour	-	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
40.	pH	pH Unit	8.0	8.5	8.5	8.5
41.	Turbidity	NTU	76.0	124.0	144.0	96.0
42.	Sp. Conductivity	µS/cm	376.0	414.0	417.0	384.0
43.	Total Solids	Mg/L	364.0	450.0	478.0	394.0
44.	T. Dissolved Solids	--,,--	268.0	296.0	298.0	274.0
45.	Suspended Solids	--,,--	96.0	154.0	180.0	120.0
46.	Dissolved oxygen (DO)	--,,--	6.1	5.7	5.5	6.0
47.	B.O.D (3day 27^0C)	--,,--	3.0	3.1	3.2	3.0
48.	C.O.D.	--,,--	52.0	56.0	60.0	52.0

Chemist Scientist Ch. Chemist

Scanned by CamScanner

(21)

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

Sound Monitoring Report - Durring Durgotshav

Date of Monitoring	:	**07.10.2019**
Location	:	**Bilaspur City in Normal Day**
Monitoredy By	:	**R.K. Ahirwar Chemist,**

Sr. No.	Time	Location	Zone	Noise Level dB(A)		
				L_{min}	L_{max}	Leq
1.	3.15 PM	VYAPAR VIHAR	C	53.3	60.4	57.5
2.	3.25 PM	TITALI CHOWK RLY. COLONY	C	52.2	65.7	54.4
3.	3.35 PM	TORWA NAKA OLD POWER HOUSE	R	65.0	69.2	67.7*
4.	3.40 PM	DEVRI KHURD CHOWK	R	56.3	65.5	59.8*
5.	4.30 PM	CHECK DAM DEVRIKHURD	R	50.2	60.3	55.6*
6.	4.45 PM	GURUNANAK DEV CHOWK	C	69.2	76.8	71.0*
7.	4.50 PM	DHAN MANDI CHOWK	R	71.2	75.1	73.5*
8.	5.00 PM	CHHAT GHAT OVERBRIDGE	R	51.8	76.2	55.6*
9.	5.10 PM	CHHAT GHAT	R	69.0	77.0	75.0*
10.	5.30 PM	DAYALBAND CHOWK	C	63.3	65.5	64.1
11.	5.40 PM	HATRI CHOWK	C	66.9	76.3	73.1*
12.	6.00 PM	BILASA CHOWK	C	56.6	79.2	69.0*
13.	6.10 PM	PACHRI GHAT	R	62.5	69.7	61.2*
14.	6.45 PM	VALMIKI CHOWK SANICHARI	C	65.0	68.1	67.2*
15.	7.00 PM	RIVER VIEW POINT	C	70.5	79.4	75.5*
16.	7.10 PM	DEVKI NANDAN CHOWK	C	63.4	70.0	66.2*
17.	7.15 PM	NEHRU CHOWK	C	65.1	68.3	67.4*
18.	7.20 PM	MAHAMAYA CHOWK	C	63.6	71.1	66.5*
19.	7.40 PM	SENDARI VILLEGE	R	40.4	51.2	49.3
20.	8.30 PM	JARHABHATA CHOWK	C	65.3	69.2	67.8*
21.	8.35 PM	RAJIV GANDHI CHOWK	C	66.1	77.8	69.1*
22.	8.40 PM	MAHARANA PRATAP CHOWK	C	64.2	69.8	67.2*

Prescribed Limit Residential Zone (R): - Day Time from 6 am to 10 pm - 55 dB(A)
Night Time fromj 10 pm to 6am - 45 dB(A)
Prescribed Limit Commercial Zone(C): - Day Time from 6 am to 10 pm - 65 dB(A)
Night Time fromj 10 pm to 6am - 55 dB(A)

Remark :- Noise level (*) at all location (Residential & Commercial Zone) found above prescribed standard during Goddess Durga Idol Immersion due to DJ and other Sound instruments.

Chemist　　　　Scientist　　　　Ch. Chemist

Scanned by CamScanner

(22)

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
BILASPUR (C.G.)

Sound Monitoring Report - Durring Durgotshav

Date of Monitoring	:	**09.10.2019**
Location	:	**Bilaspur City, During Goddess Durga Idol Immersion**
Monitoredy By	:	**R.K. Ahirwar Chemist, Jitendra singh Chemist**

Sr. No.	Time	Location	Zone	Noise Level dB(A)		
				L_{min}	L_{max}	Leq
1.	4.20 PM	VYAPAR VIHAR	C	54.1	62.6	59.7
2.	4.30 PM	TITALI CHOWK RLY. COLONY	C	53.7	67.9	55.6
3.	4.40 PM	TORWA NAKA OLD POWER HOUSE	R	68.6	73.8	70.3*
4.	5.00 PM	DEVRI KHURD CHOWK	R	60.0	66.0	62.8*
5.	5.05 PM	CHECK DAM DEVRIKHURD	R	53.3	61.4	59.4*
6.	5.20 PM	GURUNANAK DEV CHOWK	C	71.8	78.0	72.8*
7.	5.25 PM	DHAN MANDI CHOWK	R	75.1	77.5	76.4*
8.	5.30 PM	CHHAT GHAT OVERBRIDGE	R	53.1	77.6	53.1
9.	5.45 PM	CHHAT GHAT	R	73.0	87.1	78.0*
10.	6.30 PM	DAYALBAND CHOWK	C	65.6	68.1	66.3*
11.	7.00 PM	HATRI CHOWK	C	69.3	80.2	74.8*
12.	7.30 PM	BILASA CHOWK	C	58.8	85.5	85.5*
13.	7.45 PM	PACHRI GHAT	R	64.4	74.8	64.4*
14.	8.15 PM	VALMIKI CHOWK SANICHARI	C	67.2	70.1	70.8*
15.	8.25 PM	RIVER VIEW POINT	C	74.1	82.9	78.6*
16.	8.30 PM	DEVKI NANDAN CHOWK	C	65.7	72.0	68.6*
17.	8.40 PM	NEHRU CHOWK	C	68.9	71.2	69.0*
18.	8.45 PM	MAHAMAYA CHOWK	C	65.1	75.0	65.1*
19.	9.00 PM	SENDARI VILLEGE	R	48.9	60.9	50.7
20.	9.45 PM	JARHABHATA CHOWK	C	67.8	71.4	69.1*
21.	9.50 PM	RAJIV GANDHI CHOWK	C	66.4	78.3	67.2*
22.	10.00 PM	MAHARANA PRATAP CHOWK	C	65.5	70.6	66.4*

Prescribed Limit Residential Zone (R): - Day Time from 6 am to 10 pm - 55 dB(A)
Night Time fromj 10 pm to 6am - 45 dB(A)

Prescribed Limit Commercial Zone(C): - Day Time from 6 am to 10 pm - 65 dB(A)
Night Time fromj 10 pm to 6am - 55 dB(A)

Remark :- Noise level (*) at all location (Residential & Commercial Zone) found above prescribed standard during Goddess Durga Idol Immersion due to DJ and other Sound instruments.

Chemist Scientist Ch. Chemist

Scanned by CamScanner

अरपा नदी पचरीघाट बिलासपुर विसर्जन पूर्व (दुर्गा मूर्ति विसर्जन)

Scanned by CamScanner

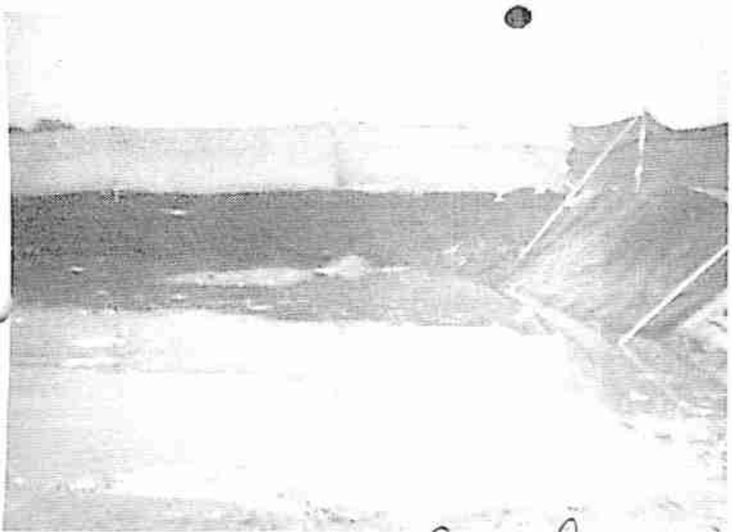

अरपा नदी पचरीघाट - मूर्ति विसर्जन स्थल

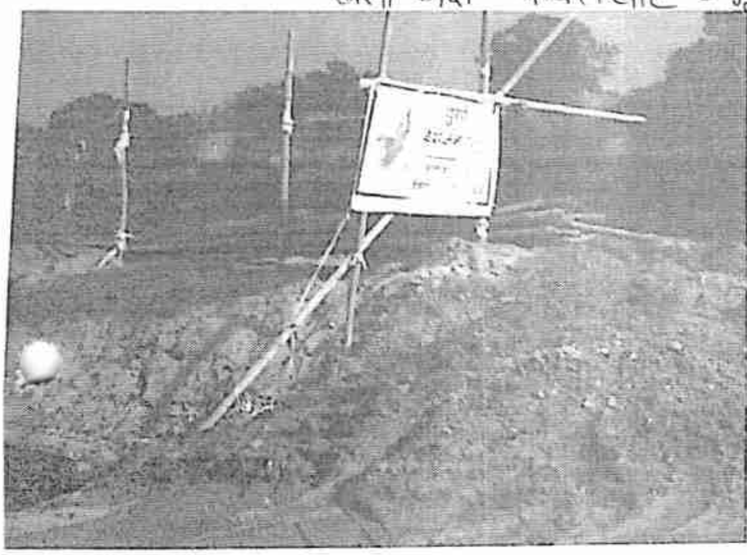

Scanned by CamScanner

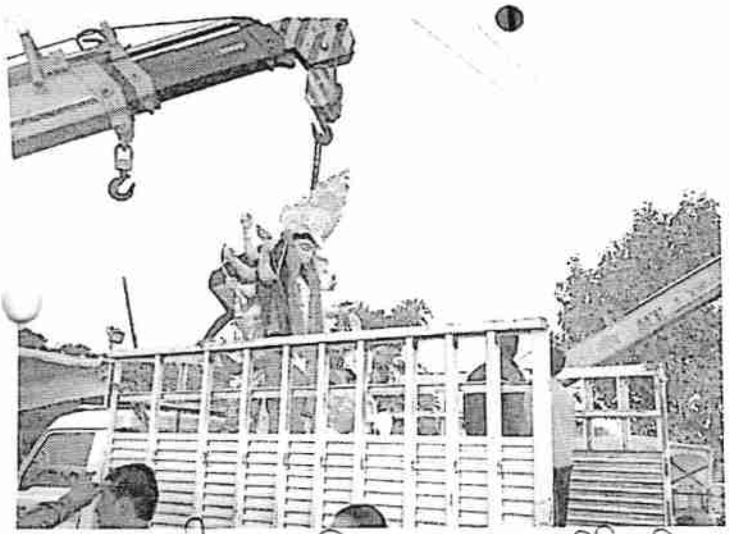

पचरीघाट बिलासपुर - मूर्ति विसर्जन स्थल - छठ घाट बिलासपुर

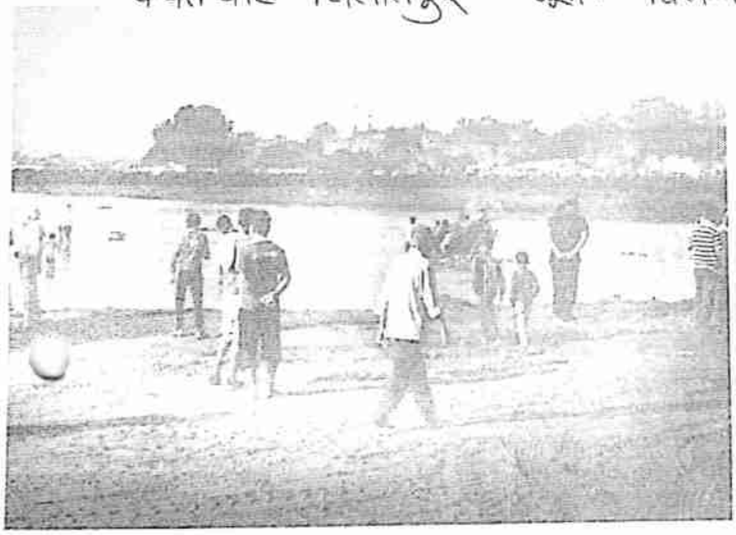

Scanned by CamScanner

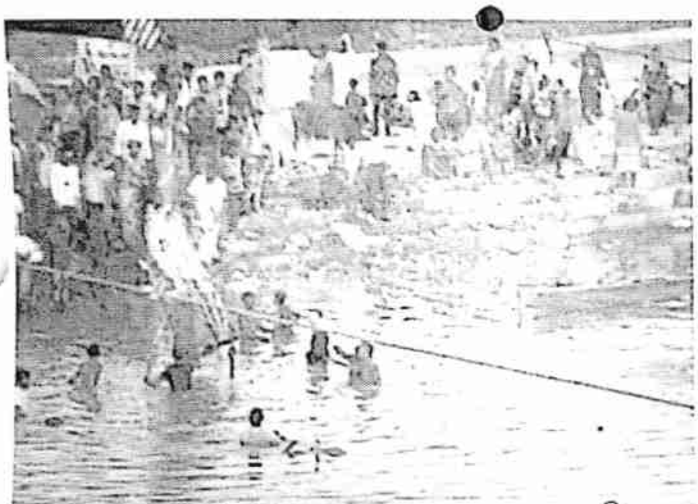

अरपा नदी मूर्ति विसर्जन स्थल छठ घाट बिलासपुर

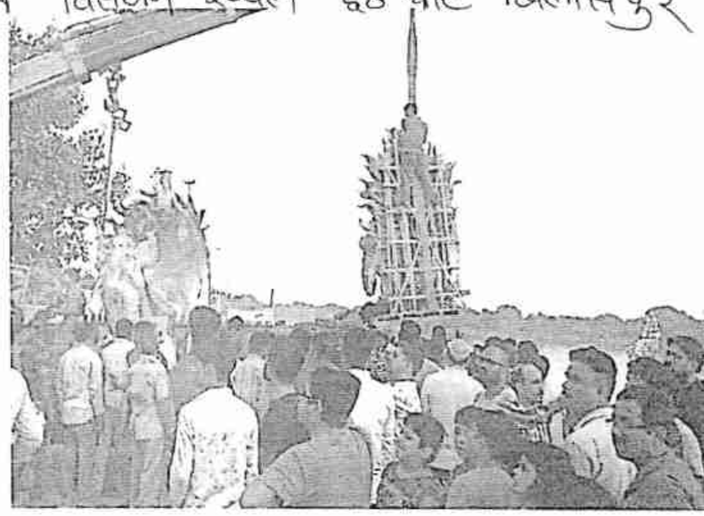

Scanned by CamScanner

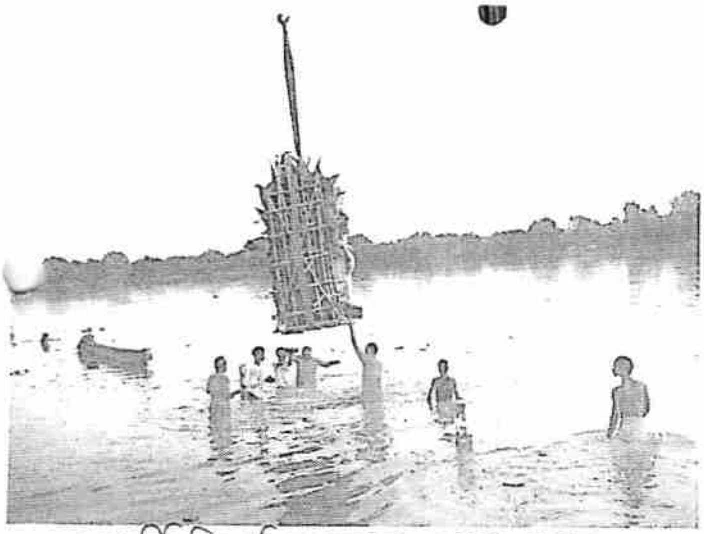

मूर्ति विसर्जन स्थल - छठ घाट

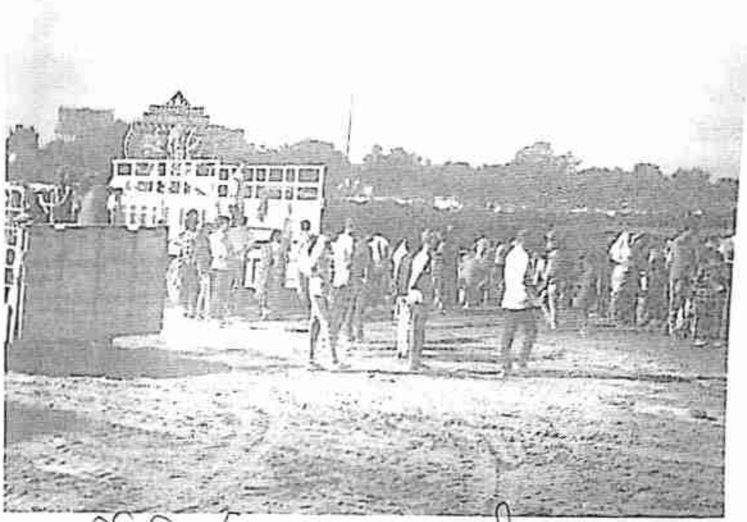

मूर्ति विसर्जन स्थल पचरीघाट

Scanned by CamScanner

विसर्जन उपरांत - दह घाट

विसर्जन उपरांत - पचरीघाट

Scanned by CamScanner

मूर्ति विसर्जन स्थल की सफाई

पचरीघाट

पचरीघाट

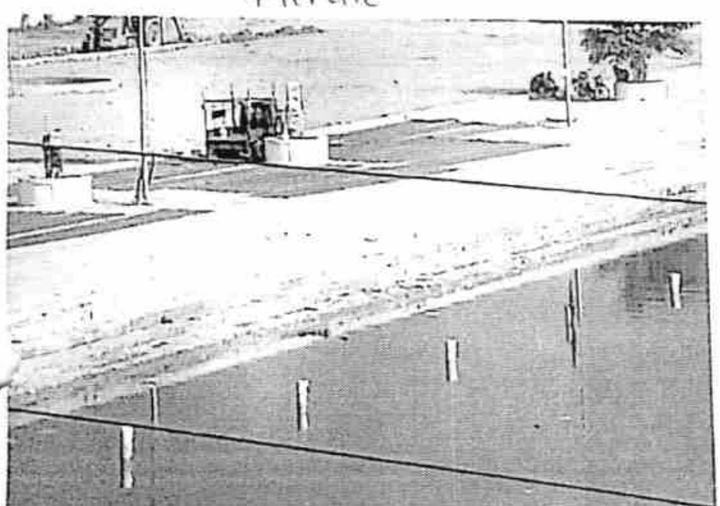

छठ घाट

पचरीघाट

Scanned by CamScanner

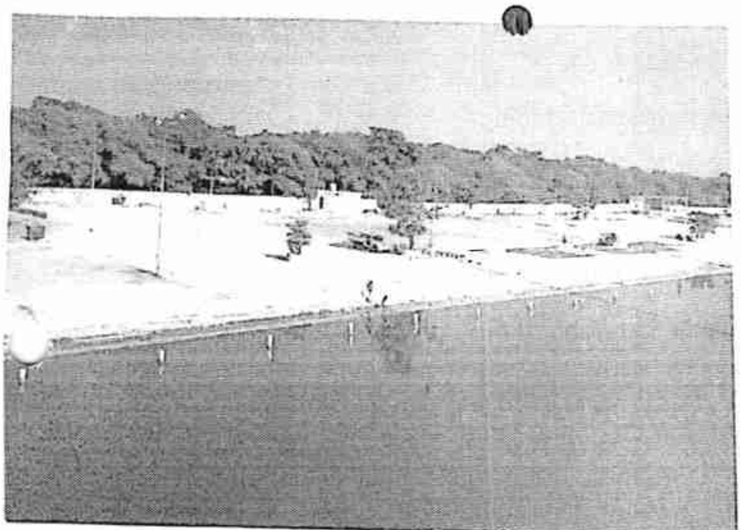

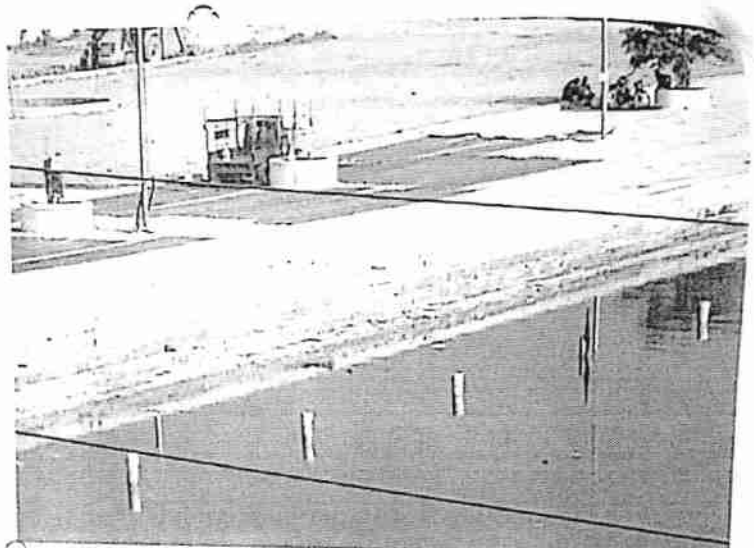

मूर्ति विसर्जन स्थल की सफाई - छठ घाट बिलासपुर

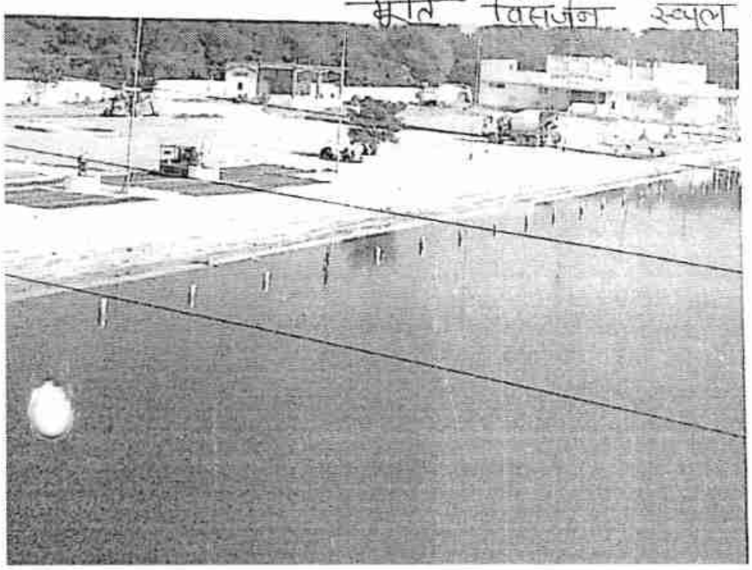

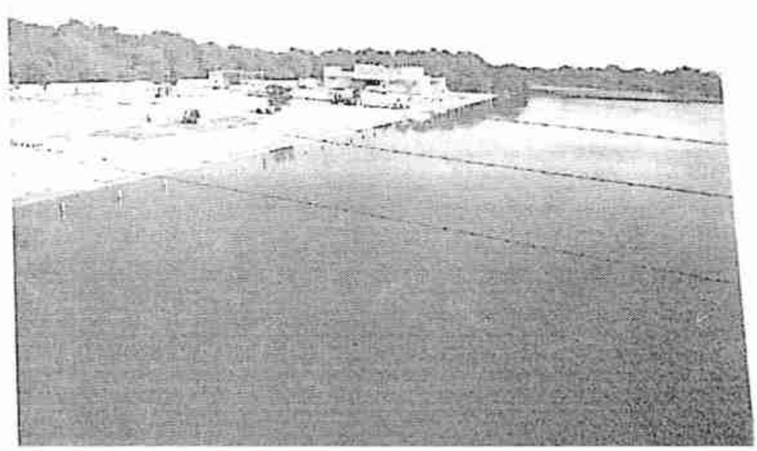

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)
e-mail: cecb.robilaspur@gmail.com, Ph. No. 07752-261172

क्रमांक /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019 बिलासपुर, दिनांक

9305
16/9/19

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

....,

जिला– .... (छ.ग.)

विषय– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भ– 1. मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1571 दिनांक 07.08.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 02 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसा कि आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अतः कृपया सुनिश्चित करे कि :–

1. **मूर्तियों का विसर्जन केवल विसर्जन कुंडों में ही किया जाये। इस हेतु आपके द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन अस्थाई/स्थायी कुण्डों की जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।**
2. **किसी भी स्थिति में प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों की ब्रिकी/स्थापना न की जावें।**

उपरोक्त हेतु आवश्यक कार्यवांही का अनुरोध है।

मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की प्रति पूर्व में प्रेषित की गई है।

पुनः आपके सूचनार्थ गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पॉड/बन्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाये। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुंच मार्ग, सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुनःउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।

क्रमशः 2...

4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जायें।

5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुनःउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू–भराव इत्यादि में किया जावें।

6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियॉ प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जायें।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियो का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये है। अतः इन निर्देशों एवं गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश के अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

उपरोक्त के संदर्भ में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के द्वारा उपरोक्त के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। तत्संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः शीध्र कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर, दिनांक 29/08/2019

पृ. क्रमांक 1729 /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019
प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर/जांजगीर–चांपा/मुंगेली (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं सर्वसंबंधितों को निर्देशार्थ कृपया प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

C.C. SO Smt Singh 18/9/19

सूची :– जिला–बिलासपुर

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, तिफरा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कोटा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, रतनपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पेण्ड्रा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
7. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत गौरेला, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत बोदरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत मल्हार, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
10. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सिरगिट्टी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
11. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सकरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

जिला–मुंगेली

12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुंगेली, जिला–मुंगेली (छ.ग.)
13. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत लोरमी, जिला–मुंगेली (छ.ग.)
14. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.)
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सरगांव, जिला–मुंगेली (छ.ग.)

जिला–जांजगीर–चांपा

16. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चांपा, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
17. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैला–जांजगीर, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
18. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद अकलतरा, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
19. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सक्ती, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
20. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत अडभार, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
21. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत बलौदा, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
22. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत नया बाराद्वार, जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
23. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत खरौद, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
24. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत शिवरीनारायण, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
25. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत जैजैपुर, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
26. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत डभरा, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
27. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत चन्द्रपुर, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
28. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
29. नगर पंचायत सारागांव, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
30. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत नवागढ़, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)
31. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत राहौद, जिला–जॉजगीर–चांपा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर जिला जॉजगीर–चॉपा छ.ग.

—:ज्ञापन:—

क्रमांक /12894 जि.श.वि.अ.शाखा / 2019 जॉजगीर दिनॉक 07 08.2019

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका / नगर पंचायत
सर्व ....
जिला जॉजगीर–चॉपा

HO C.G. Environment Conservation Board, Atal Nagar, Distt. Raipur (C.G.)
9213
07/9/19

विषय :– मूर्तियो के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतो की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावो की रोकथाम के संबंध मे दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भ :– छ.ग. पर्यावरण मंडल पर्यावास भवन नार्थ ब्लाक सेक्टर 19 नया रायपुर के द्वारा प्राप्त पत्र क./3896/मुख्या./वैज्ञा./2019 अटल नगर रायपुर दिनॉक 30.07.2019

——0000——

संदर्भित पत्र का अवलोकन करे।

विषयांतर्गत छ.ग. पर्यावरण मंडल रायपुर के द्वारा मूर्तियो के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतो की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावो की रोकथाम के संबंध मे दिशा–निर्देश प्राप्त हुआ है। जिसकी छायाप्रति आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया दिये गये दिशा निर्देश को पढ़े एवं दी गई निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

डिप्टी कलेक्टर
हेतु/–कलेक्टर जॉजगीर–चॉपा
07

पृ.क्रमांक /12895/ जि.श.वि.अ.शाखा / 2019 जॉजगीर दिनॉक 07 08.2019

प्रतिलिपि :–

छ.ग. पर्यावरण मंडल पर्यावास भवन नार्थ ब्लाक सेक्टर 19 अटल नगर नया रायपुर को संदर्भित पत्र के तारतम्य मे सादर सूचनार्थ।

डिप्टी कलेक्टर
हेतु/–कलेक्टर जॉजगीर–चॉपा
07

5/9/19
550
12/09/19

मुख्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

03 AUG 2019
अधीक्षक

क्रमांक 3806 / मुख्या. / वैज्ञा. / छ.ग.प.सं.मं. / 2019 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30/07 / 2019

प्रति,

2885/A
06/08/19

1. कलेक्टर
   जिला ....जांजगीर चांपा.... (छ.ग.)
2. आयुक्त, नगर निगम ....
   जिला .... (छ.ग.)

विषय :– मूर्तियो के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतो की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावो की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भ :–
1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, का पृ.पत्र क. 237 दिनांक 16 / 09 / 2015.
2. मंडल मुख्यालय का पत्र क. 2135 दिनांक 11 / 07 / 2016.
3. मंडल मुख्यालय का पत्र कमांक 824 दिनांक 01 / 06 / 2017.
4. मंडल मुख्यालय का पत्र कमांक 2770 दिनांक 03 / 07 / 2018.

----:00:----

जैसा कि आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतो की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतो को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन जिसकी छायाप्रति पूर्व में भेजी गई थी। गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉंड / बन्ड / अस्थाई पॉंड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों मे पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉंड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे मान. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर, आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगो को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण

हेतु [illegible]
[illegible] न किया जाय।

5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त बैरीकेटिंग व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर मोटा सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाय तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बांस, लकड़िया पुनरुपयोग की जावें एवं मिट्टी का भू–भराव इत्यादि में किया जावें।

6. यह सुनिश्चित किया जाय कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जायें। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं हार्ड बेक्ड के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊँचाई 5 फीट से अधिक न हो सुनिश्चित किया जाय।

उल्लेखनिय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर गाईडलाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये है।

इस संबंध में पूर्व में भी प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 236 दिनांक 16/09/2015 के माध्यम से सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा गया है। मंडल द्वारा भी संदर्भ क्रमांक 02 के माध्यम से संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर को पत्र लिखा गया है। मूर्तियों को विसर्जन केवल विसर्जन कुंडों में ही किया जाये। इस हेतु आप गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /मुख्या./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.म./2019 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक / /2019

प्रतिलिपि:– क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग–भिलाई/कोरबा/रायगढ़/अंबिकापुर/जगदलपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप जिला प्रशासन एवं स्थानीय संस्थाओ के अधिकारियो के साथ मिलकर गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)
e-mail: cecb.robilaspur@gmail.com, Ph. No. 07752-261172

क्रमांक /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019 बिलासपुर, दिनांक

8611
19/08/19

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

....

जिला– .... (छ.ग.)

विषय– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भ– मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019

कृपया मंडल मुख्यालय के संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसा कि आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतो को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की प्रति पूर्व में प्रेषित की गई है। गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पॉड/बन्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाये। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुंच मार्ग, सहित बनाने हेतु पूव्र से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुनःउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जायें।
5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुनःउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू–भराव इत्यादि में किया जावें।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियॉ प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जायें।

C.C.

क्रमशः 2

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये है। अतः इन निर्देशों एवं गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश के अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

मूर्तियों का विसर्जन केवल विसर्जन कुंडों में ही किया जाये। इस हेतु आपके द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन अस्थाई/स्थायी कुण्डों की प्रगति से शीघ्र इस कार्यालय को अवगत करायें। ताकि मंडल मुख्यालय को जानकारी प्रेषित किया जा सके।

इसे अति आवश्यक समझें एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर, दिनांक 07/08/2019

पृ. क्रमांक 1572/क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019
प्रतिलिपि:–

1. सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर/जांजगीर–चांपा/मुंगेली (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं सर्वसंबंधितों को निर्देशार्थ कृपया प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर

क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)
e-mail: cecb.robilaspur@gmail.com, Ph. No. 07752-261172

क्रमाक /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019 बिलासपुर, दिनांक:

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

कलेक्टर महोदय,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

कलेक्टर महोदय,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

विषय– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भ– मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3897 दिनांक 30.07.2019

कृपया मंडल मुख्यालय के संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसा कि आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतो को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की प्रति पूर्व में प्रेषित की गई हैं। गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पॉड/बन्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाये। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुंच मार्ग, सहित बनाने हेतु पूव्र से ही निर्देश यि गये हैं, जिन्हे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल, कपडे, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुनःउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जायें।

क्रमशः 2

C/C.

F:\My Document\SCINTIST\SKV Lab Doc\Murti Visarian 02\Murti Visarian S.K.V..Docx

5 मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुनःउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में किया जावें।

6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियॉ प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जायें।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियो का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये है।

इस संबंध में पूर्व में भी प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का पत्र पृ. क्र. 236 दिनांक 16/09/2015 के माध्यम से सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा गया है। मंडल द्वारा भी पत्र क्रमांक 2135 दिनांक 11.07.2016 के माध्यम से संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर को पत्र लिखा गया है। **मूर्तियों का विसर्जन केवल विसर्जन कुंडों में ही किया जाये।**

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार बैठक आहूत करने एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा जारी आदेश एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य संपादित किये जाने बाबत् सर्वसंबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सलग्नः- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर, दिनांक 07/08/2019

पृ. कमांक 1576 /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019

प्रतिलिपिः- 1. सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक महोदय, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-बिलासपुर/जांजगीर-चांपा/मुंगेली (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर

क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)
e-mail: cecb.robilaspur@gmail.com, Ph. No. 07752-261172

क्रमांक /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019 बिलासपुर, दिनांक

8610
19/08/19

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, बिलासपुर
जिला– बिलासपुर (छ.ग.)

विषय– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

सदर्भ– मंडल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. 3895 दिनांक 30.07.2019

कृपया मंडल मुख्यालय के संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसा कि आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतो को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की प्रति पूर्व प्रेषित की गई है। गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पॉड/बन्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामाग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाये। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुंच मार्ग, सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2 विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुनःउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जायें।

1. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकडियां पुनःउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू–भराव इत्यादि में किया जावें।
2. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियॉ प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जायें।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियो का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये है। अतः इन निर्देशों एवं गाईड लाईन का कडाई से पालन सुनिश्चित करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश के अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

मूर्तियों का विसर्जन केवल विसर्जन कुंडों में ही किया जाये। इस हेतु आपके द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन अस्थाई/स्थायी कुण्डों की प्रगति से शीघ्र इस कार्यालय को अवगत करायें। ताकि मंडल मुख्यालय को जानकारी प्रेषित किया जा सके।

इसे अति आवश्यक समझें एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर, दिनांक 07/08/2019

पृ. क्रमांक 1574 /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2019

प्रतिलिपि:–

1. सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर/जांजगीर–चांपा/मुंगेली (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं सर्वसंबंधितों को निर्देशार्थ कृपया प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर

संलग्नक - 3

क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
ई मेल आई.डी.– ro_bhilai@rediffmail.com फोन नं.–0788-2242964

क्रमांक 1648/क्षेकार्या/छपसमं/दुर्ग/2019 दिनांक 24/9/19

प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।

विषय :– मूर्ति के विसर्जन के संबंध में कार्यवाही विवरण भेजने बाबत्।

संदर्भ :– 1. बोर्ड मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र दिनांक 03.08.2018
2. इस कार्यालय का पत्र कमांक 1209 दिनांक 06.06.2019

–::0::–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र कमांक 02 के माध्यम से मूर्ति विसर्जन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जिला दुर्ग/राजनांदगांव/ बालोद /बेमेतरा/कबीरधाम कलेक्टर एवं नगर पालिक निगम, दुर्ग, भिलाई, चरोदा भिलाई–3 एवं राजनांदगांव तथा अन्य नगरीय निकायों को गाईड लाइन उपलब्ध कराकर गाइड लाइन अनुसार विसर्जन कुण्ड निर्मित करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया था। इस कार्यालय द्वारा गणेश मूर्ति विसर्जन के पूर्व "मूर्ति विसर्जन के दौरान" एवं विसर्जन उपरांत (1) तालपुरी तालाब, भिलाई, दुर्ग (2) शिवनाथ नदी, गुरूद्वारा के पास, पुलगॉव, दुर्ग (3) शिवनाथ नदी वाटर सप्लाई इंटेकवेल पाईंट के समीप निर्मित अस्थाई विसर्जन कुण्ड, राजनांदगांव में निर्धारित बिन्दुओं पर जहां विसर्जन किया गया, उक्त बिन्दुओं पर सेम्पलिंग किया गया। जिसका विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है। उस स्थान पर स्थानीय प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था एवं विसर्जन उपरांत अवशेष को निकालने का प्रबंध किया था। नगर निगम, दुर्ग द्वारा शिवनाथ नदी, गुरूद्वारा के पास, पुलगॉव के पास पूजन सामाग्री हेतु पृथक रूप से बिन रखा गया था। जिसमें पूजन सामाग्री एकत्र किया जा रहा था एवं मूर्ति विसर्जन के उपरांत मूर्ति के अवशेष को तालाब के बाहर निकाला गया। उल्लेखनीय है कि तीनों विसर्जन स्थल के अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन द्वारा शहरों के अलग अलग क्षेत्र में विसर्जन स्थल चिन्हित किये गए थे।

सितम्बर माह में यदा कदा वर्षा होने के कारण नदी में जल स्तर अधिक था एवं जल का बहाव बना हुआ था। अतः विसर्जन का विशेष दुष्प्रभाव अवलोकित नहीं किया गया।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

Analysis No. - 250

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Talpuri Talab, Bhilai, Durg **(Before Idol Emersion of Shri Ganeshji)**
Description of Sample : Talab Water
Date of Collection : 07.09.2019
Date of Receipt : 07.09.2019
Date of Analysis : 07.09.2019
Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)
& S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^{0}C	27.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Odourless
4.	pH	-	7.81
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	µ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	-
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	-
9.	Total Solid	mg/lit	360.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	270.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	90.0
12.	B O D (3days at 27^{0}C)	mg/lit	8.0
13.	C O D	mg/lit	57.6
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	7.4

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Patel

Chemist **Scientist** **Chief Chemist**

Analysis No. - 251

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From	: River Sheonath, Near Gurudwara, (Durg- Rajnandgaon Road Bridge), Durg **(Before Idol Emersion of Shri Ganeshji)**
Description of Sample	: River Water
Date of Collection	: 07.09.2019
Date of Receipt	: 07.09.2019
Date of Analysis	: 07.09.2019
Sample Collected By	: S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^0C	26.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Odourless
4.	pH	-	7.54
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	µ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	-
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	-
9.	Total Solid	mg/lit	360.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	290.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	70.0
12.	B O D (3days at 27^0C)	mg/lit	2.0
13.	C O D	mg/lit	28.8
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	7.6

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Patel
Chemist

Scientist

Chief Chemist

Analysis No. -252

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : River Sheonath at Rajnandgaon **(Before Idol Emersion of Shri Ganeshji)**
Description of Sample : 1. Mruti Kund Water
2. Water Supply Intake well Point
Date of Collection : 07.09.2019
Date of Receipt : 07.09.2019
Date of Analysis : 07.09.2019
Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result (1)	Result (2)
1.	Temperature	^0C	26.0	27.0
2.	Appearance	NTU	Clear	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Odourless	Odourless
4.	pH	-	7.62	7.64
5.	Turbidity	NTU	-	
6.	Specific Conductivity	µ Mhos	-	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml		
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml		
9.	Total Solid	mg/lit	330.0	380.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	270.0	210.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	60.0	80.0
12.	B O D (3days at 27^0C)	mg/lit	1.8	2.0
13.	C O D	mg/lit	28.8	38.4
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	7.8	7.6

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Chemist **Scientist** **Chief Chemist**

Analysis No. - 253

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Talpuri Talab, Bhilai , Durg **(During Idol Emersion of Shri Ganeshji)**
Description of Sample : 10 Meter away from Idol Emerson Point
Date of Collection : 12.09.2019
Date of Receipt : 12.09.2019
Date of Analysis : 12.09.2019
Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^0C	27.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	5.82
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	µ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	2400
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	5
9.	Total Solid	mg/lit	510.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	340.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	170.0
12.	B O D (3days at 27^0C)	mg/lit	12.0
13.	C O D	mg/lit	118.56
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	5.6

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Chemist **Scientist** **Chief Chemist**

Analysis No. - 254

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : River Sheonath, Near Gurudwara, (Durg- Rajnandgaon Road Bridge), Durg
(During Idol Emersion of Shri Ganeshji)
Description of Sample : 50 Meter Away from Idol Emersion Point)
Date of Collection : 12.09.2019
Date of Receipt : 12.09.2019
Date of Analysis : 12.09.2019
Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^0C	26.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	6.3
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	32
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	02
9.	Total Solid	mg/lit	430.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	310.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	120.0
12.	B O D (3days at 27^0C)	mg/lit	2.4
13.	C O D	mg/lit	59.28
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.3

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Chemist **Scientist** **Chief Chemist**

Analysis No. -255

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.),

Sample Collected From	: River Sheonath at Rajnandgaon **(During Idol Emersion of Shri Ganeshji)**
Description of Sample	: 1. Murti Kund 2. River Sheonath
Date of Collection	: 12.09.2019
Date of Receipt	: 12.09.2019
Date of Analysis	: 12.09.2019
Sample Collected By	: S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.

S.No.	Characteristics	Unit	Result (1)	Result (2)
1.	Temperature	^0C	27.0	26.0
2.	Appearance	NTU	Turbid	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant	Unpleasant
4.	pH	-	3.4	7.2
5.	Turbidity	NTU	-	
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	2934.0	321.0
7.	Total Coli form	MPN/100 ml		-
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml		-
9.	Total Solid	mg/lit	4065.0	310.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	3285.0	240.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	780.0	70.0
12.	B O D (3days at 27^0C)	mg/lit	165.0	2.0
13.	C O D	mg/lit	1196.08	39.52
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	Nil	6.8

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Chemist **Scientist** **Chief Chemist**

Analysis No. -256

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From	: Talpuri Talab, Bhilai , Durg (**After Idol Emersion of Shri Ganeshji**)
Description of Sample	: Talab Water
Date of Collection	: 13.09.2019
Date of Receipt	: 13.09.2019
Date of Analysis	: 13.09.2019
Sample Collected By	: G.P.Patel (Lab Astt. G-2), V.B.Singh (Lab Att.) & S.K.Vishwakarma (Lab At

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^0C	27.0
2.	Appearance	NTU	Clear
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	6.3
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	µ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	-
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	-
9.	Total Solid	mg/lit	430.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	320.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	110.0
12.	B O D (3days at 27^0C)	mg/lit	12.0
13.	C O D	mg/lit	106.48
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.2

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Chemist **Scientist** **Chief Chemist**

Analysis No. - 257

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : River Sheonath, Near Gurudwara (Durg- Rajnandgaon Road Bridge), Durg **(After Idol Emersion of Shri Ganeshji)**
Description of Sample : River Water
Date of Collection : 13.09.2019
Date of Receipt : 13.09.2019
Date of Analysis : 13.09.2019
Sample Collected By : G.P.Patel (Lab Astt. G-2), V.B.Singh (Lab Att.) & S.K.Vishwakarma (Lab At

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^0C	26.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	7.2
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	-
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	-
9.	Total Solid	mg/lit	310.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	220.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	90.0
12.	B O D (3days at 27^0C)	mg/lit	2.2
13.	C O D	mg/lit	39.52
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.4

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Patel
Chemist **Scientist** **Chief Chemist**

Analysis No. - 258

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From	: River Sheonath, Near Mohara, Rajnandgaon **(After Idol Emersion of Shri Ganeshji)**
Description of Sample	: River Water
Date of Collection	: 13.09.2019
Date of Receipt	: 13.09.2019
Date of Analysis	: 13.09.2019
Sample Collected By	: S.P.Patel (Chemist), G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^0C	27.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	7.02
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Coli form	MPN/100 ml	-
8.	Faecal Coli form	MPN/100 ml	-
9.	Total Solid	mg/lit	310.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	220.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	90.0
12.	B O D (3days at 27^0C)	mg/lit	2.0
13.	C O D	mg/lit	38.72
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.8

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Patel
Chemist **Scientist** **Chief Chemist**

River Sheonath Near Gurudwara, Durg

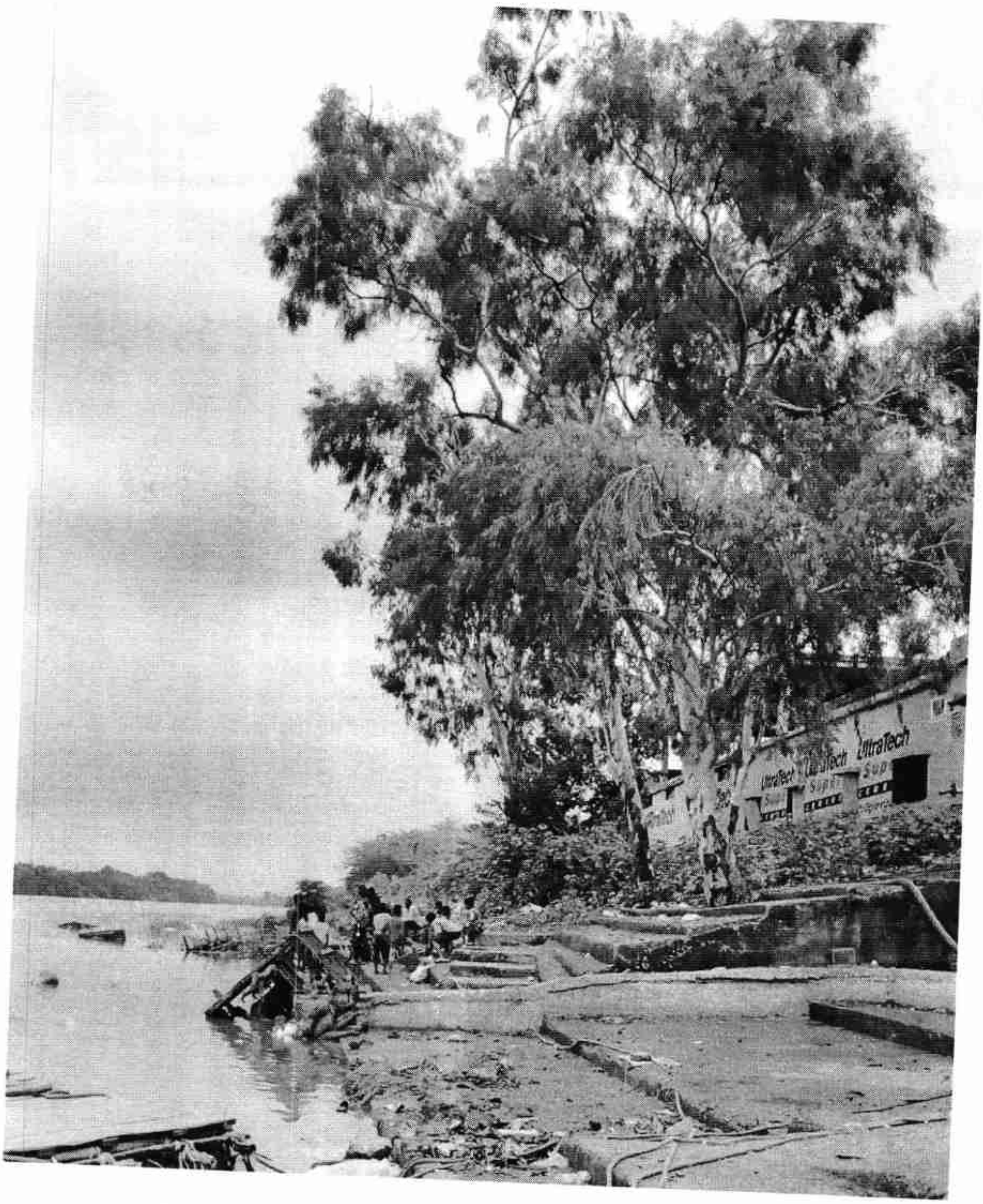

Rajnandgaon Emersion Point

Patel

Taalpuri Talab Bhilai

Patel

क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
ई मेल आई.डी.– ro_bhilai@rediffmail.com फोन नं.–0788 - 2242964

क्रमांक 2758/क्षेकार्या/छपसंम/दुर्ग/2019 दिनांक 18/10/19

प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)।

विषय :– मूर्ति के विसर्जन के संबंध में कार्यवाही विवरण भेजने बाबत्।

संदर्भ :– 1. बोर्ड मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र कमांक 3895 दिनांक 30.07.2019
2. बोर्ड मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र कमांक 5238 दिनांक 23.09.2019
3. इस कार्यालय का पत्र कमांक 1209 दिनांक 06.08.2019

–::0::–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र कमांक 03 के माध्यम से मूर्ति विसर्जन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जिला दुर्ग/राजनांदगांव/ बालोद /बेमेतरा/कबीरधाम कलेक्टर एवं नगर पालिक निगम, दुर्ग, भिलाई, चरोदा भिलाई–3 एवं राजनांदगांव तथा अन्य नगरीय निकायों को गाईड लाइन उपलब्ध कराकर, गाइड लाइन अनुसार विसर्जन कुण्ड निर्मित करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया था। इस कार्यालय द्वारा दुर्गा मूर्ति विसर्जन के पूर्व, मूर्ति विसर्जन के दौरान एवं विसर्जन उपरांत (1) तालपुरी तालाब, भिलाई, (2) शिवनाथ नदी, गुरूद्वारा के पास, पुलगॉव, दुर्ग (3) शिवनाथ नदी वाटर सप्लाई इंटेकवेल पाईंट के समीप निर्मित स्थाई विसर्जन कुण्ड, राजनांदगांव, में निर्धारित विसर्जन बिन्दुओं पर सेम्पलिंग किया गया। जिसका विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है। नगर निगम, भिलाई, दुर्ग एवं राजनांदगांव द्वारा पूजन सामाग्री हेतु पृथक रूप से बिन रखा गया था, जिसमें पूजन सामाग्री एकत्र किया जा रहा था। उक्त स्थान पर स्थानीय प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था एवं विसर्जन उपरांत अवशेष को निकालने का प्रबंध किया था तथा मूर्ति विसर्जन के उपरांत मूर्ति के अवशेष को तालाब से बाहर निकाला गया। उल्लेखनीय है कि तीनों विसर्जन स्थल के अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन द्वारा शहरों के अलग अलग क्षेत्र में विसर्जन स्थल चिन्हित किये गए थे।

अक्टूबर माह में यदा कदा वर्षा होने के कारण नदी में जल स्तर अधिक था एवं जल का बहाव बना हुआ था। अतः विसर्जन का विशेष दुष्प्रभाव अवलोकित नहीं किया गया।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

Analysis No. - 353

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From	: River Sheonath, Near Gurudwara, Durg- Rajnandgaon Road Bridge, Durg. **(Before Idol Immersion of Maa Durga ji)**
Description of Sample	: River Water.
Date of Collection	: 01.10.2019
Date of Receipt	: 01.10.2019
Date of Analysis	: 01.10.2019
Sample Collected By	: G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^0C	26.0
2.	Appearance	NTU	Light Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Odourless
4.	pH	-	7.5
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	µ Mhos	-
7.	Total Solid	mg/lit	360.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	290.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	70.0
10.	BOD (3 days at 27^0C)	mg/lit	2.4
11.	COD	mg/lit	29.64
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	7.2

Remarks :- ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Patel
Chemist

Scientist

Analysis No. - 354

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.),

Sample Collected From : Talpuri Talab, Bhilai.
(Before Idol Immersion of Maa Durga ji)
Description of Sample : Talab Water.
Date of Collection : 01.10.2019
Date of Receipt : 01.10.2019
Date of Analysis : 01.10.2019
Sample Collected By : G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^{0}C	26.0
2.	Appearance	NTU	Clear
3.	Odour	Threshold No.	Odourless
4.	pH	-	7.6
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Solid	mg/lit	360.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	280.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	80.0
10.	BOD (3 days at $27^{0}C$)	mg/lit	7.2
11.	COD	mg/lit	59.28
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.8

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Chemist **Scientist**

Analysis No. -354 A

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Immersion Tank Rajnandgaon.
(Before Idol Immersion of Maa Durga ji)
Description of Sample : Tank Water.
Date of Collection : 01.10.2019
Date of Receipt : 01.10.2019
Date of Analysis : 01.10.2019
Sample Collected By : G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^0C	27.0
2.	Appearance	NTU	Clear
3.	Odour	Threshold No.	Odourless
4.	pH	-	7.6
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	µ Mhos	-
7.	Total Solid	mg/lit	230.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	190.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	40.0
10.	BOD (3 days at 27^0C)	mg/lit	1.2
11.	COD	mg/lit	19.76
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.4

Remarks :- ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Patel

Chemist **Scientist**

Analysis No. - 356

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Talpuri Talab, Bhilai.
(During Idol Immersion of Maa Durga ji)
Description of Sample : Talab Water.
Date of Collection : 08.10.2019
Date of Receipt : 08.10.2019
Date of Analysis : 08.10.2019
Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist) & G.P.Patel (Lab Astt. G-2)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^0C	27.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	5.6
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
9.	Total Solid	mg/lit	530.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	350.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	280.0
12.	BOD (3 days at 27^0C)	mg/lit	12.2
13.	COD	mg/lit	167.96
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	5.4

NOISE LAVEL MONITORING

S.N.	Monitoring Location	Day Monitoring Time	Unit	Prescribed Limit(Day Time)	Result
1	Near Talpuri Talab, Idol Immersion Point, Bhilai.	03:44 PM	dB	75	53.0

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Patel
Chemist

Scientist

Analysis No. - 357

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : River Sheonath, Near Gurudwara, Durg- Rajnandgaon Road Bridge, Durg.
(During Idol Immersion of Maa Durga ji)
Description of Sample : River Water
Date of Collection : 08.10.2019
Date of Receipt : 08.10.2019
Date of Analysis : 08.10.2019
Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist) & G.P.Patel (Lab Astt. G-2)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^0C	26.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	6.4
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	µ Mhos	-
7.	Total Solid	mg/lit	430.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	320.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	110.0
10.	BOD (3 days at 27^0C)	mg/lit	3.6
11.	COD	mg/lit	69.16
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.0

NOISE LAVEL MONITORING

S.N.	Monitoring Location	Day Monitoring Time	Unit	Prescribed Limit(Day Time)	Result
1	Near River Sheonath, Idol Immersion Point, Durg.	04:21 PM	dB	75	71.0

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Patel
Chemist

Scientist

Analysis No. -358

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From : Immersion Point Rajnandgaon.
(During Idol Immersion of Maa Durga ji)
Description of Sample : 1. Immersion Tank.
2. River Sheonath
Date of Collection : 08.10.2019
Date of Receipt : 08.10.2019
Date of Analysis : 08.10.2019
Sample Collected By : S.P.Patel (Chemist) & G.P.Patel (Lab Astt. G-2)

S.No.	Characteristics	Unit	Result (1)	Result (2)
1.	Temperature	^0C	27.0	26.0
2.	Appearance	NTU	Turbid	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant	Unpleasant
4.	pH	-	4.5	7.4
5.	Turbidity	NTU	-	-
6.	Specific Conductivity	µ Mhos	-	-
7.	Total Solid	mg/lit	3010.0	320.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	2480.0	250.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	530.0	70.0
10.	BOD (3 days at 27^0C)	mg/lit	112.0	2.8
11.	COD	mg/lit	1146.08	39.52
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	-	6.8

NOISE LAVEL MONITORING

S.N.	Monitoring Location	Day Monitoring Time	Unit	Prescribed Limit(Day Time)	Result
1	Near Idol Immersion Point, Rajnandgaon.	05:13 PM	dB	75	71.0

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Note - This year the idol was not immersed in the river, immersed only in the immersion tank.

Patel
Chemist

Scientist

Analysis No. -359

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From	:	Talpuri Talab, Bhilai. **(After Idol Immersion of Maa Durga ji)**
Description of Sample	:	Talab Water.
Date of Collection	:	09.10.2019
Date of Receipt	:	09.10.2019
Date of Analysis	:	09.10.2019
Sample Collected By	:	G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^0C	27.0
2.	Appearance	NTU	Clear
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	6.8
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Solid	mg/lit	430.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	310.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	120.0
10.	BOD (3 days at 27^0C)	mg/lit	12.0
11.	COD	mg/lit	118.56
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	5.8

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Patel

Chemist

Scientist

Analysis No. - 360

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From	: River Sheonath, Near Gurudwara, Durg- Rajnandgaon Road Bridge, Durg. **(After Idol Immersion of Maa Durga ji)**
Description of Sample	: River Water.
Date of Collection	: 09.10.2019
Date of Receipt	: 09.10.2019
Date of Analysis	: 09.10.2019
Sample Collected By	: G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^0C	26.0
2.	Appearance	NTU	Clear
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	7.3
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	µ Mhos	-
9.	Total Solid	mg/lit	310.0
10.	Dissolved Solids	mg/lit	220.0
11.	Suspended Solids	mg/lit	90.0
12.	BOD (3 days at 27^0C)	mg/lit	2.8
13.	COD	mg/lit	49.0
14.	Dissolved Oxygen	mg/lit	6.2

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Patel
Chemist

Scientist

Analysis No. - 361

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bunglow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.) ,

Sample Collected From	: Immersion Tank Rajnandgaon. **(After Idol Immersion of Maa Durga ji)**
Description of Sample	: Tank Water.
Date of Collection	: 09.10.2019
Date of Receipt	: 09.10.2019
Date of Analysis	: 09.10.2019
Sample Collected By	: G.P.Patel (Lab Astt. G-2) & S.K.Vishwakarma (Lab Att.)

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1.	Temperature	^0C	27.0
2.	Appearance	NTU	Turbid
3.	Odour	Threshold No.	Unpleasant
4.	pH	-	3.4
5.	Turbidity	NTU	-
6.	Specific Conductivity	μ Mhos	-
7.	Total Solid	mg/lit	4010.0
8.	Dissolved Solids	mg/lit	3230.0
9.	Suspended Solids	mg/lit	780.0
10.	BOD (3 days at 27^0C)	mg/lit	282.0
11.	COD	mg/lit	2058.0
12.	Dissolved Oxygen	mg/lit	-

Remarks : - ☐ Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.

Patel
Chemist

Scientist

★ लालपुरी तालाब, भिलाई, जिला दुर्ग –

① चित्र-1 → विसर्जन पश्चात निकाले गये मूर्ति के अवशेष।

② चित्र-2 → विसर्जन के दौरान पूजा सामग्री हेतु स्थापित पृथक बिन।

चित्र-1 →

चित्र-2 →

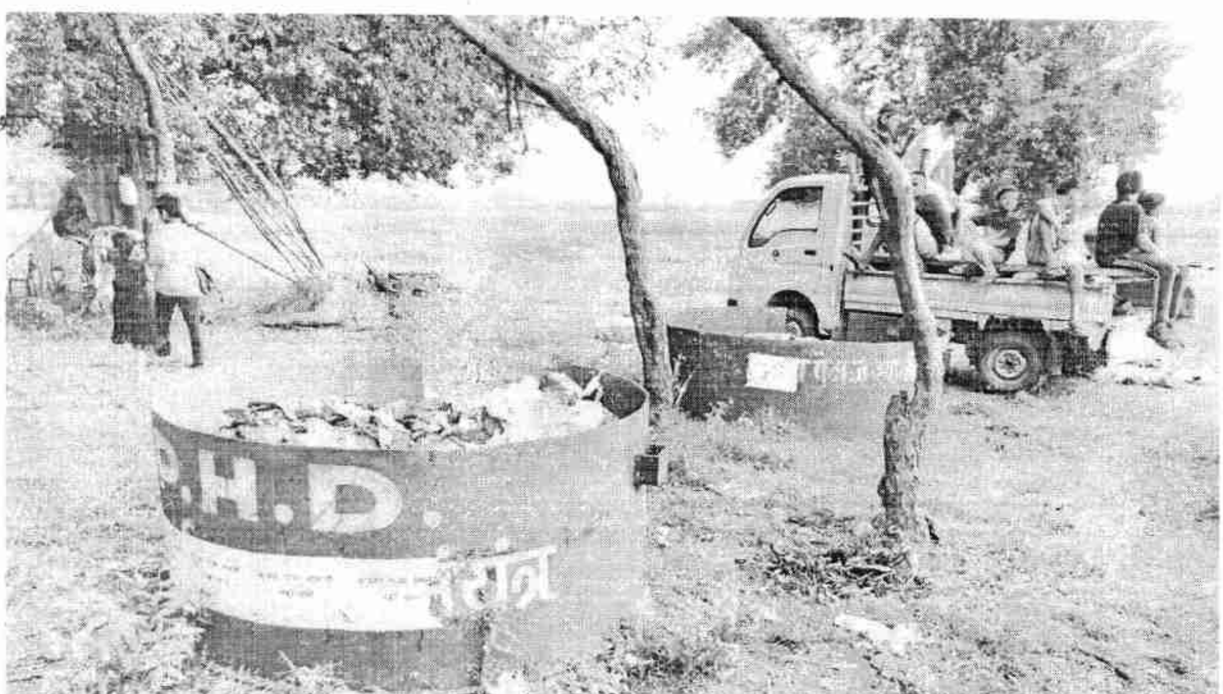

☆ राजनाँदगाँव विसर्जन कुण्ड से बाहर निकाले मूर्ति के अवशेष

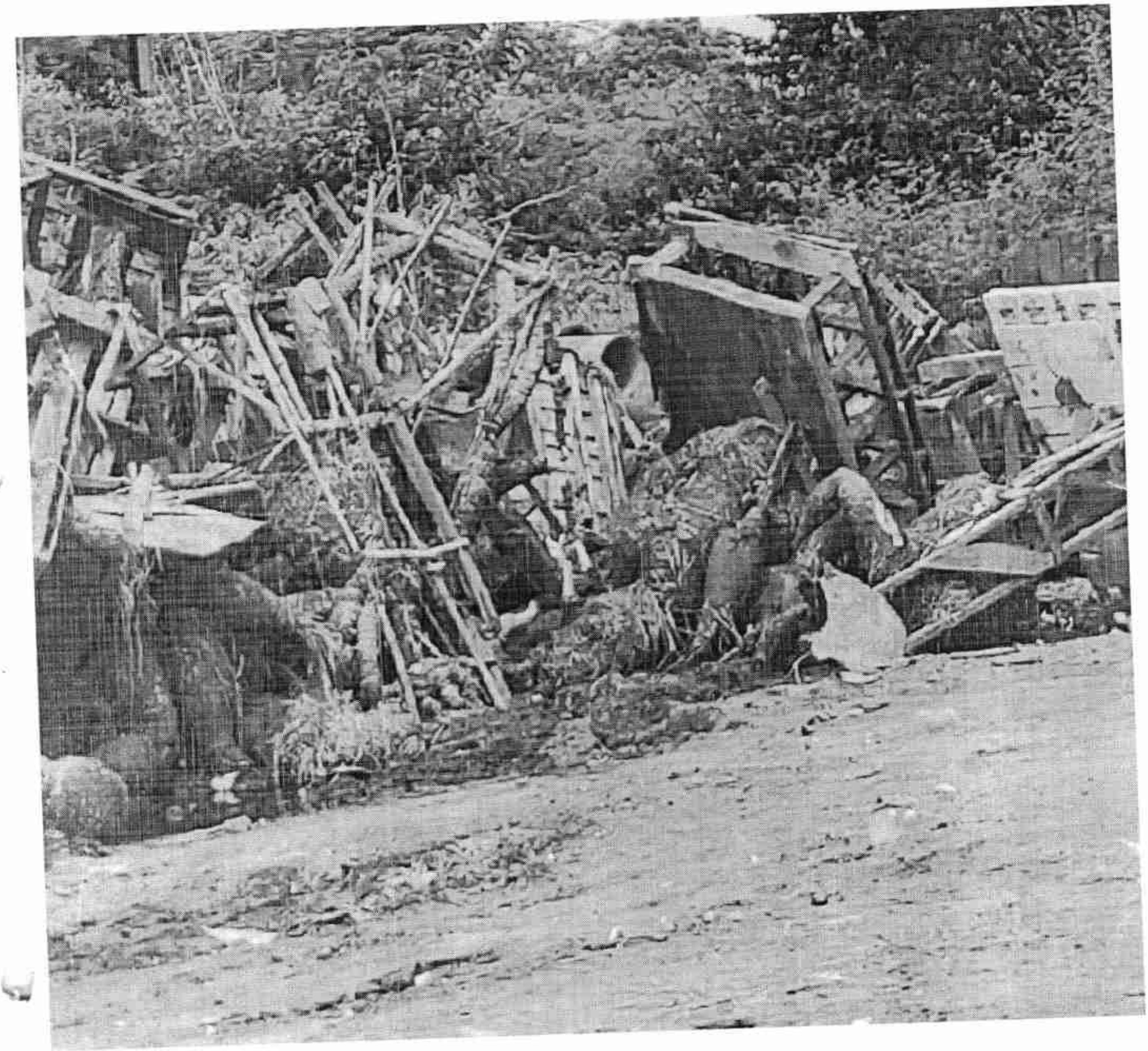

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
ro_bhilai@rediffmail.com 0788 - 2242964

HO C.G. Environment Conservation Board Atal Nagar Raipur (CG) 13394 6/12/19

क्रमांक 3193 /क्षे.कार्या/छगपसंमं/दुर्ग/2019 दिनांक 03/12/19

प्रति,

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– मूर्तियों के विर्सजन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत्।

संदर्भ :–
1. बोर्ड मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क 3895 दि. 30.07.2019
2. इस कार्यालय का पत्र कमांक 1209 दिनांक 06.08.2019
3. इस कार्यालय का पत्र कमांक 1648 दिनांक 24.09.2019
4. इस कार्यालय का पत्र कमांक 2758 दिनांक 18.10.2019
5. बोर्ड मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क 7080 दि. 19.11.2019

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र कमांक 03 एवं 04 के अनुक्रम में लेख है कि गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही, विसर्जन कुण्ड के संबंध में जानकारी/विसर्जन के पश्चात् घाटों की साफ सफाई, साथ ही प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी एकत्र किये गए जल नमूनों का विलेशण रिपोर्ट, ध्वनि मापन की जानकारी एवं विर्सजन पश्चात् विर्सजन स्थल पर की गई साफ सफाई की जानकारी प्रेषित की जा चुकी है। इसके अलावा नगरीय निकायों द्वारा अपने स्तर जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही एवं समाचार पत्र की कतरन इस कार्यालय में भेजे गए है। उक्त नगरीय निकायों द्वारा की गई कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपी संलग्न कर कृपया सादर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

Smt. Singh

9/12

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

D:\Shiv Patel Sir\Covering.doc

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ०ग०)

पत्र क्रमांक 959 / लोककर्म / 2019–20 राजनांदगांव, दिनांक 23 / 09 / 2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
भिलाई (छ.ग.)

विषय :– विसर्जन कुण्ड की साफ सफाई के संबंध में।

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि नगर पालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा मूर्तियों एवं पूजन सामग्री के विसर्जन से नदी में होने वाले प्रदूषण के रोकथाम हेतु शिवनाथ नदी के पास मोहारा में विसर्जन कुण्ड का निर्माण किया गया है जिसमें इस वर्ष गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया है। वर्तमान में मूर्तियों के अवशेषों को निकालकर कुण्ड की सफाई करा ली गई है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

R.O. BHILAI
R. No. 2907
Date 24/9/19

|| कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ||
EmailId:- durgmc2017@gmail.com
Phone:- 0788-2322148

—:: ज्ञापन ::—

क्रमांक / लो0क0वि / 2019 / 506 दुर्ग दिनांक 05/10/19

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
पर्यावरण एवं प्रदूषण मंडल,
दुर्ग—भिलाई.

विषय :— दुर्ग शहर में गणेश विसर्जन कार्यक्रम की जानकारी ।

संदर्भ :— छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल का पत्र क्रमांक 3855 दिनांक 30.07.2019.

विषयांतर्गत लेख्य है कि, इस वर्ष गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जल संग्रहण क्षेत्र में अस्थाई कुंड तैयार कर निम्न स्थानों पर कराया गया है :—

(1) कसारीडीह तालाब
(2) ठगड़ा बांध (02 स्थानों पर)
(3) उरला बांधा तालाब
(4) शिवनाथ नदी

प्रतिमाओं के विसर्जन पश्चात जल संग्रहण क्षेत्र की सफाई की जा चुकी है, जानकारी प्रस्तुत हैं ।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0 क्रमांक / लो0क0वि / 2019 / दुर्ग दिनांक ....

प्रतिलिपि :—

सदस्य सचिव, छ0ग0पर्यावरण, संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर—19 अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

R. O. BHILAI
R. No. 3072
Date 9/10/19

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक /   / न.पा.प. / स्वास्थ्य शाखा / 2019–20   कवर्धा, दिनांक

प्रति,

संचालक,
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

R.O. BHILAI
R. No. 3352
Date 29/10/19

विषयः– मूर्तियों विसर्जन के संबंध में ।

संदर्भः– 1– क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई, जिला दुर्ग का पत्र क्रं. / 1209 / क्षे.कार्या / छगपसंमं / भिलाई / 2019 दिनांक 06.08.2019

2– कार्यालय कलेक्टर, जिला–कबीरधाम का ज्ञापन क्रं. / 7218 / वरि.लि. / [illegible] अपशिष्ट / 2019 कवर्धा दिनांक 16.08.2019

3– आपका पत्र क्रं. / यां.प्र.–05 / 2019–20 / 9988 अटल नगर, दिनांक [illegible]

–::00::–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों एवं ज्ञापन के अनुक्रम में लेख है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार गणेश एवं दुर्गोत्सव पर्व में मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में जारी आदेश के परिपालन में नगरपालिका कवर्धा द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गयी है

1. जिला कार्यालय कबीरधाम में शान्ति समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नगर के सभी गणमान्य नागरिक एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार गणेशोत्सव पर्व में मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन के संबंध में समुचित जानकारी दी गयी, तदनुसार समिति द्वारा सर्वसम्मति से शासन निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने का संकल्प लिया गया।
2. प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर मिट्टी अथवा अन्य जैविक रूप से अपघटित होने वाली (बायोडिग्रेडेबल) सामाग्री से 5 फीट से कम उंचाई की मूर्ति बनाये जाने हेतु नगर के मूर्तिकारों को कार्यालयीन पत्र क्रं. 2681 / स्वास्थ्य शाखा / न.पा.प. / 2019–20 कवर्धा दिनांक 23.08.2019 के माध्यम से सूचित किया गया। प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक क्रमांक 01)
3. कार्यालयीन सूचना क्रं. 2683 / स्वास्थ्य शाखा / न.पा.प. / 2019–20 कवर्धा, दिनांक [illegible] के माध्यम से सभी मूर्तिकारों एवं आम नागरिकों को सार्वजनिक उद्घोषणा द्वारा सूचित किया गयी। सूचना की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक क्रमांक 02)
4. मूर्तियों के विसर्जन हेतु पृथक से स्थल चिन्हांकित करते हुए नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 16 स्थित सकरहाघाट में अस्थायी रूप से पाण्ड / वंड का निर्माण कराया गया तथा स्थल पर समुचित रूप से बेरिकेटींग का कार्य कराया गया।

SC
29/10/19

5. सभी गणेशोत्सव समितियों को कार्यालयीन सूचना क्रं. 2968/स्वास्थ्य [illegible] /2019–20 कवर्धा, दिनांक 11.09.2019 के माध्यम से निकाय द्वारा निर्धारित [illegible] मूर्तियों का विसर्जन किये जाने हेतु सुचित किया गया। सूचना की छायाप्रति [illegible] (अनुलग्नक कमांक 03)
6. कार्यालयीन सूचना कं. 2966/स्वास्थ्य शाखा/न.पा.प./2019–20 कवर्धा, दिनांक [illegible] के माध्यम से नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत की सभी गणेश एवं दुर्गोत्सव समितियों [illegible] नागरिकों को सार्वजनिक उदघोषणा के द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मूर्तियों को [illegible] जाने हेतु सुचित किया गया। सूचना की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक [illegible])
7. पूजा सामाग्री जेसे– फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की [illegible] विसर्जन के पूर्व एकत्रित किया जाकर निर्धारित स्थल (डिस्पोजल साईट) पर [illegible]
8. मूर्तियों के विसर्जन के पश्चात निर्धारित स्थल (पांण्ड/बंड) की समुचित सफाई [illegible] ताकि जल प्रदुषण की स्थिति निर्मित न हो सके।

अतएव केन्द्रीय प्रदुषण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार नगरपालिका [illegible] गणेशोत्सव पर्व पर मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन संबंधी समुचित कार्यवाही की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः–
1. अनुलग्नक कं. 01 से 04 तक की छायाप्रति।
2. समाचार पत्रों की कटिंग की छायाप्रति।
3. विसर्जन स्थल के फोटोग्रापस।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद कवर्धा

पृ.क्रमांक/946 /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 24-10-2019

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास दुर्ग की ओर [illegible] सादर सम्प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक [illegible] अटल नगर, जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई, जिला–दुर्ग [illegible] सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद [illegible]

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक/12681 /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रति,

श्री ......सर्व......

....

कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति निर्माण के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय, कलेक्टर, जिला–कबीरधाम का ज्ञापन क्रं./7218/वरि.लि./2–2–24/अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

–::00::–

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के निर्माण में पी.ओ.पी. के स्थान पर मिट्टी या अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाले (बायोडिग्रेडेबल) सामाग्री से निर्मित छोटे आकार 05 फीट से कम एवं प्राकृतिक कलर उपयोग में लावें। मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जन्तुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है।

अतः मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से ही किया जाना सुनिश्चित करें ताकि मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता में पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके।

26/08/19

23/8/19
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

पृ.क्रमांक/12682/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

O/C

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम

फोन- 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक 22681 / न.पा.प. / स्वास्थ्य शाखा / 2019–20

कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रति,

श्री ....

....

कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति निर्माण के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन क्रं./7218/वरि.लि./2-2-24/अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

--::00::--

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के निर्माण में पी.ओ.पी. के स्थान पर मिट्टी या अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाले (बायोडिग्रेडेबल) सामाग्री से निर्मित छोटे आकार 05 फीट से कम एवं प्राकृतिक कलर उपयोग में लावें। मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जन्तुओं की जान को खतरा होता है अपितु [illegible] भी [illegible] उत्पन्न होती है।

अतः मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से ही किया जाना सुनिश्चित करें ताकि मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता में पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके।

23/8/19

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा

पृ.क्रमांक 22682 / न.पा.प. / स्वास्थ्य शाखा / 2019–20

कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद कवर्धा

(1) [illegible]
(4) नरेन्द्र
O/C (5) दीपक
(6) सूरज
Sandeep

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक/18683/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20 कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रति,

श्री सर्व संबंधित

कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत् ।

संदर्भ:- कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन क्रं./7218/वरि.लि./2-2-24/अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

-::00::-

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि गणेशोत्सव/दुर्गोत्सव पर्व में गणेशजी एवं दुर्गा जी की प्रतिमा मिट्टी या अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाली सामाग्री से ही निर्मित एवं छोटे आकार 05 फीट से कम निर्माण करावे तथा सार्वजनिक स्थल, आमरोड या गली में स्थापना से पूर्व अनुमति लेना सुनिश्चित करें। जिससे आवागमन में परेशानी न हो।

23/8/19

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

पृ.क्रमांक/18684/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019-20 कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

कार्यालय कलेक्टर, कबीरधाम आवक शाखा

20/8/19

O/C

राजमहल चौक (17) Geetanjali लोहारा ...
रामनगर

कुम्हारी चौक (18) ~~अमन~~ रितेश अध्यक्ष
अमन कैलाश नगर

फुलवारी चौक

(19) आकाश अविनाश नगर

पुलिस लाइन चौक (20) गोपाल निषाद
आदित्य नगर वार्ड ...
Ramshankar ...

बुढ़ामहादेव (21) Vidya ...
Kawardha

कचहरी पारा

गुदरी पारा (गणेश मंदिर) (22) हरीराम साहू
कलेक्टर कालोनी
कवर्धा

हरी पारा

(23) विकास त्रिपाठी
कालोनी

नूतन डी ... स्कूल

~~दयापारा चौक~~ (24) ~~छबुराम~~

शिवलहरी गणेशोत्सव समिति एस. पी. कार्यालय
के सामने

ठाकुर पारा (कवर्धा) (25) राजमहल कालोनी कवर्धा

शंकर नगर बोड़िया रोड

नवीन बजार गणेशोत्सव समिति

रेवाबंध पारा वार्ड नं. 27 कवर्धा

लोहारा नाका चौक वार्ड क्र. 27 कवर्धा

... ...

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक/2968 /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

प्रति,

श्री अधोहस्ताक्षरित

कवर्धा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय, कलेक्टर, जिला–कबीरधाम का ज्ञापन क्रं./7218/वरि.लि./2-2-24/अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

--::00::--

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के विसर्जन के समय प्राकृतिक जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने एवं मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के रोकथाम हेतु पूजा सामाग्री जैसे:– फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बने सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये, तथा मूर्तियो का विसर्जन भिन्न–भिन्न स्थलों से न किया जाकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए निर्धारित स्थल सकरहाघाट (नदी) पर बनाये गये पाउ (पचरी) पर ही विसर्जन किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे शासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था किया जा सके।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, कवर्धा.

पृ.क्रमांक/2969/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

नेहरू गणेशोत्सव समिति ⇒ सिद्धांत

गणेश उत्सव समिति ⇒ हेमंत निषाद

गणेशोत्सव समिति

गणेशोत्सव समिति

गणेश उत्सव समिति = रितेश यदु

गणेशोत्सव समिति

गणेश उत्सव समिति पंकज सोनी

गणेश उत्सव समिति

गणेशोत्सव समिति

गणेशोत्सव समिति

पार्क

गणेशोत्सव

गणेश उत्सव समिति → कमलेश ठाकुर

गणेश उत्सव समिति

ठाकुर पारा

गणेश समिति → राजेश

गणेश उत्सव समिति

रोहित साहू धोबिया रोड

बाजार गणेशोत्सव समिति

देवांगन वार्ड क. 27

अजय, मुकेश

शिवा श्रीवास के लाखा नगर वार्ड क. 3

उत्सव समिति

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
फोन- 07741 223226 E Mail - mokawardha@rediffmail.com

क्रमांक / 9E8 / न.पा.प. / स्वास्थ्य शाखा / 2019-20 कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

प्रति,

श्री ....

....

कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

विषय :- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम का ज्ञापन क्र./7218/वरि.लि./2-2-24/अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

--::00::--

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के विसर्जन के समय प्राकृतिक जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने एवं मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के रोकथाम हेतु पूजा सामाग्री जैसे:- फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बने सजावट की वस्तुएं इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये, तथा मूर्तियो का विसर्जन भिन्न-भिन्न स्थलों में न किया जाकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए निर्धारित स्थल सकरहाघाट (नदी) पर बनाये गये [illegible] ([illegible]) पर ही विसर्जन किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे शासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था किया जा सके।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

पृ.क्रमांक / 9E9 / न.पा.प. / स्वास्थ्य शाखा / 2019-20 कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला-कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

आदर्श गणेश उत्सव समिति आदर्श नगर = दुर्गेशसिंह

[illegible] नगर गणेशउत्सव समिति कवर्धा → Rinshuvati

श्री गणेश उत्सव पानी टंकी के पास समिति गंगा नगर — पिन्टु सिन्हा

[illegible] गणेशोत्सव [illegible] = [illegible]

[illegible] पानी कालोनी गणेशोत्सव समिति [illegible]

( ) [illegible] कालोनी कवर्धा [illegible]

( ) किरण कुमार चौहान [illegible] समरसिंह [illegible] कवर्धा

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

फोन - 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक/2966/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

–0 मुनादी सूचना 0–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मूर्तियों के विसर्जन के समय प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने एवं मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम हेतु पूजा सामाग्री जैसे:–फुल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये, तथा मूर्तियों का विसर्जन भिन्न–भिन्न स्थलो में न किया जाकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए निर्धारित स्थल सकरहाघाट (नदी) पर बनाये गये पॉड (पचरी) पर ही करने का कष्ट करेंगे।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

पृ.क्रमांक/2967/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

प्रतिलिपि:–

1. कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. उप अभियंता, नगर पालिका परिषद कवर्धा को मूर्ति विसर्जन हेतु निर्धारित स्थल में अस्थायी पॉड निर्माण कराये जाने हेतु सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ
4. प्रभारी राजस्व निरीक्षक, नगर पालिका परिषद कवर्धा को नगर में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मुनादी कराये जाने हेतु पालनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

दैनिक पत्रिका समाचार पत्र प्रकाशित दिनांक 28-8-2019

पालिका टीम ने दी समझाइश

पीओपी से न करें गणेश प्रतिमाओं का निर्माण

निरीक्षण : गणेश प्रतिमा निर्माण स्थल का निरीक्षण करते नपा कर्मचारी।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कवर्धा . छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देश पर कवर्धा नगर पालिका की टीम निरीक्षण के निकली। टीम ने कवर्धा शहर में बनाए जा रहे मूर्ति स्थलों को निरीक्षण किया। साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस(पीओपी) से प्रतिमा नहीं बनाने की समझाईश दी। पीओपी मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोत प्रभावित होते हैं। यह जलीय जंतुओं के लिए खतरा है साथ ही जल प्रदूषण भी करता है। इसके चलते ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाइड लाइन जारी किए। इसके चलते नगर पालिका की टीम पीओपी से प्रतिमा न निर्माण की समझाईश के लिए निरीक्षण पर निकली। साथ ही बताया कि अधिक ऊंचाई वाले प्रतिमा न बनाए।

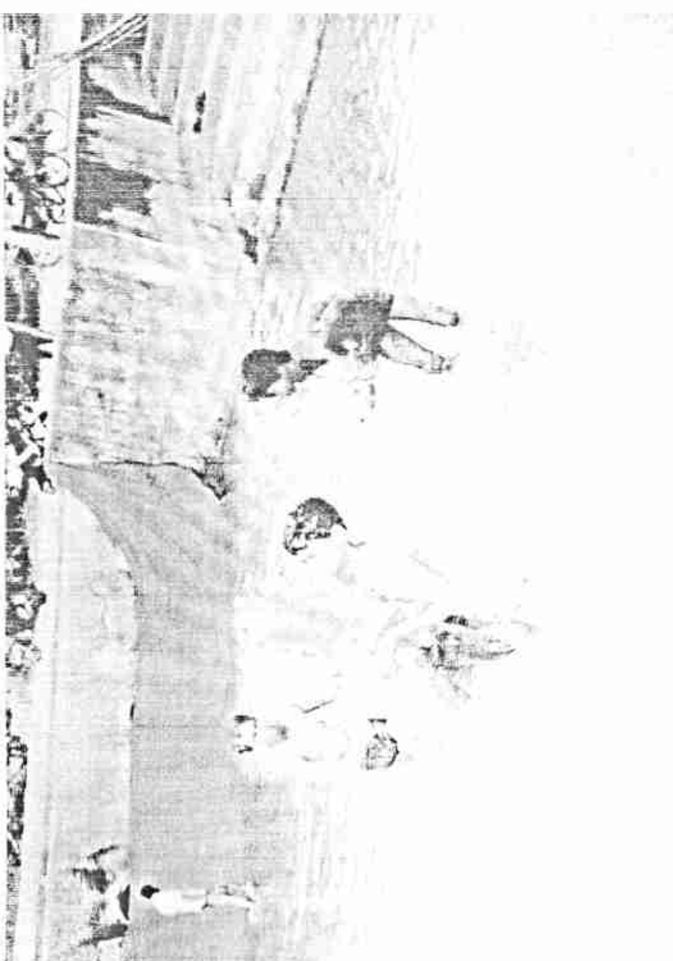

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक/ /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक

प्रति,

संचालक,
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

HO C.G. Environment Conservation Board Atal Nagar Raipur (C.G.)
12234
15/11/19

विषयः– मूर्तियों विसर्जन के संबंध में ।

संदर्भः– 1– क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई, जिला–दुर्ग का पत्र कं./1209/क्षे.कार्या/छगपसमं/भिलाई/2019 दिनांक 06.08.2019

2– कार्यालय कलेक्टर, जिला–कबीरधाम का ज्ञापन कं./7218/वरिलि./2/2-[illegible] अपशिष्ट/2019 कवर्धा दिनांक 16.08.2019

3– आपका पत्र कं./यां.प्र.–05/2019–20/9988 अटल नगर, दिनांक 11.09.2019

–::00::–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों एवं ज्ञापन के अनुकम में लेख है कि केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार गणेश एवं दुर्गोत्सव पर्व में मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में पारित आदेश के परिपालन में नगरपालिका कवर्धा द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गयी है –

1. जिला कार्यालय कबीरधाम में शांन्ति समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नगर के सभी गणमान्य नागरिक एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार गणेशोत्सव पर्व में मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन के संबंध में समुचित जानकारी दी गयी, तदनुसार समिति द्वारा सर्वसम्मति से शासन निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने का संकल्प लिया गया।
2. प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर मिट्टी अथवा अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाली (बायोडिग्रेडेबल) सामाग्री से 5 फीट से कम उंचाई की मूर्ति बनाये जाने हेतु सभी मूर्तिकारों को कार्यालयीन पत्र कं. 2681/स्वास्थ्य शाखा/न.पा.प./2019–20 कवर्धा दिनांक 23.08.2019 के माध्यम से सूचित किया गया। प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक कमांक 01)
3. कार्यालयीन सूचना कं. 2683/स्वास्थ्य शाखा/न.पा.प./2019–20 कवर्धा, दिनांक [illegible] के माध्यम से सभी मूर्तिकारों एवं आम नागरिकों को सार्वजनिक उदघोषणा द्वारा सूचना दी गयी। सूचना की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक कमांक 02)
4. मूर्तियों के विसर्जन हेतु पृथक से स्थल चिन्हांकित करते हुए नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत वार्ड नं. 16 स्थित सकरहाघाट में अस्थायी रूप से पाण्ड/बंड का निर्माण कराया गया तथा उक्त स्थल पर समुचित रूप से बेरिकेटींग का कार्य कराया गया।

5. सभी गणेशोत्सव समितियों को कार्यालयीन सूचना क्रं. 2968/स्वास्थ्य शाखा/न.पा.प./2019–20 कवर्धा, दिनांक 11.09.2019 के माध्यम से निकाय द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मूर्तियों का विसर्जन किये जाने हेतु सुचित किया गया। सूचना की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक क्रमांक 03)
6. कार्यालयीन सूचना क्रं. 2966/स्वास्थ्य शाखा/न.पा.प./2019–20 कवर्धा, दिनांक 11.09.2019 के माध्यम से नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत की सभी गणेश एवं दुर्गोत्सव समितियों एवं आम नागरिकों को सार्वजनिक उदघोषणा के द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मूर्तियों को विसर्जित किये जाने हेतु सुचित किया गया। सूचना की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक क्रमांक 04)
7. पूजा सामाग्री जैसे– फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुओं को मूर्ति विसर्जन के पूर्व एकत्रित किया जाकर निर्धारित स्थल (डिस्पोजल साईट) पर ले जाया गया।
8. मूर्तियों के विसर्जन के पश्चात निर्धारित स्थल (पाण्ड/बंड) की समुचित सफाई करायी गयी ताकि जल प्रदुषण की स्थिति निर्मित न हो सके।

अतएव केन्द्रीय प्रदुषण बोर्ड के गाईड लाईन के अनुसार नगरपालिका कवर्धा द्वारा गणेशोत्सव पर्व पर मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन संबंधी समुचित कार्यवाही की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः–
1. अनुलग्नक क्रं. 01 से 04 तक की छायाप्रति।
2. समाचार पत्रों की कटिंग की छायाप्रति।
3. विसर्जन स्थल के फोटोग्राफ्स।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद कवर्धा

पृ.क्रमांक/946 /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 24-10-2019

प्रतिलिपिः–
1. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद कवर्धा

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

फोन– 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक/12681 /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रति,

श्री ....सर्व....

....

कवर्धा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

विषय:– मूर्ति निर्माण के संबंध में।

संदर्भ:– कार्यालय, कलेक्टर, जिला–कबीरधाम का ज्ञापन कं./7218/वरि.लि./2–2–24/अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

–::00::–

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के निर्माण में पी.ओ.पी. के स्थान पर मिट्टी या अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाले (बायोडिग्रेडेबल) सामाग्री से निर्मित छोटे आकार 05 फीट से कम एवं प्राकृतिक कलर उपयोग में लावें। मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जन्तुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है।

अतः मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से ही किया जाना सुनिश्चित करें ताकि मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता में पड़ने वाले दूषप्रभाव से बचा जा सके।

26/08/19

23/8/19

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

पृ.क्रमांक/12682/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रतिलिपि:–

1. कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थांना कवर्धा, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ

O/C

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

दुर्गेश कुमार

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक/2681 /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रति,

श्री ....
....
कवर्धा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

विषय:– मूर्ति निर्माण के संबंध में।

संदर्भ:– कार्यालय, कलेक्टर, जिला–कबीरधाम का ज्ञापन क्र./7218/वरि.लि./2–2–24/अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

--::00::--

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के निर्माण में पी.ओ.पी. के स्थान पर मिट्टी या अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाले (बायोडिग्रेडेबल) सामाग्री से निर्मित छोटे आकार 05 फीट से कम एवं प्राकृतिक कलर उपयोग में लावें। मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जन्तुओं की जान को [illegible] होता है अपितु [illegible] भी [illegible] उत्पन्न होती है।

अतः मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से [illegible] किया जाना सुनिश्चित करें ताकि मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता में पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके।

23/8/19
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा

पृ.क्रमांक/2682/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

(1) [illegible] (4) नरेन्द्र
O/C (5) दीपक
(2) Sandeep (6) सूरज
(3) Kamlesh

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक /12683/ न.पा.प. / स्वास्थ्य शाखा / 2019–20 कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रति,

श्री सर्व संबंधित

कवर्धा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

विषयः– मूर्ति स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत् ।

संदर्भः– कार्यालय, कलेक्टर, जिला–कबीरधाम का ज्ञापन कं./7218/वरि.लि./2–2–24/ अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

–::00::–

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि गणेशोत्सव/दुर्गोत्सव पर्व में गणेशजी एवं दुर्गा जी की प्रतिमा मिट्टी या अन्य जैविक रूप से अवघटित हो सकने वाली सामाग्री से ही निर्मित एवं छोटे आकार 05 फीट से कम निर्माण करावे तथा सार्वजनिक स्थल, आमरोड या गली , स्थापना से पूर्व अनुमति लेना सुनिश्चित करें। जिससे आवागमन में परेशानी न हो।

23/8/19

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

पृ.क्रमांक /12684/ न.पा.प. / स्वास्थ्य शाखा / 2019–20 कवर्धा, दिनांक 23-08-2019

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

कार्यालय कलेक्टर, कबीरधाम आवक शाखा 26/8/19

26/8/19

O/C

26/08/19

516

Z:\OFFICE WORD\MURTI VISARJAN

राजमहल चौक (17) Geetanjali लोहारा रोड
रामनगर

~~फुलवारी चौक~~ (18) ~~अमन~~ रितेश अध्यक्ष
अमन केलवा नगर

फुलवारी चौक (19) आकाश आदर्श नगर

(20) गोपाल निषाद
युनियन चौक आदर्श नगर वार्ड नं. 5
Ramshwar Yadav

बुढ़ामहादेव (21) Vidya nagar
Kawardha

कचहरी पारा

गुप्ता पारा (गंगाई मंदिर) (22) हरिराम साहू
कलेक्टर कालोनी
कवर्धा

हरी पारा (23) Vikash चौरसिया
कोलोनी

नूतन गणेशोत्सव

~~ठाकुर चौक~~ (24) ~~धनुषराम~~

शिवशक्ति गणेशोत्सव समिति एस. पी. कार्यालय के सामने

ठाकुर पारा (कवर्धा) (25) राजमहल कालोनी कवर्धा

शंकर नगर बोड़िया रोड

नवीन बजार गणेशोत्सव समिति

रेवाबंध पारा वार्ड नं. 27 कवर्धा

लोहारा नाका चौक वार्ड क्र. 27 कवर्धा

कैलाश नगर कवर्धा

3

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक/2968 /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

प्रति,

श्री अविश्वसित
....

कवर्धा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

विषय – मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भ:– कार्यालय, कलेक्टर, जिला–कबीरधाम का ज्ञापन कं./7218/वरि.लि./2–2–24/अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

–::00::–

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के विसर्जन के समय प्राकृतिक जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने एवं मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुषप्रभाव के रोकथाम हेतु पूजा सामाग्री जैसेः– फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बने सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये, तथा मूर्तियो का विसर्जन भिन्न–भिन्न स्थलों में न किया जाकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए निर्धारित स्थल सकरहाघाट (नदी) पर बनाये गये पॉड (पचरी) पर ही विसर्जन किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे शासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था किया जा सके।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, कवर्धा.

पृ.क्रमांक/2969/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

कार्यालय कलेक्टर, कबीरधाम
आवक शाखा

12/09/19

574

E:\OFFICE WORD\MURTI VISARJAN

1) नगर नरेश गणेशोत्सव समिति ⇒ [signature] सिद्धार्थ सिंह

2) बचपन गणेश उत्सव समिति ⇒ [signature] हेमंत निषाद

3) गणेशोत्सव समिति राधामहल चौक [signature]

4) विशाल गणेशोत्सव समिति [signature]

5) युनियन गणेश उत्सव समिति = [signature] रितेश यदु

6) श्री पंचमुखी बुढ़ाबाड़ादेव गणेशोत्सव समिति [signature]

7) किशोर गणेश उत्सव समिति पंकज सोनी

8) राज गणेश उत्सव समिति

9) मंगल मूर्ति गणेशोत्सव समिति [signature]

10) नूतन गणेशोत्सव समिति [signature]

11) ~~[illegible]~~
करपात्री पार्क [signature]

12) शिव लहरी गणेशोत्सव

13) बालगणेश उत्सव समिति → [signature]
कमलेश ठाकुर

14) शिवनवयुवक गणेश उत्सव समिति
ठाकुर पारा कवर्धा → [signature]

15) राज भवानी गणेश समिति → राजेश

16) श्री [illegible] गणेश उत्सव समिति [signature]

17) रोहित साहू धोबिया रोड कवर्धा

18) नवीन बाजार गणेशोत्सव समिति [illegible] [signature]

19) ~~[illegible]~~ रेवाबंध पारा क्र. 27

20) —— अजय [illegible] [signature]
अजय, मुकेश

21) शिवा श्रीवास कैलाश नगर वार्ड क्र. 3

22) श्री सिद्धिविनायक गणेश उत्सव समिति कैलाश नगर 3 संजय कुमार

23) आदर्श गणेशोत्सव समिति आदर्श नगर कवर्धा [signature]

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

फोन- 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक/2968 /न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

प्रति,

श्री ....

....

कवर्धा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

विषय– मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भ– कार्यालय, कलेक्टर, जिला–कबीरधाम का ज्ञापन क्रं./7218/वरि.लि./2-2-24/अपशिष्ट/2019 कवर्धा, दिनांक 16.08.2019

--::00::--

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि मूर्तियों के विसर्जन के समय प्राकृतिक जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने एवं मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के रोकथाम हेतु पूजा सामाग्री जैसेः– फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बने सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये, तथा मूर्तियो का विसर्जन भिन्न–भिन्न स्थलों में न किया जाकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए निर्धारित स्थल सकरहाघाट (नदी) पर बनाये गये पौंड (पचरी) पर ही विसर्जन किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे शासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था किया जा सके।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

पृ.क्रमांक/2969/न.पा.प./स्वास्थ्य शाखा/2019–20 कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

आदर्श गणेश उत्सव समिति आदर्श नगर = दुर्गेश [illegible]

(26) विद्या नगर गणेशउत्सव समिति कवर्धा → [illegible]

(27) श्री गणेश उत्सव पानी टंकी के पास समिति गंगा नगर — [illegible]

(28) [illegible] गणेशोत्सव [illegible] [illegible]

(29) हिरपानी कॉलोनी गणेशोत्सव समीती [illegible]

(30) [illegible] कॉलोनी कवर्धा [illegible]

(31) शिव कुमार चौहरी [illegible] [illegible] कॉलोनी कवर्धा

कार्यालय नगर पालिका परिषद कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
फोन- 07741 223226 E Mail – cmokawardha@rediffmail.com

क्रमांक / 2966 / न.पा.प. / स्वास्थ्य शाखा / 2019–20 कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

–0 मुनादी सूचना 0–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मूर्तियों के विसर्जन के समय प्राकृतिक जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने एवं मूर्ति विसर्जन से जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का रोकथाम हेतु पूजा सामाग्री जैसेः–फुल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बने सजावट की बस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये, तथा मूर्तियों का विसर्जन भिन्न–भिन्न स्थलो में न किया जाकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए निधारित स्थल सकरहाघाट (नदी) पर बनाये गये पॉड (पचरी) पर ही करने का कष्ट करेंगे।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

पृ.क्रमांक / 2967 / न.पा.प. / स्वास्थ्य शाखा / 2019–20 कवर्धा, दिनांक 11-09-2019

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. उप अभियंता, नगर पालिका परिषद कवर्धा को मूर्ति विसर्जन हेतु निर्धारित स्थल में अस्थायी पॉड निर्माण कराये जाने हेतु सूचनार्थ।
3. नगर निरीक्षक, पुलिस थाना कवर्धा, जिला–कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ
4. प्रभारी राजस्व निरीक्षक, नगर पालिका परिषद कवर्धा को नगर में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मुनादी कराये जाने हेतु पालनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कवर्धा.

Received
12/09/19

583

12/09/19

दैनिक पत्रिका समाचार पत्र प्रकाशित दिनांक 28-8-2019

पालिका टीम ने दी समझाइश

पीओपी से न करें गणेश प्रतिमाओं का निर्माण

निरीक्षण: गणेश प्रतिमा निर्माण स्थल का निरीक्षण करते नपा कर्मचारी।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

कवर्धा . छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देश पर कवर्धा नगर पालिका की टीम निरीक्षण के निकली। टीम ने कवर्धा शहर में बनाए जा रहे मूर्ति स्थलों को निरीक्षण किया। साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस(पीओपी) से प्रतिमा नहीं बनाने की समझाईश दी। पीओपी मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोत प्रभावित होते हैं। यह जलीय जंतुओं के लिए खतरा है साथ ही जल प्रदूषण भी करता है। इसके चलते ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाइड लाइन जारी किए। इसके चलते नगर पालिका की टीम पीओपी से प्रतिमा न निर्माण की समझाईश के लिए निरीक्षण पर निकली। साथ ही बताया कि अधिक ऊंचाई वाले प्रतिमा न बनाए।

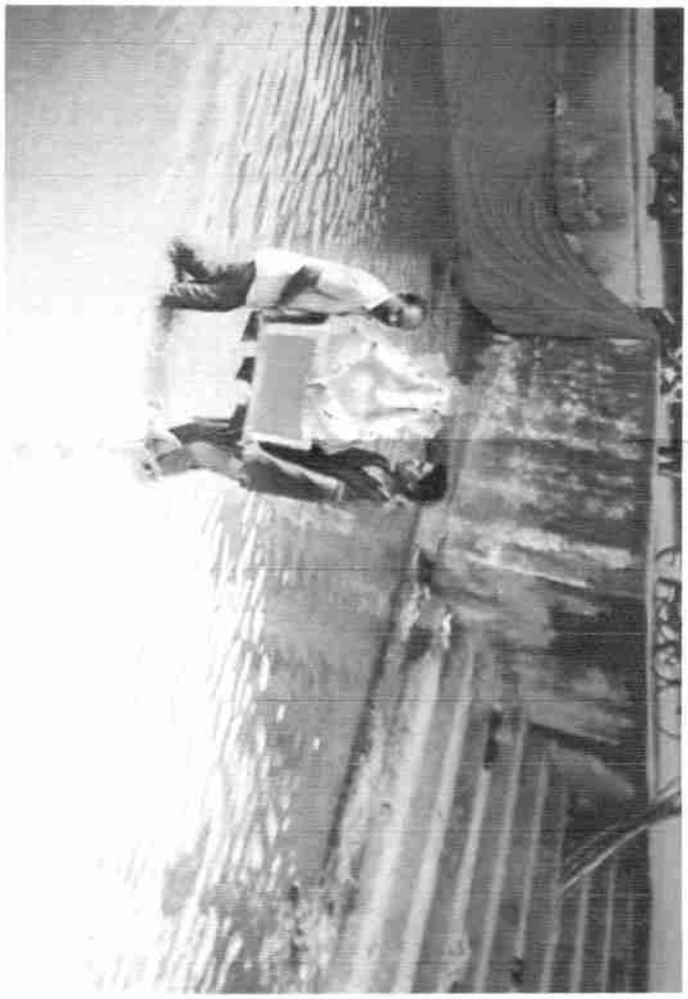

क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
ro_bhilai@rediffmail.com 0788 - 2242964

क्रमांक /क्षे.कार्या/छगपसंमं/भिलाई/2019 दिनांक :

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
दुर्ग/भिलाई/चरोदा–भिलाई/राजनांदगॉव
जिला–दुर्ग/राजनांदगॉव (छ.ग.)।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद– जामुल/कुम्हारी/अहिवारा/बालोद/दल्ली राजहरा/बेमेतरा/डोंगरगढ़/खैरागढ़/कवर्धा।
नगर पंचायत –पाटन/धमधा/उतई/पण्डरिया/सहसपुर लोहरा/बोड़ला/पिपरिया/पाण्डातराई/डौण्डीलोहारा/अर्जन्दा/चिखलाकसा/गुण्डरदेही/गुरूर/डौण्डी/डोंगरगांव /छुरिया/ अम्बागढ़–चौकी/छुईखदान/गण्डई/साजा/बेरला/ मारो/थान खम्हरिया /नवागढ़ /देवकर/परपोड़ी
जिला–दुर्ग/कबीरधाम/बालोद/राजनांदगॉव/बेमेतरा (छ.ग.)।
महाप्रबंधक,
नगर सेवा विभाग, (मेसर्स भिलाई इस्पात सयंत्र)
सी. टी. ए. बिल्डिंग, सिविक सेन्टर भिलाई दुर्ग जिला–दुर्ग

विषय :– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतो की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध मे दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भ :– मण्डल मुख्यालय का पत्र कमांक 3895 एवं 3897, दिनांक 30.07.2019।

==0==

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गाईड लाईन जारी की गई है। गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:–

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिये अस्थायी पॉड/बन्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे–फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाये। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉड, पहुँच मार्ग बनाने हेतु निर्देशित किये गये है, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक, पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।

3. वेस्ट मेटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।

4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जायें।

5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल के नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसार्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सकें। बॉस, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावे एवं मिट्टी का उपयोग भू–भराव इत्यादि में किया जावें।

6. **यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियॉ प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले का उपयोग न किया जायें। मूर्तियों की ऊँचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जावें।**

उल्लेखनिय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये है। गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को 10 दिवस के भीतर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया इसे आवश्यक समझे व प्राथमिकता से कार्यवाही करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

पृ. क्रमांक 1210 / क्षेकार्या / छगपसंमं / भिलाई / 2019 दिनांक 06/8/19

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–दुर्ग / बालोद / बेमेतरा / राजनांदगांव / कबीरधाम की ओर कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3. उपसंचालक नगरीय प्रशसन विभाग दुर्ग संभाग, जिला दुर्ग की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05/08/19
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

C.C.

C:\Users\lenovo\Downloads\Durga Ganesh Visar.doc

संलग्नक – 4

क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 07759–222370, ई. मेल–rocecbkorba@gmail.com

H.O. C.G. Environment Conservation Board, Atal Nagar, Raipur (C.G.)
12406
18/11/19

क्रमांक 1216 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 कोरबा दिनांक 25/10/2019

प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भः– 1.मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 4439 दिनांक 27.08.2019
2.मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 5238 दिनांक 23.09.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि गणेश एवं दुर्गा विसर्जन के पहले/दौरान/पश्चात संबंधित चिन्हित स्थलों पर जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट, अस्थायी विसर्जन कुण्ड एवं विसर्जन पश्चात साफ–सफाई के साथ ध्वनि मापन की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

25/x/19
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,कोरबा
BPm

S.S.O.

11 NOV 2019

D:\New Folder\CECB\B P Mishra All File\Air-Water Monitoring Data\visarjan\covering 1.docx

Before Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 09.09.2019

S.N.	Place	Parameter									
		P_H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.15	6.8	1.0	12.0	233.0	296.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.19	6.4	1.2	14.0	237.0	304.0	-	-	-	-

During Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 12.09.2019

S.N.	Place	Parameter									
		P_H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.18	6.2	1.4	20.0	235.0	304.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.23	5.8	2.0	26.0	239.0	315.0	-	-	-	-

After Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 16-09-2019

S. N.	Place	Parameter									
		P_H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.16	6.4	1.2	16.0	232.0	298.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.22	6.2	1.6	20.0	238.0	309.0	-	-	-	-

Lab Asst. II Chemist Scientist Regional Officer

Before Idols Immerse of Lord Durga

Date of Collection – 05.10.2019

S.N.	Place	Parameter									
		P_H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.17	6.8	0.6	10.0	229.0	276.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.21	6.6	0.8	12.0	235.0	287.0	-	-	-	-

During Idols Immerse of Lord Durga

Date of Collection – 08.10.2019

S.N.	Place	Parameter									
		P_H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.24	6.2	1.0	24.0	235.0	290.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.33	5.8	1.4	30.0	245.0	306.0	-	-	-	-

After Idols Immerse of Lord Durga

Date of Collection – 11.10.2019

S. N.	Place	Parameter									
		P_H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.19	6.6	0.8	18.0	231.0	281.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.25	6.2	1.0	24.0	240.0	294.0	-	-	-	-

Lab Asst. II　　Chemist　　Scientist　　Regional Officer

Data sheet for Ambient noise monitoring on Ganesh idol immersion day

Location :- Hasdeo river near Sarwamangla Mandir, Korba

Date :- 12.09.2019

Noise Level Meter			
Make		CESELLA., U.K.	
Model		CESELLA CEL-62X	
Serial No.		0873458	

Calibration Result of Noise Level Meter		
Calibration	**94 dB at 1000Hz**	**114 dB at 1000Hz**
Initial	--	--
Final	--	--
Sampling rate	--	--

S.No	Time Duration	File No.	L equivalent dB(A)
1	16.00 Hrs to 17.00 Hrs	--	61.2
2	17.00 Hrs to 18.00 Hrs	--	62.4
3	18.00 Hrs to 19.00 Hrs	--	59.5
4	19.00 Hrs to 20.00 Hrs	--	72.3
5	20.00 Hrs to 21.00 Hrs	--	76.4
6	21.00 Hrs to 22.00 Hrs	--	64.2
7	22.00 Hrs to 23.00 Hrs	--	59.1
8	23.00 Hrs to 24.00 Hrs	--	58.3
Average L equivalent dB (A) Between (16.00 Hrs to 24.00 Hrs)			64.17
	Name & Signature of Official on duty	B.P. Mishra	

L_{max} Between (16.00 Hrs to 24.00 Hrs) - 76.4 dB(A)

L_{min} Between (16.00 Hrs to 24.00 Hrs) - 58.3 dB(A)

Lab Asst. II **Chemist** **Scientist** **Regional Officer**

Data sheet for Ambient noise monitoring on durga idol immersion day

Location :- Hasdeo river at Hasdeo Barrage Darri Korba

Date :- 08.10.2019

Noise Level Meter			
Make		CESELLA., U.K.	
Model		CESELLA CEL-62X	
Serial No.		0873458	
Calibration Result of Noise Level Meter			
Calibration	**94 dB at 1000Hz**		**114 dB at 1000Hz**
Initial	--		--
Final	--		--
Sampling rate	--		--

S.No	**Time Duration**	**File No.**	**L equivalent dB(A)**
1	16.00 Hrs to 17.00 Hrs	--	64.3
2	17.00 Hrs to 18.00 Hrs	--	66.1
3	18.00 Hrs to 19.00 Hrs	--	78.4
4	19.00 Hrs to 20.00 Hrs	--	79.1
5	20.00 Hrs to 21.00 Hrs	--	60.2
6	21.00 Hrs to 22.00 Hrs	--	55.2
7	22.00 Hrs to 23.00 Hrs	--	53.4
8	23.00 Hrs to 24.00 Hrs	--	52.6
Average L equivalent dB (A) Between (16.00 Hrs to 24.00 Hrs)			63.66
	Name & Signature of Official on duty	B. P. Mishra	

L_{max} Between (16.00 Hrs to 24.00 Hrs) - 79.1 dB(A)

L_{min} Between (16.00 Hrs to 24.00 Hrs) - 52.6 dB(A)

Lab Asst. II **Chemist** **Scientist** **Regional Officer**

क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)
दूरभाष कमांक 07759–222370, ई. मेल–rocecb_korba@rediffmail.com

Conservation Board 9828 23/9/19

कमांक /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 कोरबा दिनांक / /2019

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, कोरबा,
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषयः– मूर्ति विसर्जन से कोरबा के जल स्त्रोंतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश बावत्।

सन्दर्भः–
1. मण्डल मुख्यायल, रायपुर का पत्र कमांक 1575 दिनांक 06.07.2015
2. इस कार्यालय का पत्र कमांक 642 दिनांक 28.07.2015
3. मण्डल मुख्यायल, रायपुर का पृ. पत्र कमांक 2003 दिनांक 07.07.16
4. मण्डल मुख्यायल, रायपुर का पृ. पत्र कमांक 925 दिनांक 01.06.2016
5. मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र कमांक 2772 दिनांक 03.07.2018
6. मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र कमांक 3895 दिनांक 30.07.2019

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से. जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल जलीय जीव –जन्तुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन, जिसकी छाया प्रति आपको पूर्व में भेजी गई थी। गाईड लाईन के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं–

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थाई पाण्ड/बंड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे–फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुएं इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जावें तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जावे। जिससे नदी व तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल को विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. नगरीय/स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति निर्माण हेतु संस्कृति के अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जावे। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जावे।

5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर्याप्त घेरा बंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हाकिंत विसर्जन स्थल पर नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जावे तथा विसर्जन के उपरान्त उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जावे, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें तथा मिट्टी को भू–भराव इत्यादि में उपयोग किया जावे।

6. यह सुनिश्चित किया जावे कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जावे। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जावे। मूर्तियों की उंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जावें।

उल्लेखनिय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये है। अतः गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें, ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित ना हो।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,कोरबा

पृ. कमांक 963 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 कोरबा दिनांक 6/9/2019

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,मुख्यालय, रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।

6/9/19

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,कोरबा

S.S.O.

Sant Singh

22/9

24/9

संं०/५७५-5

HO C.G. Environment Conservation Board, Atal Nagar, Distt.-Raipur (C.G.)
13869
17/12/19

क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
एच.आई.जी. 5 एवं 6 अघनपुर हाऊसिंग बोर्ड कालोंनी
चित्रकोट रोड, जगदलपुर (छ.ग.)

दूरभाष नंबर–07782–229367, ई–मेल hocecbrojagdalpur@gmail.com

क्रमांक/1943 /क्षे.कार्या./वैज्ञा./छ.प.सं.मं./2019 जगदलपुर, दिनांक 10/12/19

प्रति

सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

विषयः– मूर्ति के विसर्जन (गणेश उत्सव/दुर्गोत्सव) पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार की गई कार्यवाही की जानकारी भेजने बाबत्।

संदर्भः–
1. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 5238 अटल नगर, रायपुर दिनांक 29.09.2019
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1741 जगदलपुर दिनांक 15.11.2019
3. कार्यालय नगरपालिका परिषद कोण्डागांव का पत्र क्रं. 1684/लो.नि.वि./न.पा. /2019 कोण्डागांव दिनांक 14.11.2018
4. कार्यालय नगरपालिका परिषद नारायणपुर का पत्र क्रं. 1883/मु.न.अ./न.पा.परि./ /2019 नारायणपुर दिनांक 15.11.2018
5. कार्यालय नगरपालिका परिषद बीजापुर का पत्र क्रं. 1911/न.पा.परि./2019 बीजापुर दिनांक 16.11.2018
6. कार्यालय नगरपालिका परिषद दंतेवाड़ा का पत्र क्रं. 992/न.पा.परि./2019 दंतेवाड़ा, दिनांक 20.11.2019
7. कार्यालय नगरपालिक निगम जगदलपुर का पत्र क्रं. 3022/नपानि/राशा/2019 जगदलपुर, दिनांक 20.11.2019
8. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 7621 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28.11.2019

S.S.O.

13 DEC 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल के निर्देश/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार गणेशोत्सव पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही के परिपेक्ष्य में संदर्भित पत्र क्रमांक–02 के द्वारा कार्यालय कार्यक्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त नगरीय निकायों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र जारी किया गया। उक्त के परिपालन में संदर्भित पत्र क्रमांक–03, 04, 05, 06 एवं 07 के द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित की गई है। छायाप्रति कृपया अवलोकनार्थ संलग्न है।

Smt Singh

19/12

--2

गणेश उत्सव/दुर्गोत्सव के दौरान मूर्ति विसर्जन से पूर्व इन्द्रावती नदी जगदलपुर में निर्धारित जल नमूने के एकत्रीकरण बिन्दुओं (1) Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 100mtUS Near Identified idol Immersion Site (2) Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. At Identified idol Immersion Site (3) Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 100mt DS Near Identified idol Immersion Site, (4) Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 1 K.M. DS of Identified idol Immersion Site, बिन्दुओं से जल नमूने दिनांक 09.09.2019, 07.10.2019 को मूर्ति विसर्जन के पूर्व, दिनांक 11.09. 2019, 09.10.2019 को मूर्ति विसर्जन के दौरान तथा मूर्ति विसर्जन के उपरांत दिनांक 13.09.2019, 10.10.2019 को जल नमूने एकत्रित कर, क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई से विश्लेषण कराया गया है। विश्लेषण परिणाम अनुसार मूर्ति विसर्जन के दिन घुलित आक्सीजन (D.O.) के परिणाम में कुछ कमी पाई गई जो कि निर्धारित मानको के अनुरूप ही थी, शेष दिनों में (D.O.) के परिणाम में कोई विशेष अन्तर अवलोकित नही हुआ। विदित हो कि उक्त नदी में जल का बहाव पर्याप्त होने के कारण जल प्रदूषण निर्मित होने जैसी स्थिति अवलोकित नही हुई। सुलभ संदर्भ हेतु विश्लेषण परिणाम का तुलनात्मक विवरण अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार। (पृष्ठ क्र 1 से 38)

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

1

मूर्ति के विसर्जन से जल स्त्रोंतो की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी के संबंध में।

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	मूर्ति विसर्जन स्थल का नाम	मूर्ति विसर्जन हेतु अस्थायी कुण्ड का विवरण	नगरीय निकायों द्वारा की गई कार्यवाही विवरण	समाचार पत्र में प्रकाशित प्रेस विज्ञाप्ति	मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण
1.	नगर पालिका परिषद कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ.ग.)	बंधा तालाब	बंधा तालाब के पास विसर्जन हेतु छोटे मूर्ति तथा पूजन सामाग्री के विसर्जन हेतु अस्थायी विसर्जन कुण्ड की व्यवस्था किया गया। फोटोग्राफ्स संलग्न है।	नगर पालिका परिषद कोण्डागांव द्वारा बंधा तालाब के किनारे मूर्ति विसर्जन उपरांत घाटों की साफ–सफाई की गई।	निरंक	निरंक
2	नगर पालिका परिषद नारायणपुर, जिला–नारायणपुर (छ.ग.)	नदी एवं तालाब	नदी एवं तालाब के पास विसर्जन हेतु सिन्थेटिक लाईनर लगाया गया तथा पूजन सामाग्री के विसर्जन हेतु अस्थायी विसर्जन कुण्ड की व्यवस्था किया गया। फोटोग्राफ्स संलग्न है।	नगर पालिका परिषद नारायणपुर द्वारा नदी एवं तालाब के किनारे मूर्ति विसर्जन उपरांत घाटों की साफ–सफाई की गई।	निरंक	निरंक

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	मूर्ति विसर्जन स्थल का नाम	मूर्ति विसर्जन हेतु अस्थायी कुण्ड का विवरण	नगरीय निकायों द्वारा की गई कार्यवाही विवरण	समाचार पत्र में प्रकाशित प्रेस विज्ञाप्ति	मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण
3	नगर पालिका परिषद बीजापुर, जिला– बीजापुर (छ.ग.)	महादेव तालाब	महादेव तालाब के पास विसर्जन हेतु छोटे मूर्ति तथा पूजन सामाग्री के विसर्जन हेतु अस्थायी विसर्जन कुण्ड की व्यवस्था किया गया। फोटोग्राफ्स संलग्न है।	नगर पालिका परिषद बीजापुर द्वारा महादेव तालाब के किनारे मूर्ति विसर्जन उपरांत घाटों की साफ–सफाई की गई।	मूर्ति में प्लासटर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों की स्थापना एवं विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।	निरंक
4	नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा, जिला– दंतेवाड़ा (छ.ग.)	डंकनी नदी बड़े पुल के पास	डंकनी नदी बड़े पुल के पास विसर्जन हेतु छोटे मूर्ति तथा पूजन सामाग्री के विसर्जन हेतु अस्थायी कुण्ड का निर्माण किया गया। फोटोग्राफ्स संलग्न है।	नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा द्वारा डंकनी नदी बड़े पुल के पास मूर्ति विसर्जन उपरांत घाटों की साफ–सफाई की गई। फोटोग्राफ्स संलग्न है।	निरंक	निरंक

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	मूर्ति विसर्जन स्थल का नाम	मूर्ति विसर्जन हेतु अस्थायी कुण्ड का विवरण	नगरीय निकायों द्वारा की गई कार्यवाही विवरण	समाचार पत्र में प्रकाशित प्रेस विज्ञाप्ति	मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण
5.	नगर पालिक निगम जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)	इन्द्रावती नदी पुराना पुल	इन्द्रावती नदी पुराना पुल में विसर्जन हेतु छोटे मूर्ति तथा पूजन सामाग्री के विसर्जन हेतु अस्थायी कुण्ड का निर्माण की गई तथा बड़ी मूर्तियों के विसर्जन हेतु जिला प्रशासन की सहायता से क्रेन का उपयोग किया गया। फोटो ग्राफ्स संलग्न है।	नगर पालिक निगम जगदलपुर द्वारा इन्द्रावती नदी पुराना पुल में मूर्ति विसर्जन उपरांत घाटों की साफ–सफाई की गई।	—	नगर पालिक निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों के द्वारा दिनांक 22.08.2019 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

(4)

कार्यालय नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव
जिला–कोण्डागांव (छ0ग0)

Email cmokondagaon.2010@rediffmail.com
FaxN0. – 07786-2422

क्रमांक/1684/लो.नि.वि./न0पा0/ 2019 कोण्डागांव दिनांक 14/09/19

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
छ. पर्यावरण संभाग मण्डल
जगदलपुर (छ0ग0)

विषयः– मूर्ति के विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/1000/क्षे.कार्या./वैज्ञा./छ.प.सं.मं./2018 जगदलपुर दिनांक 18.10.2018

—::00::—

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के अनुसार बिन्दुवार पर्यावरण संरक्षण हेतु गाईड लाईन प्राप्त हुआ था, जिसका बिन्दुवार पालन किया जा रहा है एवं संदर्भित पत्र के परिपालन में निकाय द्वारा मूर्ति एंव हवन सामग्री विसर्जन हेतु अस्थायी विसर्जन कुण्ड का निर्माण किया गया है। उक्त स्थल का जानकारी निम्नानुसार है–

क्रमांक	स्थल का विवरण	रिमार्क
1	2	3
1	बंधातालाब के किनारे में अस्थायी कुण्ड का फोटोग्राफ	संलग्न है।
2	बंधातालाब के किनारे में अस्थायी कुण्ड मूर्ति विसर्जन का फोटोग्राफ	संलग्न है।

उपरोक्तानुसार उक्त कार्य संपादन का फोटो ग्राफ सहित जानकारी आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव
जिला–कोण्डागांव, छ0ग0

आवक क्र. 1627
दिनांक 22/11/19

RP_PWD_

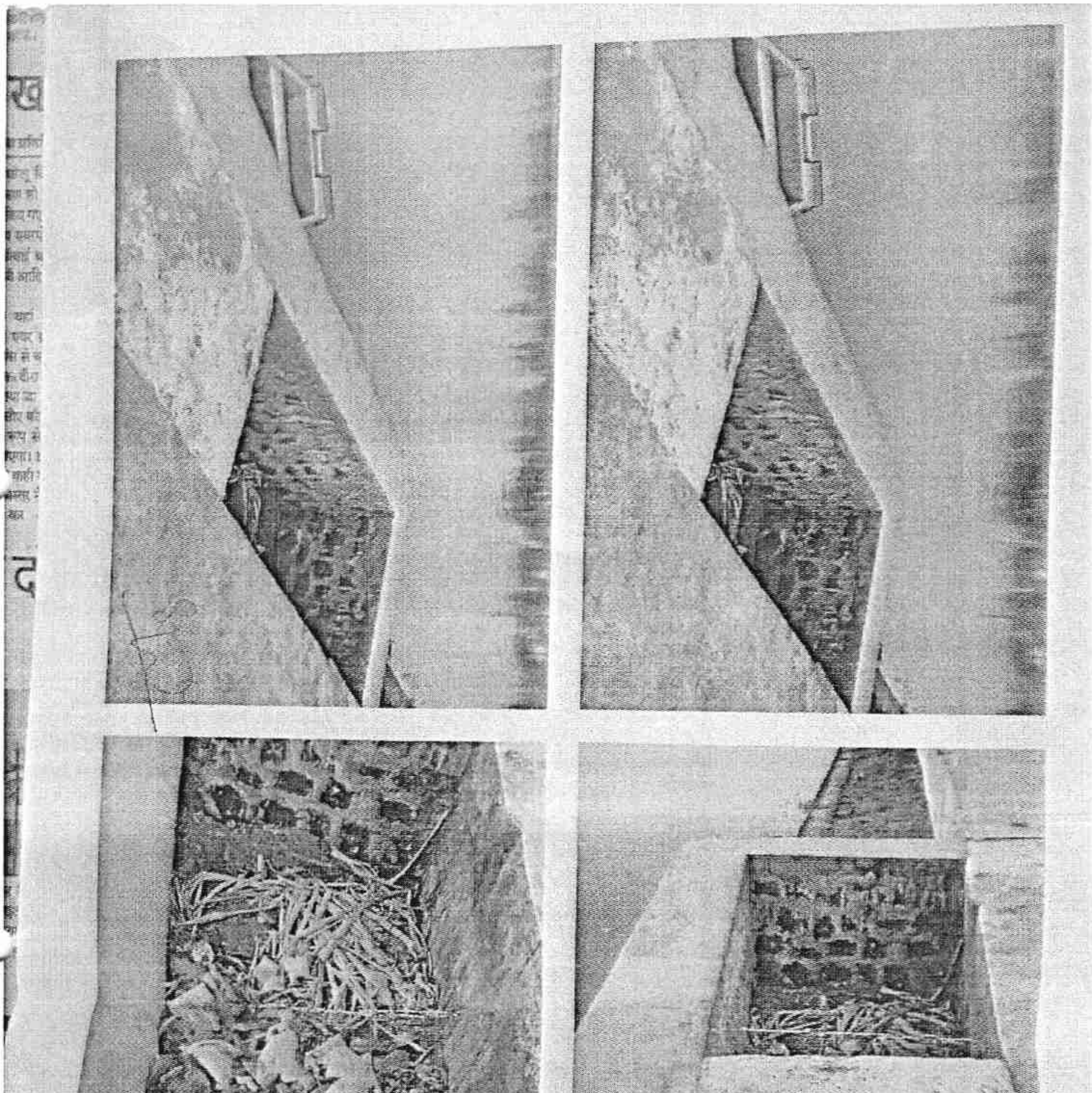

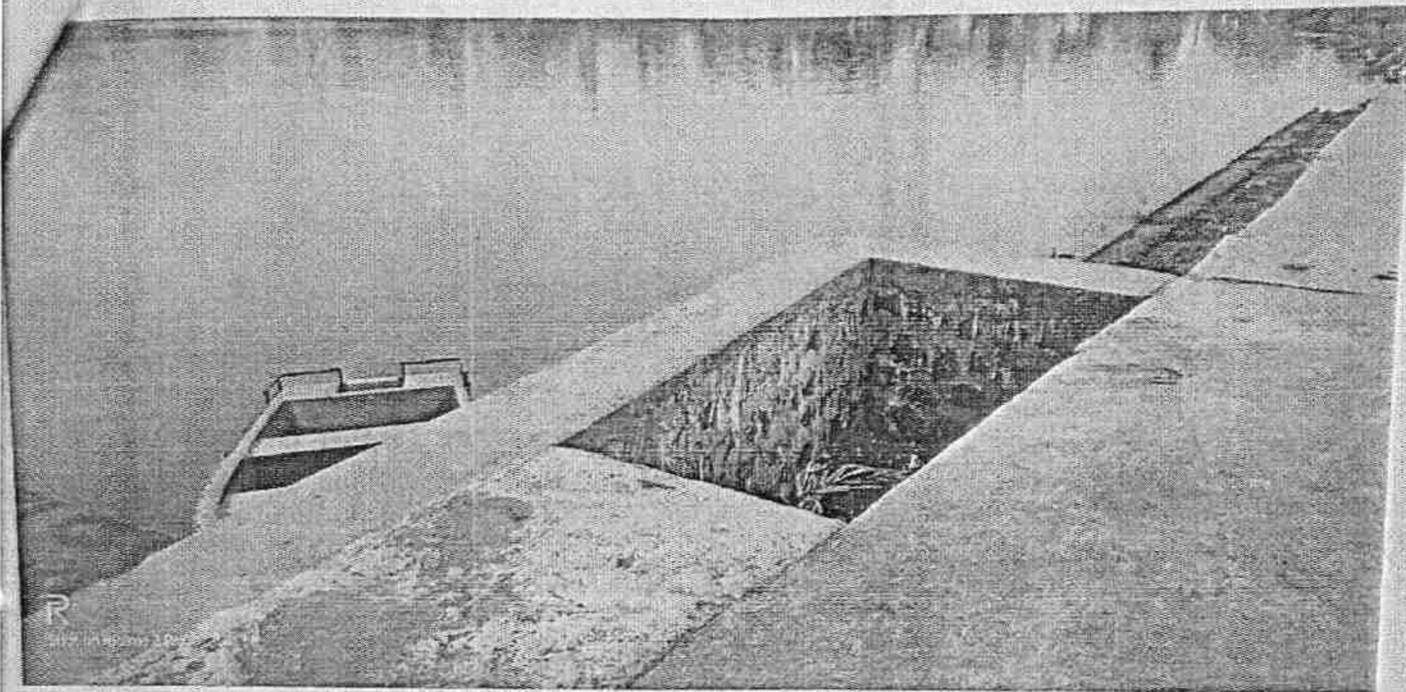

(7)

कार्यालय नगरपालिका परिषद् नारायणपुर, जिला – नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष – 07781–252378 Email- cmonarayanpur@rediffmail.com

क्रमांक /1883/ मु.न.अ. / न.पा.परि. / 2019 नारायणपुर, दिनांक 15/11/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
जगदलपुर (छ0ग0)

विषयः– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्र. / 969 / क्षे.कार्या. / वैज्ञा. / छ.प.सं.मं. / 2019 जगदलपुर दिनांक 14 / 08 / 2019

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में की गई कार्यवाही का गाईड लाईन के मुख्य बिन्दू निम्नानुसार है –

1. विसर्जन योग्य चयनित नदी और तालाब में मूर्ति विसर्जन हेतु सिन्थेटिक लाईनर लगाया गया तथा विसर्जन पूर्व पूजा सामाग्री जैस– फूल, वस्त्र, कागज, एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुओं को पृथक कराया गया। जिससे प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल, कपड़े, प्लास्टिक, पेपर को एकत्र कर पुर्नउपयोग तथा कम्पोस्टिंग किया गया।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाने हेतु रोक लगाया गया।
4. निकाय अन्तर्गत आने वाले मूर्ति कारीगरों तथा गणेश स्थापना समितियों से सम्पर्क कर उनसे शपथ पत्र लिया गया कि वे मूर्ति निर्माण हेतु मिट्टी तथा प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें तथा उन्हे विसर्जन स्थल की जानकारी प्रदान की गई।

अतः उपरोक्त के संबंध में पालन प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् नारायणपुर

पृ.क्र. / / मु.न.अ. / न.पा.परि. / 2019 नारायणपुर, दिनांक / / 2019

प्रतिलिपी :–

1. कलेक्टर महोदय, जिला– नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग बस्तर संभाग जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् नारायणपुर

आवक क्र. 1568
दिनांक 15/11/19

930

Scanned by CamScanner

Nagar Palika Narayanpur

कार्यालय नगर पालिका परिषद् बीजापुर,
जिला - बीजापुर (छ.ग.)

क्रमांक/1411 /न.पा.परि./2019 बीजापुर, दिनांक 18/11/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.पर्या.संरक्षण मण्डल,
जगदलपुर (छ.ग.)

विषय :– मूर्ति के विसर्जन के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत्।

संदर्भ :– क्षेत्रीय कार्यालय, छ. पर्या.संरक्षण मण्डल, जगलपुर के पत्र क्रमांक/1000/क्षे. कार्या./वैज्ञा./छ.प.सं.मं./2019 जगदलपुर, दिनांक 18.10.2019।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के अनुसार बिन्दुवार पर्यावरण संरक्षण हेतु गाईड लाईन प्राप्त हुआ था, जिसका बिन्दुवार पालन किया जा रहा है एवं संदर्भित पत्र के परिपालन में निकाय द्वारा मूर्ति एवं हवन सामाग्री विसर्जन हेतु अस्थायी कुण्ड का निर्माण किया गया है। उक्त स्थल की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	स्थल का विवरण	रिमार्क
1	2	3
01	महादेव तालाब के पास अस्थायी कुंड का फोटोग्राफ्स।	

उपरोक्तानुसार उक्त कार्य संपादन फोटोग्राफ सहित जानकारी आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य नगर पालिका अधिका
नगर पालिका परिषद् बीजा
जिला – बीजापुर (छ.ग)

आवक क्र. 1587
दिनांक 19/11/19

Nagar Palika Bijapur

(11)

पीओपी निर्मित मूर्तियों की स्थापना एवं विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित

नवप्रदेश संवाददाता

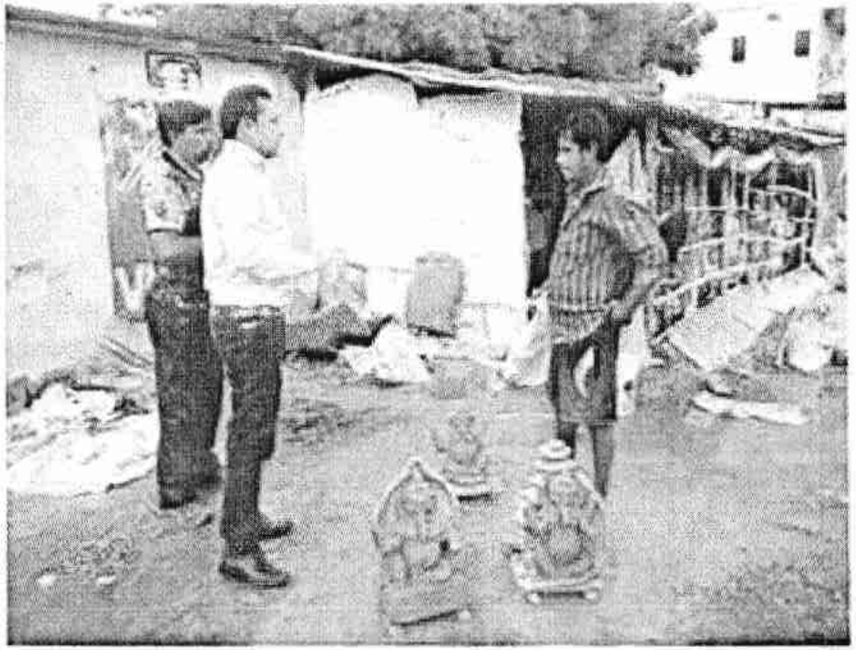

बीजापुर। नगर पालिका परिषद् बीजापुर क्षेत्र अंतर्गत गणेश चतुर्थी एवं दुर्गा पूजा उत्सव के अवसर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों की स्थापना एवं विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी पवन कुमार मेरिया ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण जोनल बेंच द्वारा पारित आदेश के तहत गणेश चतुर्थी एवं दुर्गा पूजा उत्सव के अवसर पर प्लास्टिक ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों की स्थापना एवं नदी-तालाबों में उनका विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने सभी बीजापुर वासियों से अपील की है, कि मिट्टी से निर्मित मूर्तियों की स्थापना करें तथा जिला प्रशासन एवं पालिका द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही विधिवत मूर्तियों का विसर्जन करें। नगर को साफ-सूथरा एवं जल स्त्रोंतों को प्रदूषित होने से बचाएं। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न रसायनों एवं प्लास्टिक ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का नदियों, तालाबों में विसर्जन से जल प्रदूषित होता है तथा इसका जलीय जीव-जन्तुओं पर विषैला प्रभाव पड़ता है कई जीव-जन्तु काल-कलवित हो जाते हैं तथा जलीय पौधे एवं वनस्पतियों पर भी इसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। गणेश चतुर्थी एवं दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान नगर पालिका बीजापुर क्षेत्र में लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों पर पूजा आराधना हेतु पंडाल लगाने से पूर्व नगर पालिका कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवष्यक होगा।

(12)

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)
कार्यालय – 07856252203 फैक्स – 07856252203 मोबाईल:–9399773733 ई मेल पता :– cmodantewada@gmail.com

क्रमांक / ११२ / न0पा0परि0 / 2019 दंतेवाड़ा, दिनांक 27/11/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
जगदलपुर,

विषयः– मूर्ति के विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों के रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी बावत्।

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर के पत्र क्रमांक / 1741 / क्षे.कार्या. / वैज्ञा. / छ.प.सं.मं. / 2019, जगदलपुर, दिनांक 15.11.2019।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा गणेश उत्सव पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जल–स्त्रोतो की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु दिशा–निर्देश दिया गया था। जिसके परिपालन में नगर पालिका परिषद् दंतेवाड़ा के द्वारा मूर्ति एवं पूजा सामाग्री विसर्जन हेतु पृथक–पृथक अस्थाई कुण्ड निर्माण किया गया था। जिसमें मूर्ति एवं सजावट / पूजा सामाग्री विसर्जित की गई। मूर्ति विसर्जन पश्चात् उक्त स्थल की साफ–सफाई नियमित कराई गई।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, दंतेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

20/11/19

आवक क्र. 1602
दिनांक 28/11/19
जगदलपुर (छ.ग.)

Nagar Palika Dantewada

कार्यालय नगर पालिक निगम जगदलपुर
जिला – बस्तर (छ.ग.)

क्रमांक /3024/नपानि/राशा/2019 जगदलपुर, दिनांक 20/11/19

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर

विषय :– मूर्ति के विसर्जन से जल स्तोत्रो की जलगुणवत्ता पर पडने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गयी कार्यवाही की जानकारी बाबत्।

सदर्भ :– आपका पत्र क्रंमाक/1741/क्षे0कार्या0/वैज्ञा0/छ0प0सं0म0/2018 जगदलपुर दिंनाक 15.11.2019

–––000–––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मूर्ति के विसर्जन से जल स्तोत्रो की जलगुणवत्ता पर पडने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के संबध मे की कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

अतः की गई कार्यवाही उपरान्त तैयार प्रतिवेदन आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :– प्रतिवेदन ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
जगदलपुर

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर (छ.ग.)
आवक क्र. 1609
दिनांक 22/11/19

Chemist
22/11/19

(15)

कार्यालय नगर पालिक निगम जगदलपुर
जिला बस्तर छ0ग0

प्रतिवेदन

सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रंमाक एफ 10–103/2016/18 दिंनाक 18.07.2018, मुतियों के विर्सजन से राज्य के जल स्त्रोतो की जल गुणवत्ता पर पडने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबध में सी0पी0सी0बी0 दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुक्रम में शहर के सार्वजनिक गणेशोत्सव/दुर्गोत्सव समितियों को प्रेरित किया गया, की उनके द्वारा प्रतिमा केवल मिट्टी से बनी हुई मुर्ति का उपयोग करे तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मुतियों का इस्तेमाल न करे। तथा मूर्ति निर्माण के संबध में मूर्तिकारो को सूचना दिंनाक 23.08.2019 को जारी किया गया है।

निकाय के राजस्व विभाग एवं स्वास्थ विभाग के द्वारा टीम तैयार कर शहर में निर्माण किये जा रहे मूर्ति निर्माण स्थलों में निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि मूर्तिकारों के द्वारा केवल मिट्टी से ही मूर्तियों का निर्माण किया गया है ।

दिनांक 22.08.2019 से शहर के विभिन्न स्थानों पर मूर्ति विक्रेताओं की दुकानों का जोन प्रभारियों के द्वारा जॉच की गई जिसमें पाया गया कि बाजार में विक्रय हेतु लाई गयी प्रतिमायें मिट्टी की बनी हुई है। साथ ही उनकी फोटोग्राफी की गई जो कि प्रतिवेदन के साथ संलग्न है ।

शहर में मूर्ति स्थापना के पश्चात् पंडालों में जाकर स्थापित प्रतिमाओं की भी फोटोग्राफी की गई है ।

मूर्ति विसर्जन के पूर्व चिन्हांकित स्थलों का निरीक्षण किया गया जिसके उपरान्त स्थलों की साफ सफाई एवं विद्युत व्यवस्था का कार्य किया गया । तथा बडी मुतियों के विर्सजन हेतु जिला प्रशासन की सहायता से क्रेन का उपयोग किया गया तथा छोटे मुतियों के विर्सजन एंव फुलमाला/पूजन सामग्री के विर्सजन हेतु कुन्ड का प्रयोग किया गया है।

संलग्न :–

01. मूर्तिकारो को सूचना दिंनाक 23.08.219
02. निरीक्षण किये जाने का आदेश दिनांक 22.08.2019
03. मूर्तियों के निर्माण एवं विक्रय करते समय की फोटोग्राफी ।

स्वास्थ अधिकारी
नगर पालिक निगम
जगदलपुर

(16)

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला–बस्तर (छ.ग.)

क्रमांक / 365 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2019 जगदलपुर, दिनांक 22/8/19

प्रति,

1. श्री संदीप विवेकर
2. श्री सुशील कर्मा
3. श्री दामोदर
4. श्री शेखर भारती

जोन प्रभारी नपानि जगदलपुर

विषय :– मूर्ति निर्माण के संबध में स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेतन प्रस्तुत करने बाबत् ।

संदर्भ :– 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10–103 / 2016 / 18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018

2.प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग का पत्र क्रं0 238 नया रायपुर दिंनाक 16.09.2015

3.सदस्य सचिव छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र0 3896 दिंनाक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम क्षेत्रांतर्गत, मूर्ति निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जाना है। जिसमें शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार गणेश एवं दुर्गा उत्सव में कृत्रिम मटेरियल, प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियाँ एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग न हो तथा इनसे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः मूर्ति निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें ।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

(17)

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला–बस्तर (छ.ग.)
सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

प्रति,

श्री / मेसर्स प्रदीप मण्डल
इंदिरा वार्ड
....
मूर्तिकार वार्ड क्रमांक................जगदलपुर ।

विषय :– मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :– 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10–103 / 2016 / 18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2.प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग का पत्र क्रं0 238 नया रायपुर दिंनाक 16.09.2015
3.सदस्य सचिव छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र0 3896 दिंनाक 30.07.2019

—— 000 ——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मुर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

Pojan Shikam

(18)

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला–बस्तर (छ.ग.)

सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

प्रति,

श्री / मेसर्स गौतम Hoson
ईदिरा वार्ड
....
मूर्तिकार वार्ड क्रमांक................जगदलपुर ।

विषय :– मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :– 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10–103 / 2016 / 18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2.प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग का पत्र क्रं0 238 नया रायपुर दिंनाक 16.09.2015
3.सदस्य सचिव छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र0 3896 दिंनाक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मुर्तियों का निर्माण किया जानां सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी ।

O/C

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

गौतमकमडल

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

(19)

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला–बस्तर (छ.ग.)
सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

प्रति,

श्री / मेसर्स ....

....

मूर्तिकार वार्ड क्रमांक................जगदलपुर ।

विषय :– मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :– 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10–103 / 2016 / 18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018

2.प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग का पत्र क्रं0 238 नया रायपुर दिंनाक 16.09.2015

3.सदस्य सचिव छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र0 3896 दिंनाक 30.07.2019

—— 000 ——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मुर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

8085834946

(20)

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला–बस्तर (छ.ग.)

सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

प्रति,

श्री / ~~मेसर्स~~ ....

....

....

मूर्तिकार वार्ड क्रमांक................जगदलपुर ।

विषय :– मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :– 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10–103 / 2016 / 18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018

2.प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग का पत्र क्रं0 238 नया रायपुर दिंनाक 16.09.2015

3.सदस्य सचिव छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र0 3896 दिंनाक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मुर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

(21)

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला–बस्तर (छ.ग.)

सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

प्रति,

श्री / मेसर्स पवन प्रजापति कुम्भकार
वीर सावरकर वार्ड
जगदलपुर
मूर्तिकार वार्ड क्रमांक..............जगदलपुर ।

विषय :– मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :– 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10–103 / 2016 / 18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018

2.प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग का पत्र क्रं0 238 नया रायपुर दिंनाक 16.09.2015

3.सदस्य सचिव छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र0 3896 दिंनाक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मुर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

(22)

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला–बस्तर (छ.ग.)
सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

प्रति,

श्री / मेसर्स विश्व नाथ
प्रधान गुड़ा
जगदलपुर
मूर्तिकार वार्ड क्रमांक................जगदलपुर ।

विषय :– मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :– 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10–103 / 2016 / 18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018

2.प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग का पत्र क्रं0 238 नया रायपुर दिंनाक 16.09.2015

3.सदस्य सचिव छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र0 3896 दिंनाक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मुर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

(23)

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला–बस्तर (छ.ग.)
सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

प्रति,

श्री / मेसर्स कुबेर गुप्ता
हलपत सागर वार्ड
....
मूर्तिकार वार्ड क्रमांक................जगदलपुर ।

विषय :– मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :– 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10–103 / 2016 / 18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2.प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग का पत्र क्रं0 238 नया रायपुर दिंनाक 16.09.2015
3.सदस्य सचिव छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र0 3896 दिंनाक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मुर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

(24)

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला—बस्तर (छ.ग.)
सूचना

क्रमांक / 372 / न.पा.नि. / स्वा.शा. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

प्रति,

श्री / मेसर्स रोहित कुम्हार
पथरागुड़ा बाम्हणुगा
(जगदलपुर)
मूर्तिकार वार्ड क्रमांक................जगदलपुर ।

विषय :— मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :— 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10—103 / 2016 / 18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2.प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग का पत्र क्रं0 238 नया रायपुर दिंनाक 16.09.2015
3.सदस्य सचिव छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र0 3896 दिंनाक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मुर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी ।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

(25)

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर
जिला–बस्तर (छ.ग.)
सूचना

क्रमांक/ 372 /न.पा.नि./स्वा.शा./2018 जगदलपुर, दिनांक 23/08/19

प्रति,

श्री/मेसर्स ...गोपाल...
...प्रजापति...
...जगदलपुर...
मूर्तिकार वार्ड क्रमांक................जगदलपुर ।

विषय :– मूर्ति निर्माण के संबंध में ।

संदर्भ :– 1. सचिव छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग.रायपुर का पत्र क्रमांक : एफ 10–103/2016/18 नया रायपुर, दिनांक 18.07.2018
2.प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग का पत्र क्रं0 238 नया रायपुर दिंनाक 16.09.2015
3.सदस्य सचिव छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र0 3896 दिंनाक 30.07.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा गणेश एवं दुर्गा उत्सव में मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है, मूर्ति निर्माण में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप कृत्रिम मटेरियल अथवा प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का निर्माण एवं सिंथेटिक केमिकल पेंट्स तथा डाईस का उपयोग तथा इससे निर्मित मूर्तियों का विक्रय किया जाना वर्जित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अंतर्गत मुर्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर

गोपाल

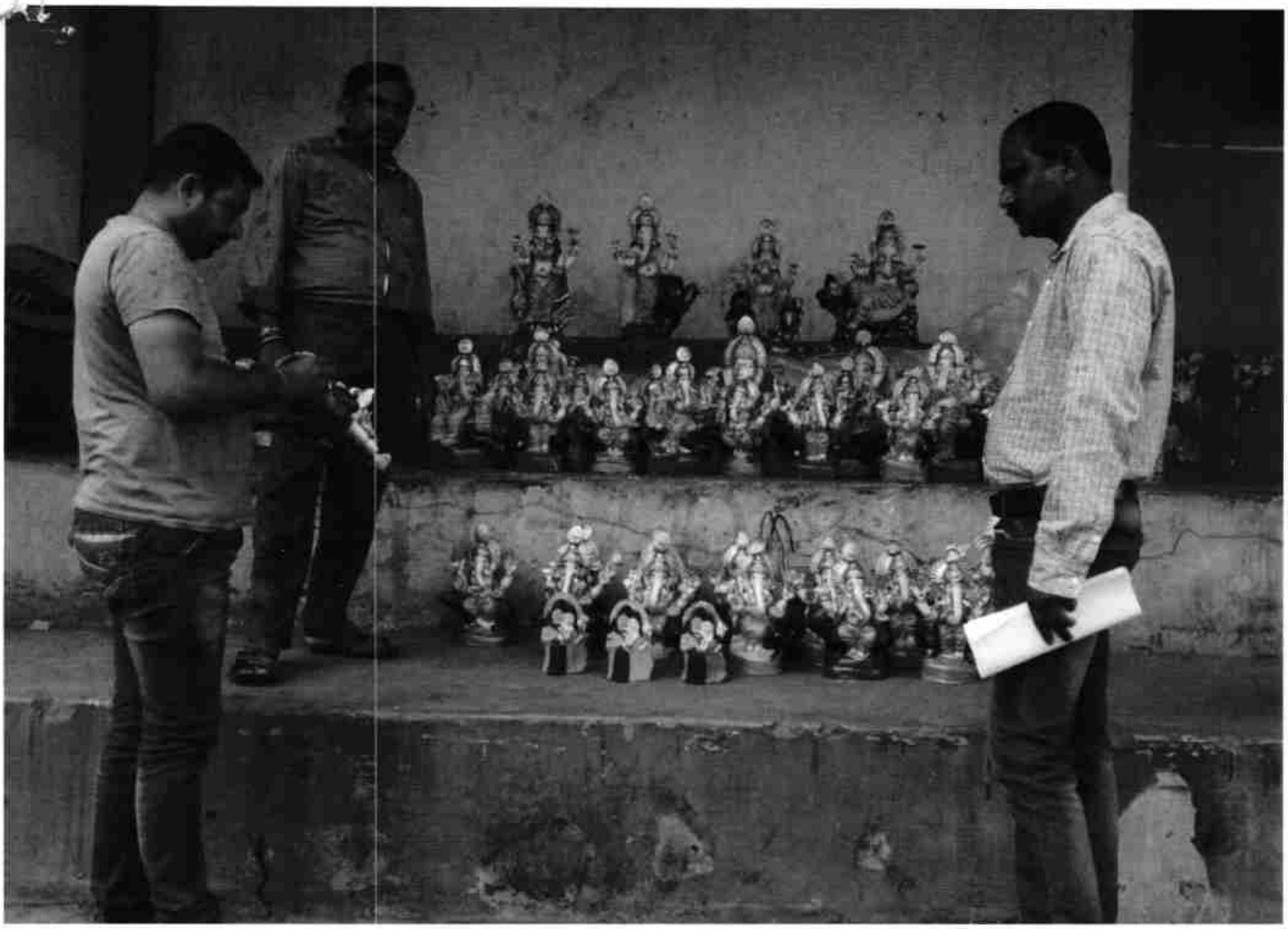

(27)

(8)

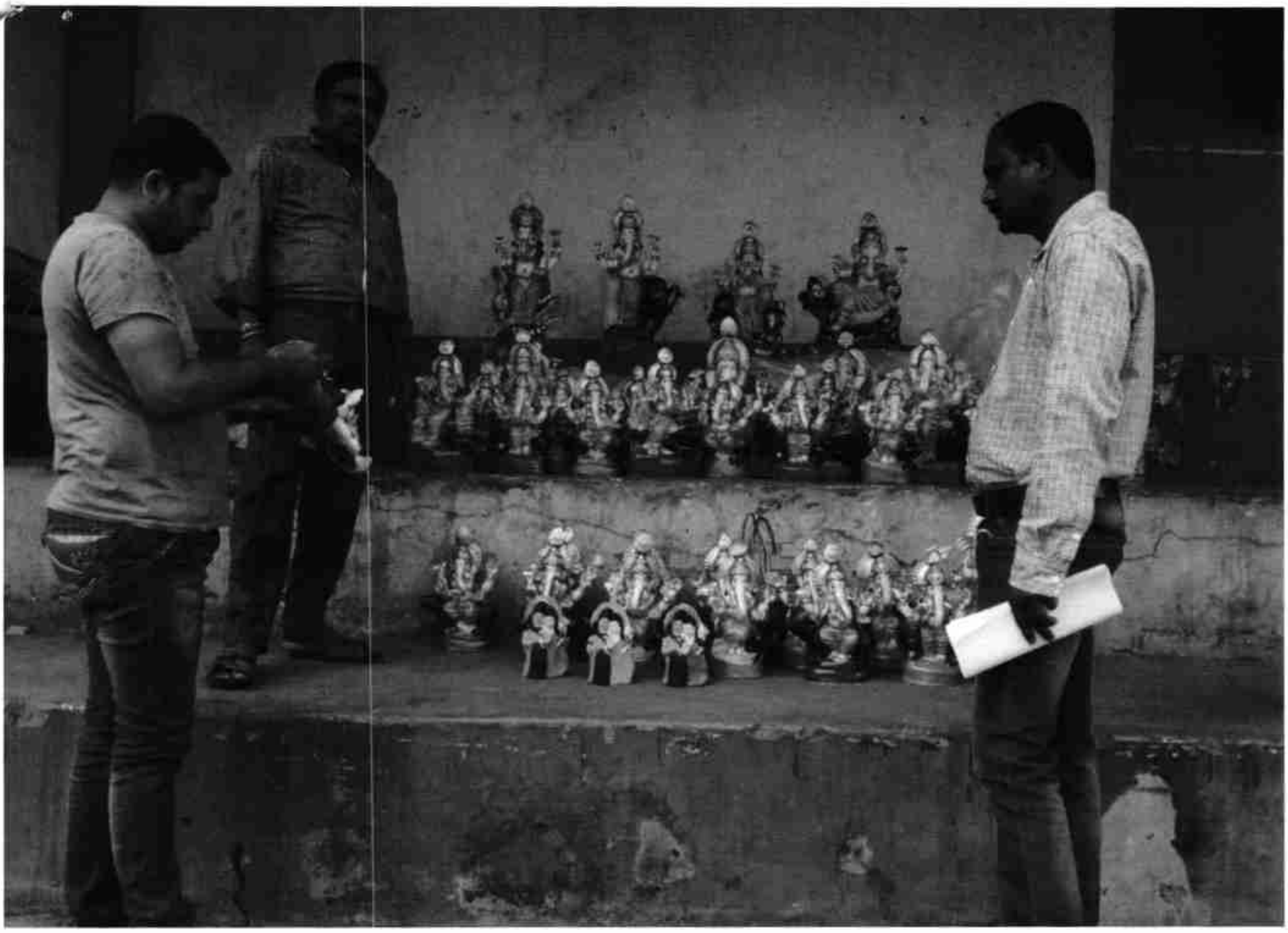

मूर्ति विसर्जन
(सामग्री)
इस कुंड में फूल माला
एवं पूजन सामग्री का
विसर्जन करें।

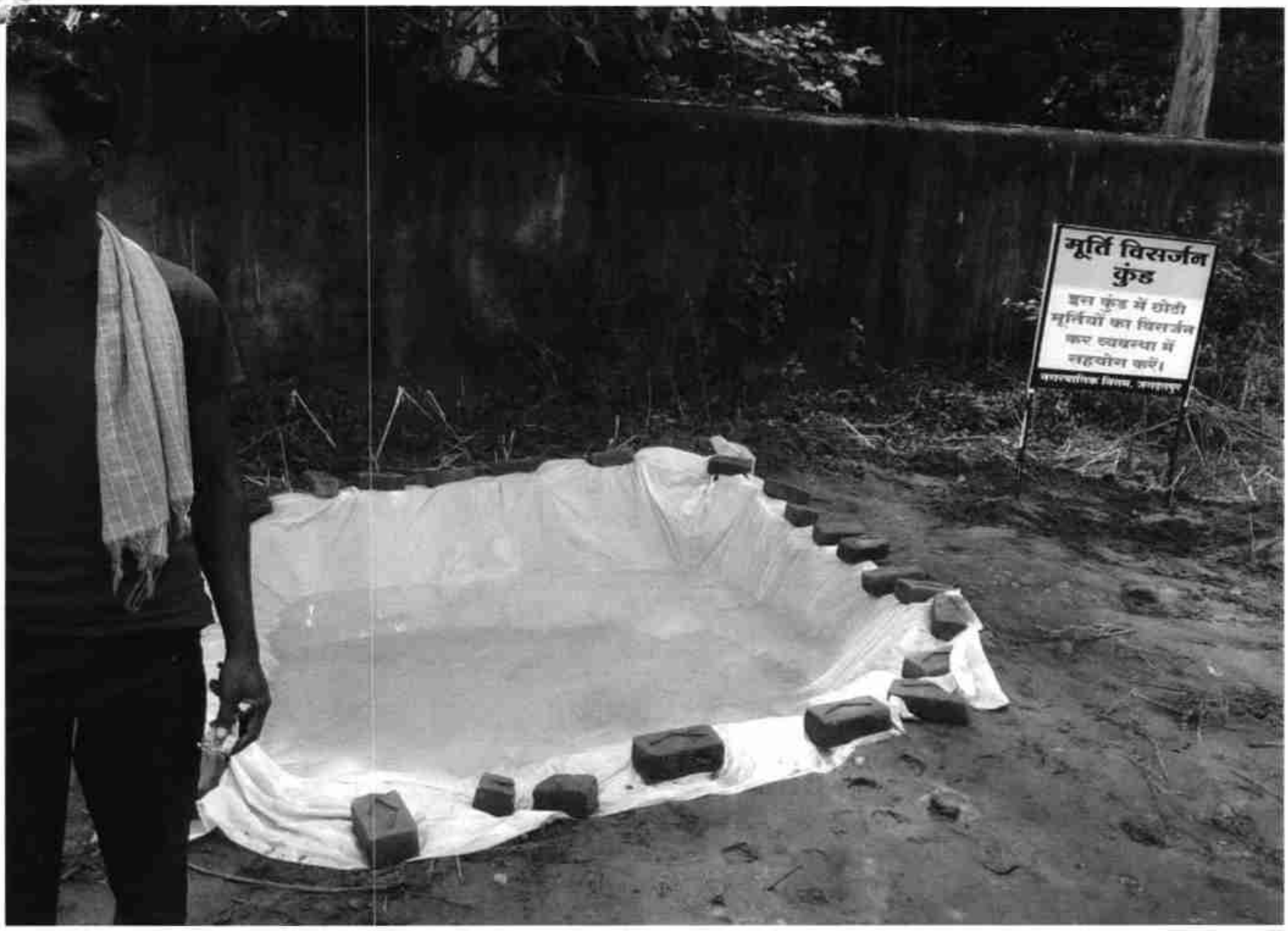
मूर्ति विसर्जन
कुंड

मूर्ति विसर्जन
कुंड

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. At Identified idol Immersion Site

S.No.	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Ganeshji	During Idol immersion of Ganeshji	After Idol immersion of Ganeshji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		320	324	328	
	Date of Collection		09.09.2019	11.09.2019	13.09.2019	
1	pH	pH unit	7.8	6.6	6.8	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	50.0	120.0	60.0	
3	Chloride (as Cl)	"	33.0	72.0	35.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	7.6	5.8	7.5	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	28.08	76.80	28.08	

Remarks ▭ Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C

Report Prepared by   Checked by   REGIONAL OFFICER

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 100mtUS Near Identified idol Immersion Site

S.No.	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Ganeshji	During Idol immersion of Ganeshji	After Idol immersion of Ganeshji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		321	325	329	
	Date of Collection		09.09.2019	11.09.2019	13.09.2019	
1	pH	pH unit	7.7	7.0	7.2	6.5-8.5
2	Suspended Solids	,,	40.0	90.0	70.0	
3	Chloride (as Cl)	,,	28.0	60.0	33.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	,,	7.7	6.4	7.2	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	,,	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	,,	28.08	56.16	28.08	

Remarks ▭ **Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C**

Report Prepared by

Checked by

REGIONAL OFFICER

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 100mt DS Near Identified idol Immersion Site

S.No.	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Ganeshji	During Idol immersion of Ganeshji	After Idol immersion of Ganeshji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		322	326	330	
	Date of Collection		09.09.2019	11.09.2019	13.09.2019	
1	pH	pH unit	7.8	7.0	7.0	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	50.0	90.0	70.0	
3	Chloride (as Cl)	"	35.0	60.0	38.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	7.6	6.7	7.7	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	28.08	56.16	28.08	

Remarks ▭ **Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C**

Report Prepared by   Checked by   REGIONAL OFFICER

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 1 K.M. DS of Identified idol Immersion Site

S.No.	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Ganeshji	During Idol immersion of Ganeshji	After Idol immersion of Ganeshji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		323	327	331	
	Date of Collection		09.09.2019	11.09.2019	13.09.2019	
1	pH	pH unit	7.8	7.5	7.2	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	50.0	90.0	70.0	
3	Chloride (as Cl)	"	36.0	58.0	40.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	7.6	6.6	7.6	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	28.08	56.16	28.08	

Remarks ▭ **Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C**

Report Prepared by　　　　Checked by　　　　REGIONAL OFFICER

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. At Identified idol Immersion Site

S.No.	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Durga ji	During Idol immersion of Durga ji	After Idol immersion of Durga ji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		366	370	374	
	Date of Collection		07.10.2019	09.10.2019	10.10.2019	
1	pH	pH unit	7.4	6.6	7.4	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	60.0	120.0	80.0	
3	Chloride (as Cl)	"	34.0	66.0	44.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	-	-	-	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	27.96	74.56	37.28	

Remarks ▭ **Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C**

Report Prepared by **Checked by** **REGIONAL OFFICER**

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 100mtUS Near Identified idol Immersion Site

S.No.	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Durga ji	During Idol immersion of Durga ji	After Idol immersion of Durga ji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		367	371	375	
	Date of Collection		07.10.2019	09.10.2019	10.10.2019	
1	pH	pH unit	7.4	7.3	7.4	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	60.0	80.0	60.0	
3	Chloride (as Cl)	"	32.0	50.0	40.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	-	-	-	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	27.96	46.60	27.96	

Remarks ▭ **Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C**

Report Prepared by   Checked by   REGIONAL OFFICER

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 100mt DS Near Identified idol Immersion Site

S.No.	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Durga ji	During Idol immersion of Durga ji	After Idol immersion of Durga ji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		**368**	**372**	**376**	
	Date of Collection		07.10.2019	09.10.2019	10.10.2019	
1	pH	pH unit	7.4	6.8	7.4	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	60.0	90.0	60.0	
3	Chloride (as Cl)	"	36.0	60.0	46.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	-	-	-	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	27.96	65.24	27.28	

Remarks **Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C**

Report Prepared by **Checked by** **REGIONAL OFFICER**

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
JAGDALPUR, BASTAR (C.G.)

Year -2019

CAMPARATIVE STATEMENT OF - Indrawati River, at Jagdalpur Near Old road Bridge. 1 K.M. DS of Identified idol Immersion Site

S.No.	Charactersties	Unit	Before Idol immersion of Durga ji	During Idol immersion of Durga ji	After Idol immersion of Durga ji	Indian Standard IS - 2296 Class - C
	Report No		369	373	377	
	Date of Collection		07.10.2019	09.10.2019	10.10.2019	
1	pH	pH unit	7.4	6.8	7.4	6.5-8.5
2	Suspended Solids	"	60.0	80.0	60.0	
3	Chloride (as Cl)	"	40.0	54.0	40.0	600 mg/lit.
4	Dissolved oxygen (DO)	"	-	-	-	4 mg/lit.
5	B.O.D (3day 270C)	"	-	-	-	3 mg/lit.
6	C.O.D.	"	27.96	46.60	27.28	

Remarks ▭ **Parameters Exceeds the limits as per IS Standard. 2296 Class - C**

Report Prepared by   Checked by   REGIONAL OFFICER

क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
एच.आई.जी. 5 एवं 6 अघनपुर हाऊसिंग बोर्ड कालोंनी
चित्रकोट रोड, जगदलपुर (छ.ग.)
दूरभाष नंबर–07782–229367, ई–मेल hocecbrojagdalpur@gmail.com

H.O.C.G. Environment Conservation Board Atal Nagar, Nava Raipur (C.G.) 13116 3/12/19

क्रमांक / /क्षे.कार्या./वैज्ञा./छ.प.सं.मं./2019 जगदलपुर, दिनांक

प्रति

....

................सूची संलग्न ....

....

विषयः– मूर्ति के विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत्।

संदर्भः– 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 969 जगदलपुर दिनांक 14.08.2019
2. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 5238 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.09.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र क्रमांक–01 के द्वारा गणेशोत्सव पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये आवश्यक उपाय करने बाबत् निर्देश पत्र दिया गया था। संदर्भित पत्र क्रमांक–02 के माध्यम से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल के निर्देश/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार गणेशोत्सव पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही, अस्थायी विसर्जन कुण्ड के निर्माण के संबंध में जानकारी/विसर्जन के पश्चात् घाटों की साफ–सफाई, की जानकारी चाही गई है। अतः आपको निर्देशित है कि इस वर्ष गणेशोत्सव के दौरान की गई कार्यवाही की रिपोर्ट फोटोग्राफ्स सहित ई–मेल के माध्यम से शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार दुर्गोत्सव के समय भी उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। ताकि संकलित जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को भेजी जा सकें।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

पृ. क्रमांक /1742/क्षे.कार्या./वैज्ञा/छ.प.सं.मं./2019 जगदलपुर, दिनांक 15/11/19

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव महो., छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

SSO

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

Sat Singh 3/12

D:\Backup 05022018\Q Driver\MSW\MURTI VISARJAN 2018.docx

संलग्न सूची	
1	आयुक्त, नगर पालिक निगम जगदलपुर, जिला–बस्तर
2	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बस्तर, जिला–बस्तर
3	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव
4	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत केशकाल, जिला–कोण्डागांव
5	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत फरसगांव, जिला–कोण्डागांव
6	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् कांकेर, जिला–कांकेर
7	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर
8	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चारामा, जिला–कांकेर
9	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत अंतागढ़, जिला–कांकेर
10	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पखांजूर, जिला–कांकेर
11	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत नरहरपुर, जिला–कांकेर
12	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् बड़े बचेली, जिला–दंतेवाड़ा
13	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् किरन्दुल, जिला–दंतेवाड़ा
14	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत गीदम, जिला–दंतेवाड़ा
15	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बारसूर, जिला–दंतेवाड़ा
16	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् दंतेवाड़ा, जिला–दंतेवाड़ा
17	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् नारायणपुर, जिला–नारायणपुर
18	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् सुकमा, जिला–सुकमा
19	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत दोरनापाल, जिला–सुकमा
20	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत कोण्टा, जिला–सुकमा
21	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् बीजापुर, जिला–बीजापुर
22	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भैरमगढ़, जिला–बीजापुर
23	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भोपालपट्नम, जिला–बीजापुर

कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

ज्ञापन

क्रमांक 03 / सत्ताईस–4 / ज्येलि–2 / 2018 जगदलपुर, दिनांक / 07 / 2019

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, जगदलपुर।
2. अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
   जगदलपुर / बस्तर / तोकापाल।
3. क्षेत्रीय अधिकारी,
   छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
   हाउसिंग बोर्ड कालोनी चित्रकोट रोड, जगदलपुर ।
4. आयुक्त,
   नगर पालिक निगम, जगदलपुर।
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
   नगर पंचायत बस्तर ।

HO.C.C. Environment Conservation Board Atal Nagar, Dist. Raipur (C.G.) 10538 11/10/19

विषयः– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भः– सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ0ग0) का पत्र क्रमांक / 3896 / मुख्या / वैज्ञा / छ.ग.प.सं.मं / 2019 रायपुर दिनांक 03.07.2019.

000

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति आपकी ओर प्रेषित कर लेख है कि मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतो की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु कमांक 01 से 06 का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
जिला बस्तर ।

पृ0 कमांक 03 / सत्ताईस–4 / ज्येलि–2 / 2018 जगदलपुर, दिनांक / 07 / 2019

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ0ग0) की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

कलेक्टर
जिला बस्तर ।

क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
एच.आई.जी. 5 एवं 6 अघनपुर हाऊसिंग बोर्ड कालोंनी
चित्रकोट रोड, जगदलपुर (छ.ग.)
दूरभाष नंबर–07782–229367, ई–मेल hocecbrojagdalpur@gmail.com

9054
04/9/19

क्रमांक / /क्षे.कार्या. / वैज्ञा. / छ.प.सं.मं. / 2019 जगदलपुर, दिनांक

प्रति

....
..................सूची संलग्न......................
....

विषयः– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतो की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावो की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत् ।

संदर्भः– 1. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 3896 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30.07.2019

2. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 3894 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30.07.2019

– 000 –

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। जैसा कि आपको विदित है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतो को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन जिसकी छायाप्रति पूर्व में भेजी गई थी। गाईड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पॉण्ड / बन्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुए इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसकी अपवहन उचित तरीके से किया जावे। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉण्ड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व में भी निर्देश दिये गये हैं। जिन्हें मान. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरान्त वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर, आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था, विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगो को स्थल के बारे में अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जायें, मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जाये।

....2

5. मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिंथेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बांस, लकड़ियां आदि का पुर्नउपयोग की जावे एवं मिट्टी को भू–भराव इत्यादि में किया जावें।

6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तिया प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जाये, मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर गाईडलाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये है। मूर्तियों का विसर्जन केवल विसर्जन कुंडों में ही किया जाये। इस हेतुः गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल के आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

पृ. क्रमांक /970/ क्षे.कार्या. / वैज्ञा / छ.प.सं.मं. / 2019 जगदलपुर, दिनांक 14.8.19

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव महो., छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय,, जिला–बस्तर / कोण्डागांव / कांकेर / नारायणपुर / दंतेवाड़ा / बीजापुर / सुकमा (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

14/8/19

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

13/9/19

12/09/19

\\ROCECB-PC\Users\rocecb\Desktop\MURTI VISARJAN 2018.docx

संलग्न सूची	
1	आयुक्त, नगर पालिक निगम जगदलपुर, जिला–बस्तर
2	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बस्तर, जिला–बस्तर
3	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव
4	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत केशकाल, जिला–कोण्डागांव
5	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत फरसगांव, जिला–कोण्डागांव
6	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् कांकेर, जिला–कांकेर
7	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर
8	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चारामा, जिला–कांकेर
9	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत अंतागढ़, जिला–कांकेर
10	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पखांजूर, जिला–कांकेर
11	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत नरहरपुर, जिला–कांकेर
12	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् बड़े बचेली, जिला–दंतेवाड़ा
13	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् किरन्दुल, जिला–दंतेवाड़ा
14	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत गीदम, जिला–दंतेवाड़ा
15	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बारसूर, जिला–दंतेवाड़ा
16	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् दंतेवाड़ा, जिला–दंतेवाड़ा
17	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् नारायणपुर, जिला–नारायणपुर
18	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् सुकमा, जिला–सुकमा
19	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत दोरनापाल, जिला–सुकमा
20	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत कोण्टा, जिला–सुकमा
21	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् बीजापुर, जिला–बीजापुर
22	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भैरमगढ़, जिला–बीजापुर
23	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भोपालपट्नम, जिला–बीजापुर

संलग्नक - 6

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
टी. वी. टावर रोड, रायगढ़ (छ.ग.)

जावक क्र 951 / वैज्ञा. / पर्या.सं.मं. / 2019 रायगढ़ दिनांक 04/10/2019

प्रति,
सदस्य सचिव,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :— मूर्ति के विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई जानकारी बाबत्।

संदर्भ :— मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 4439, दिनांक 27.08.2019.

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मूर्ति विसर्जन से प्राकृतिक जल स्त्रोतों को होने वाले जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु माननीय एन.जी.टी. एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप में इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों को समय–समय पर मूर्ति विसर्जन से संबंधित गाईड लाईन प्रेषित की जाती रही है। जिसके परिपालन में रायगढ़ शहर से होकर बहने वाली केलो नदी के शहीद भगत सिंह ब्रिज के बाजू का स्थान (मेरिन ड्राइव) मूर्तियों के विसर्जन करने हेतु चयनित (निर्धारित) कर जन जागरूकता के तहत् समस्त गणेश/दुर्गा पण्डालों, कमेटियों को निर्धारित स्थान पर मूर्ति विसर्जन करने हेतु निर्देशित किया गया। गणेश मूर्तियों के विसर्जन के पश्चात् पूजा सामग्री, फूल, कपड़ा, कागज एवं अन्य सामग्री तथा शेष अवशेषों को रामपुर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में डंप करवाया गया। मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ–सफाई नगर पालिक निगम द्वारा करा ली गई है, तत्संबंध में उक्त के संबंध में आयुक्त, नगरपालिक निगम, रायगढ़ का पत्र क्रमांक 542 दिनांक 03.10.2019 प्राप्त हुआ है। गणेश मूर्ति विसर्जन से प्राकृतिक जल स्त्रोतों में होने वाले प्रदूषण के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में गणेश मूर्ति विसर्जन के पूर्व, विसर्जन के दौरान एवं विसर्जन के पश्चात् जल नमूनों का संग्रहण कर विश्लेषण किया गया। विश्लेषण रिपोर्ट एवं ध्वनि मापन की जानकारी के साथ नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिये की गई व्यवस्था की जानकारी संलग्न कर प्रेषित है। गाईड लाईन के अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह जल नमूनों का संग्रहण एवं विश्लेषण कर विश्लेषण परिणाम मण्डल मुख्यालय रायपुर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

22 OCT 2019

Regional Office
C.G. Environment Conservation Board
T.V. Tower Road, Raigarh

Sample Collected From : Kelo River at Raigarh (Before Ganesh idol immersion)

Description of Sample : 1. Idol Immersion point at Chakrapath Bhagat Singh Bridge near Marine Drive.
2. 1.0 K.M. away from down stream of Idol Immersion point, near village-Bade Atarmuda.

Date of Collection : 09.09.2019

Date of Receive : 10.09.2019

Date of Analysis : 10.09.2019

Analysed By : S.K. Pradhan (Chemist)

SAMPLE COLLECTED BY
Samarjeet Singh (Sampler)

WATER ANALYSIS REPORT

SL. No.	Characteristics	Unit	Results [I]	Results [ii]	Results[iii]
1	pH	pH Unit	7.2	7.2	
2	Turbidity	NTU	58.0	60.0	
3	Specific Conductivity	Micro Mhos	211.0	213.0	
4	Total Solid	Mg/L	288.0	295.0	
5	Dissolved Solids	Mg/L	170.0	174.0	
6	D.O.	Mg/L	6.8	6.8	
7	B.O.D. (3 day 27^0C)	Mg/L	2.7	2.9	
8	C.O.D.	Mg/L	36.0	36.0	
9	Metals	Mg/L	--	--	

Remark: -

Chemist

Scientist

Regional Officer

Regional Office
C.G. Environment Conservation Board
T.V. Tower Road, Raigarh

Sample Collected From : Kelo River at Raigarh (During Ganesh idol immersion)

Description of Sample : 1. Idol Immersion point at Chakrapath Bhagat Singh Bridge, near Marine Drive.
2. 1.0 K.M. away from down stream of Idol Immersion point, near village-Bade Atarmuda.

Date of Collection : 12.09.2019 SAMPLE COLLECTED BY

Date of Receive : 13.09.2019 Samarjeet Singh (Sampler)

Date of Analysis : 13.09.2019

Analysed By : S.K. Pradhan (Chemist)

WATER ANALYSIS REPORT

SL. No.	Characteristics	Unit	Results [I]	Results [ii]	Results[iii]
1	pH	pH Unit	7.4	7.5	
2	Turbidity	NTU	62.0	60.0	
3	Specific Conductivity	Micro Mhos	215.0	213.0	
4	Total Solid	Mg/L	311.0	290.0	
5	Dissolved Solids	Mg/L	173.0	172.0	
6	D.O.	Mg/L	6.4	6.6	
7	B.O.D. (3 day 27^0C)	Mg/L	3.9	3.8	
8	C.O.D.	Mg/L	64.0	56.0	
9	Metals	Mg/L	--	--	

Remark: -

Chemist   Scientist   Regional Officer

Regional Office
C.G. Environment Conservation Board
T.V. Tower Road, Raigarh

Sample Collected From : Kelo River at Raigarh (After Ganesh idol immersion)

Description of Sample : 1. Idol Immersion point at Chakrapath Bhagat Singh Bridge, near Marine Drive.
2. 1.0 K.M. away from down stream of Idol Immersion point, near village-Bade Atarmuda.

Date of Collection : 16.09.2019 SAMPLE COLLECTED BY

Date of Receive : 17.09.2019 Samarjeet Singh (Sampler)

Date of Analysis : 17.09.2019

Analysed By : S.K. Pradhan (Chemist)

WATER ANALYSIS REPORT

SL. No.	Characteristics	Unit	Results [i]	Results [ii]	Results[iii]
1	pH	pH Unit	7.3	7.3	
2	Turbidity	NTU	58.0	59.0	
3	Specific Conductivity	Micro Mhos	212.0	213.0	
4	Total Solid	Mg/L	291.0	290.0	
5	Dissolved Solids	Mg/L	172.0	172.0	
6	D.O.	Mg/L	6.8	6.7	
7	B.O.D. (3 day 27^0C)	Mg/L	2.8	2.6	
8	C.O.D.	Mg/L	44.0	40.0	
9	Metals	Mg/L	--	--	

Remark: -

Chemist Scientist Regional Officer

D:\Yogi\MINAR_REPORT_\2019 Minar\Murti Visharjan\Murti Visarajan 2019

Data Sheet for Ambient Noise Monitoring on **Ganesh Idol Immeresion Day** Chakrapath Bhagat Singh Bridge (At Marine Drive)			Date : 12.09.2019
Noise Level Meter			
Make	:	Pulsar Instrument Ltd. U.K.	
Model	:	Pulsar Instrument Model 33	
Serial No.	:	T 225342	
Calibration Result of Noise Level Meter			
Calibration	94 dB at 1000 Hz		114 dB at 1000 Hz
Initial	--		--
Final	--		--
Sampling rate	--		

S.NO.	**Time Duration**	**File No.**	**Lequivalent dB (A)**
1	16:00 Hrs to 17:00 Hrs	--	52.7
2	17:00 Hrs to 18:00 Hrs	--	57.5
3	18:00 Hrs to 19:00 Hrs	--	65.2
4	19:00 Hrs to 20:00 Hrs	--	68.4
5	20:00 Hrs to 21:00 Hrs	--	75.3
6	21:00 Hrs to 22:00 Hrs	--	77.4
7	22:00 Hrs to 23:00 Hrs	--	62.7
8	23:00 Hrs to 24:00 Hrs	--	46.9
	Average L equivalent dB (A) Between (16:00 Hrs to 24:00 Hrs)		63.26
	Name & Signature of Official on Duty		Him Shweta Khakha

L_{max} Between (16:00 Hrs to 24:00 Hrs) - 77.4 dB (A)
L_{min} Between (16:00 Hrs to 24:00 Hrs) - 46.9 dB (A)

Chemist | Scientist | Regional Officer

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ0ग0)

क्र. 542 /स्वा.वि./न.पा.नि./2019, रायगढ़ दिनांक 03.10.19

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायगढ़,(छ0ग0)

क्र 2312
दि 03/10/19

विषयः– गणेश मूर्ति विसर्जन वर्ष 2019 के सम्बध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पाकिक निगम रायगढ़ द्वारा निर्धारित स्थान पर मूर्तियों का विसर्जन करने हेतु समस्त गणेश/दुर्गा पंडालो कमेटी को सूचित किया गया एवं उन लोगो को नदी के पानी प्रदूषण बावत उसका साइड एफेक्ट के बारे में मूर्ति बनाने में प्राकृतिक मिट्टी, बास,प्राकृतिक मटेरियल से बनाने के लिए निर्देशित किया गया।

गणेश मूर्ति का विसर्जन स्थान चक्रपथ भगतसिंह ब्रिज के पास (मेरिन ड्राईव) पर किया गया है। मूर्तियों का पूजा सामग्री फूल, कपड़ा, कागज एवं अन्य सामग्री अलग कर मूर्ति विसर्जन के पश्चात शेष अवशेषों को निर्धारित स्थान से बाहर निकालकर रामपुर ट्रैचिंग ग्राउण्ड में ट्रेक्टर ट्राली के माध्यम से डिस्पोज किया गया। मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ – सफाई करा ली गई है।

आयुक्त 3/X/19
नगर पालिक निगम
रायगढ़,(छ0ग0)

पृ. क्र. 542 /स्वा.वि./मूर्ति.विस./2019, रायगढ़ दिनांक 03.10.19

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, रायगढ़ को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

आयुक्त 3/X/19
नगर पालिक निगम
रायगढ़,(छ0ग0)

3/10/19

HO C.G. Environment Conservation Board Atal Nagar, Distt.-Raipur (C.G.) 13350 6/12/19

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
टी. वी. टावर रोड, रायगढ़ (छ.ग.)

जावक क्र. 1179 /वैज्ञा./पर्या.सं.मं./2019 रायगढ़,दिनांक 20/11/19

प्रति,
सदस्य सचिव,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :– मूर्ति के विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई जानकारी बाबत्।

संदर्भ :– मंडल मुख्यालय का पत्र कमांक 4439, दिनांक 27.08.2019.

----00----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मूर्ति विसर्जन से प्राकृतिक जल स्त्रोतों को होने वाले जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु माननीय एन.जी.टी. एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों को समय-समय पर मूर्ति विसर्जन से संबंधित गाईड लाईन प्रेषित की जाती रही है। जिसके परिपालन में रायगढ़ शहर से होकर बहने वाली केलो नदी के वकपथ भगत सिंह ब्रिज के बाजू का स्थान (मेरिन ड्राइव) मूर्तियों के विसर्जन करने हेतु चयनित (निर्धारित) कर जन जागरूकता के तहत समस्त गणेश/दुर्गा पण्डालों, कमेटियों को निर्धारित स्थान पर मूर्ति विसर्जन करने हेतु निर्देशित किया गया। गणेश मूर्तियों के विसर्जन के पश्चात् पूजा सामग्री, फूल, कपड़ा, कागज एवं अन्य सामग्री तथा शेष अवशेषों को रामपुर स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में डंप करवाया गया। मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ-सफाई नगर पालिक निगम द्वारा करा ली गई है, तद्संबंध में उक्त के संबंध में आयुक्त, नगरपालिक निगम, रायगढ़ का पत्र कमांक 643 दिनांक 14.11.2019 प्राप्त हुआ है। दुर्गा मूर्ति विसर्जन से प्राकृतिक जल स्त्रोतों में होने वाले प्रदूषण के प्रभाव के परिपेक्ष्य में दुर्गा मूर्ति विसर्जन से पूर्व, विसर्जन के दौरान एवं विसर्जन के पश्चात् जल नमूनों का संग्रहण कर विश्लेषण किया गया। विश्लेषण रिपोर्ट एवं ध्वनि मापन की जानकारी के साथ नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिये की गई व्यवस्था की जानकारी संलग्न कर प्रेषित है। गाईड लाईन के अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह जल नमूनो का संग्रहण एवं विश्लेषण कर विश्लेषण परिणाम मण्डल मुख्यालय रायपुर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

D:\Yogi\Murti Visharjan\Covering Letter\Murti Visharjan- Covering Letter

9/12

27 NOV 2019

Regional Office
C.G. Environment Conservation Board
T.V. Tower Road, Raigarh

Sample Collected From : Kelo River at Raigarh (Before Durga idol immersion)

Description of Sample :
1. Idol Immersion point at Chakrapath Bhagat Singh Bridge. near Marine Drive.
2. 1.0 K.M. away from down stream of Idol Immersion point, near village-Bade Atarmuda.

Date of Collection : 08.10.2019 SAMPLE COLLECTED BY

Date of Receive : 09.10.2019 Samarjeet Singh (Sampler)

Date of Analysis : 09.10.2019

Analysed By : Him Shweta Khakha (Chemist)

WATER ANALYSIS REPORT

SL. No.	Characteristics	Unit	Results [I]	Results [ii]	Results[iii]
1	pH	pH Unit	7.3	7.3	
2	Turbidity	NTU	55.0	56.0	
3	Specific Conductivity	Micro Mhos	210.0	209.0	
4	Total Solid	Mg/L	295.0	300.0	
5	Dissolved Solids	Mg/L	165.0	168.0	
6	D.O.	Mg/L	6.7	6.7	
7	B.O.D. (3 day 27^{0}C)	Mg/L	2.9	30.0	
8	C.O.D.	Mg/L	35.64	35.64	
9	Metals	Mg/L	--	--	

Remark: -

Chemist Scientist Regional Officer

Regional Office
C.G. Environment Conservation Board
T.V. Tower Road, Raigarh

Sample Collected From : Kelo River at Raigarh (During Durga idol immersion)

Description of Sample : 1. Idol Immersion point at Chakrapath Bhagat Singh Bridge, near Marine Drive.
2. 1.0 K.M. away from down stream of Idol Immersion point, near village-Bade Atarmuda.

Date of Collection : 10.10.2019 SAMPLE COLLECTED BY

Date of Receive : 11.10.2019 Samarjeet Singh (Sampler)

Date of Analysis : 11.10.2019

Analysed By : Him Shweta Khakha (Chemist)

WATER ANALYSIS REPORT

SL. No.	Characteristics	Unit	Results [I]	Results [ii]	Results[iii]
1	pH	pH Unit	7.5	7.6	
2	Turbidity	NTU	67.0	64.0	
3	Specific Conductivity	Micro Mhos	216.0	216.0	
4	Total Solid	Mg/L	324.0	318.0	
5	Dissolved Solids	Mg/L	176.0	174.0	
6	D.O.	Mg/L	6.5	6.5	
7	B.O.D. (3 day 27^0C)	Mg/L	4.0	4.0	
8	C.O.D.	Mg/L	59.4	55.4	
9	Metals	Mg/L	---	---	

Remark: -

Chemist Scientist Regional Officer

Regional Office
C.G. Environment Conservation Board
T.V. Tower Road, Raigarh

Sample Collected From : Kelo River at Raigarh (After Durga idol immersion)

Description of Sample : 1. Idol Immersion point at Chakrapath Bhagat Singh Bridge, near Marine Drive.
2. 1.0 K.M. away from down stream of Idol Immersion point, near village-Bade Atarmuda.

Date of Collection : 12.10.2019 SAMPLE COLLECTED BY

Date of Receive : 13.10.2019 Samarjeet Singh (Sampler)

Date of Analysis : 13.10.2019

Analysed By : Him Shweta Khakha (Chemist)

WATER ANALYSIS REPORT

SL. No.	Characteristics	Unit	Results [I]	Results [ii]	Results[iii]
1	pH	pH Unit	7.4	7.3	
2	Turbidity	NTU	56.0	57.0	
3	Specific Conductivity	Micro Mhos	212.0	209.0	
4	Total Solid	Mg/L	288.0	286.0	
5	Dissolved Solids	Mg/L	167.0	165.0	
6	D.O.	Mg/L	6.6	6.6	
7	B.O.D. (3 day 27^0C)	Mg/L	3.1	3.2	
8	C.O.D.	Mg/L	39.6	39.6	
9	Metals	Mg/L	--	--	

Remark: -

Chemist

Scientist

Regional Officer

Data Sheet for Ambient Noise Monitoring on **Durga Idol Immersion Day** Chakrapath Bhagat Singh Bridge (At Marine Drive)			Date : 10.10.2019
Noise Level Meter			
Make	:	Pulsar Instrument Ltd. U.K.	
Model	:	Pulsar Instrument Model 33	
Serial No.	:	T 225342	

Calibration Result of Noise Level Meter

Calibration	94 dB at 1000 Hz	114 dB at 1000 Hz
Initial	--	--
Final	--	--
Sampling rate	--	

S.NO.	Time Duration	File No.	Lequivalent dB (A)
1	16:00 Hrs to 17:00 Hrs	--	51.5
2	17:00 Hrs to 18:00 Hrs	--	60.2
3	18:00 Hrs to 19:00 Hrs	--	68.6
4	19:00 Hrs to 20:00 Hrs	--	72.4
5	20:00 Hrs to 21:00 Hrs	--	76.2
6	21:00 Hrs to 22:00 Hrs	--	80.5
7	22:00 Hrs to 23:00 Hrs	--	73.3
8	23:00 Hrs to 24:00 Hrs	--	50.8
	Average L equivalent dB (A) Between (16:00 Hrs to 24:00 Hrs)		66.68
	Name & Signature of Official on Duty		Him Shweta Khakha

L_{max} Between (21:00 Hrs to 22:00 Hrs) - 80.5 dB (A)
L_{min} Between (23:00 Hrs to 24:00 Hrs) - 50.8 dB (A)

Chemist Scientist Regional Officer

D:\Yogi\Murti Visharjan\Noise Monitoring Murti Visharjan\Ganesh Visharjan- Noise Monitoring Report

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ0ग0)

क्रमांक 643 / स्वा.वि. / मूर्ति विस. / न.पा.नि. / 2019 रायगढ़, दिनांक 14/11/19

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायगढ़ (छ.ग.)

2769
दि 19/11/19

विषय :— दुर्गा मूर्ति विसर्जन वर्ष 2019 के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निर्धारित स्थान पर मूर्तियों का विसर्जन करने हेतु समस्त गणेश/दुर्गा पंडालों कमेटी को सूचित किया गया एवं उन लोगों को नदी के पानी प्रदूषण बावत उसका साइड एफेक्ट के बारे में मूर्ति बनाने में प्राकृतिक मिट्टी, बास, प्राकृतिक मटेरियल से बनाने के लिए निर्देशित किया गया।

दुर्गा मूर्ति का विसर्जन स्थान चक्रपथ भगतसिंह ब्रिज के पास (मेरिन ड्राईव) पर किया गया है। मूर्तियों का पूजा सामग्री फूल, कपड़ा, कागज एवं अन्य सामग्री अलग कर मूर्ति विसर्जन के पश्चात शेष अवशेषों को निर्धारित स्थान से बाहर निकालकर रामपुर ट्रैचिंग ग्राउण्ड में ट्रेक्टर ट्राली के माध्यम से डिस्पोंज किया गया। मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ–सफाई करा ली गई है।

संलग्न : 03 नग फोटोग्राफ

14/11/19
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. 643 / स्वा.वि. / मूर्ति विस. / न.पा.नि. / 2019 रायगढ़, दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपि :—

1. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, रायगढ़ को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

14/11/19
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

19/11

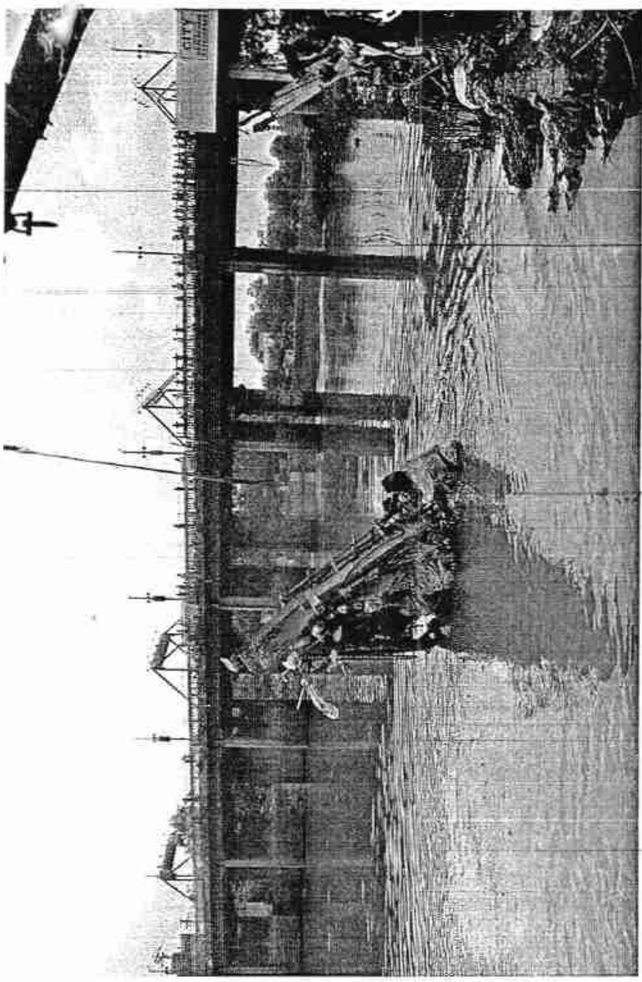

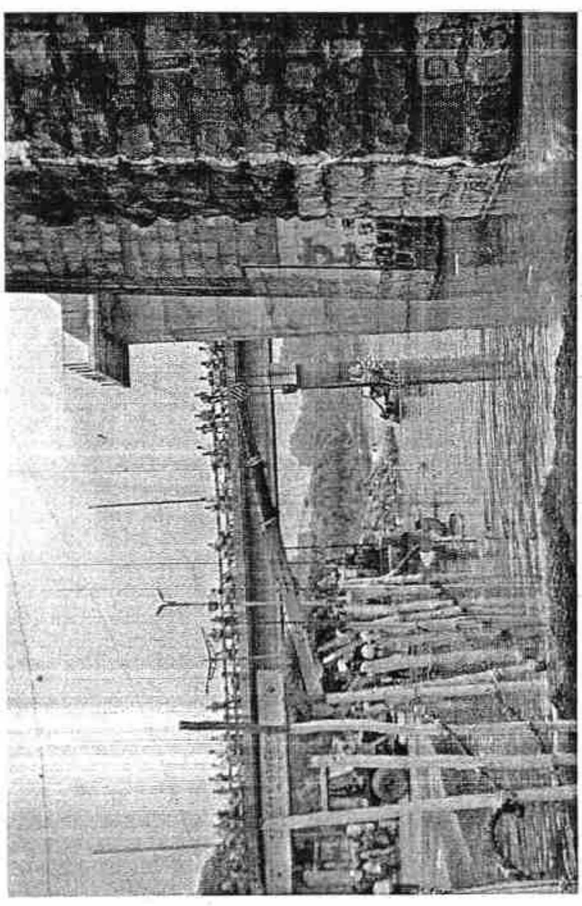

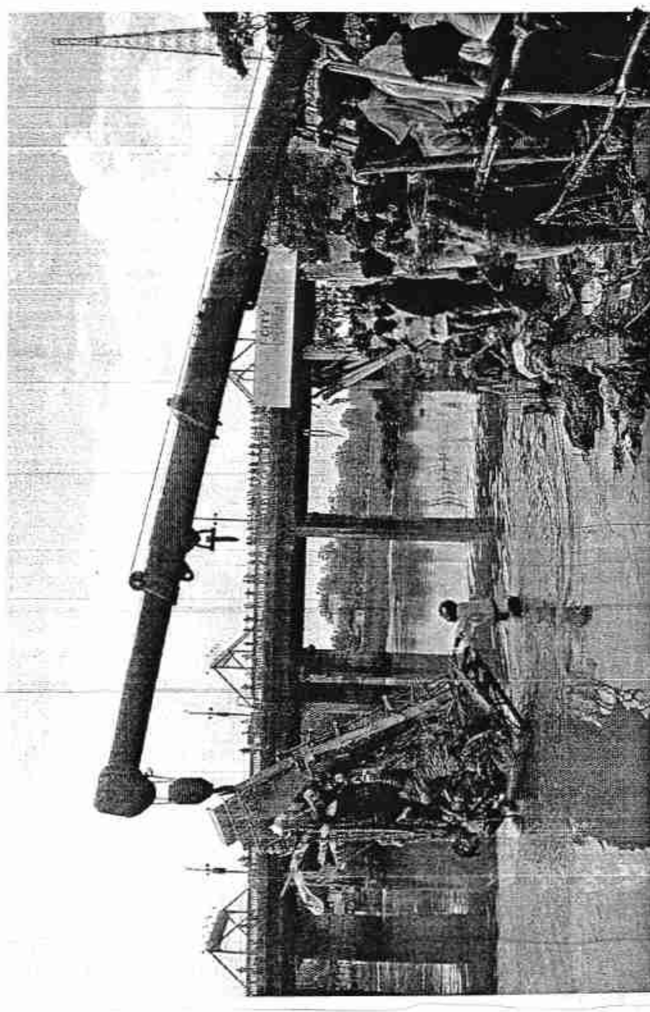

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ0ग0)

क्रमांक 643 / स्वा.वि. / मूर्ति विस. / न.पा.नि. / 2019 रायगढ़, दिनांक 14/11/19

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :– दुर्गा मूर्ति विसर्जन वर्ष 2019 के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा नि. स्थान पर मूर्तियों का विसर्जन करने हेतु समस्त गणेश / दुर्गा पंडालों कमेटी को सूचित किया गया एवं उन लोगों को नदी के पानी प्रदूषण बावत उसका साइड एफेक्ट के बारे में मूर्ति बनाने में प्राकृतिक मिट्टी, बास, प्राकृतिक मटेरियल से बनाने के लिए निर्देशित किया गया।

दुर्गा मूर्ति का विसर्जन स्थान चक्रपथ भगतसिंह ब्रिज के पास (मेरिन ड्राईव) पर किया गया है। मूर्तियों का पूजा सामग्री फूल, कपड़ा, कागज एवं अन्य सामग्री अलग कर मूर्ति विसर्जन के पश्चात शेष अवशेषों को निर्धारित स्थान से बाहर निकालकर रामपुर ट्रैचिंग ग्राउण्ड में ट्रेक्टर ट्राली के माध्यम से डिस्पोज किया गया। मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ–सफाई करा ली गई है।

संलग्न - 03 नग फोटोग्राफ

14/11/19
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. 643 / स्वा.वि. / मूर्ति विस. / न.पा.नि. / 2019 रायगढ़, दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, रायगढ़ को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

14/11/19
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

SSO

Sat singh

9/12

19 NOV 2019

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, छत्तीसगढ़

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 एवं स्टार रेटिंग की तैयारियों के संबंध में

प्रपत्र – 23

क्रमांक		निकाय की जानकारी
01	अंतिम वर्ष की स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 रैंक	(राज्य में–08 रैक) (ओवर ऑल 42 रैक)
02	इस वर्ष के तैयारियों अनुरूप अनुमानित रैंक	(राज्य में–01 रैक) (ओवर ऑल टॉप 10 रैक में)
03	अंतिम वर्ष का स्टार रेटिंग की रेंटिग	2 स्टार
04	इस वर्ष के तैयारियों अनुरूप अनुमानित स्टार रेटिंग	3 स्टार
05	वॉल पेंटिंग किये गये कुल स्थानों की संख्या	निरंक
06	निकाय में रहवासी क्षेत्र की संख्या	48
07	प्रातः स्वीपिंग किये जाने वाले रहवासी क्षेत्रों की संख्या	48
08	निकाय में चिन्हाकित किये गये कुल जी.वी.पी. की संख्या जिन्हें अद्यतन रूपांतरित नहीं किया गया	0
09	सी.एन.डी. सेन्टर में निर्मित सामग्री से प्राप्त कुल राशि	निरंक
10	शहर में सफाई की गई कुल नालियों की संख्या	लगभग 475
11	सफाई की गई नालियों में से कुल जाली लगाई गई नालियों की संख्या	06
12	तालाबों की संख्या जिनमें सफाई का कार्य शेष है।	निरंक
13	निकाय में स्वीकृत कमांडो की संख्या में से कितने पद रिक्त है	25 रिक्त है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

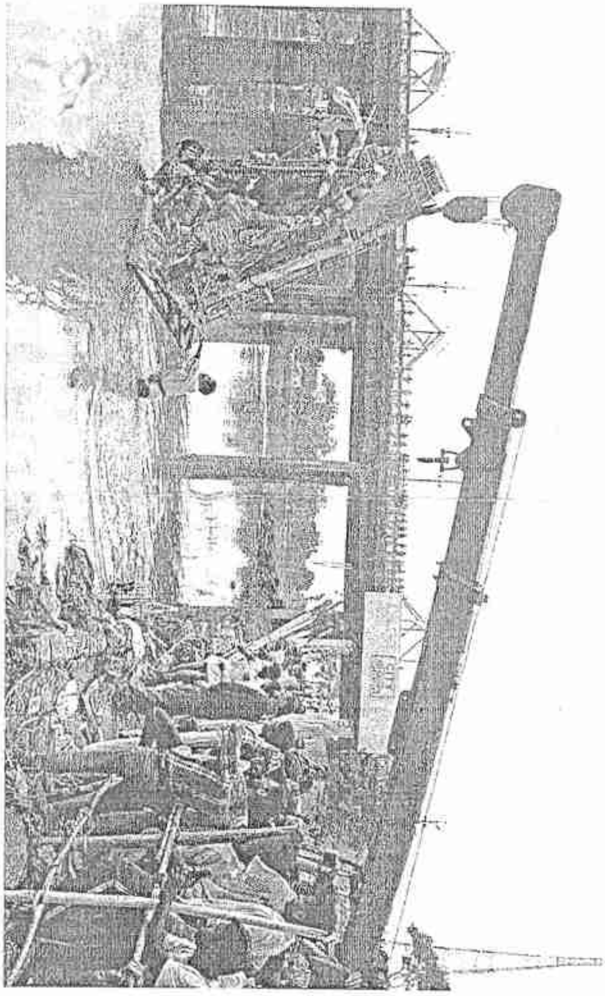

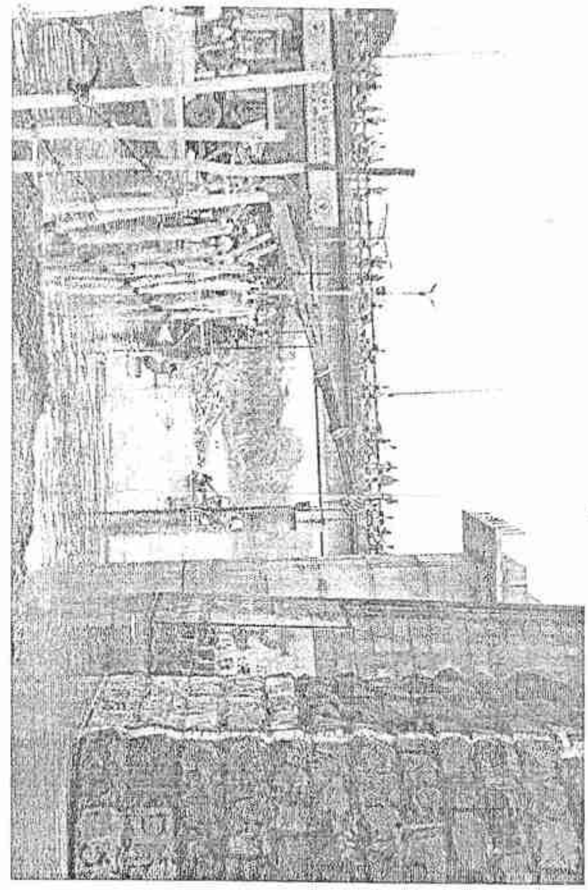

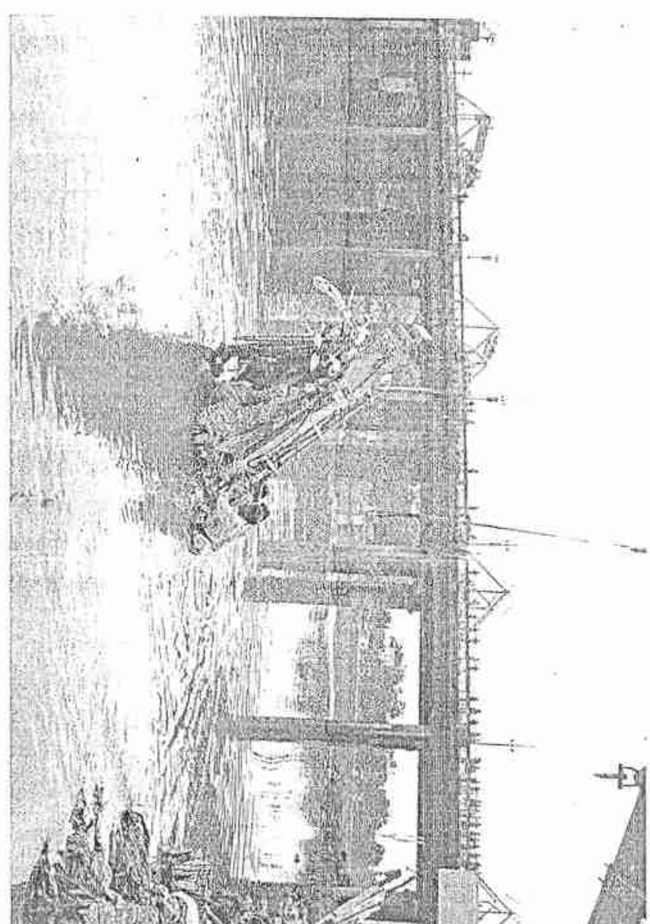

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
टी.व्ही.टॉवर रोड, रायगढ़ (छ.ग.)

Email ID: roraigarh.cecb@gmail.com, Ph. No. 07762-226569

जावक क्र. /वैज्ञा./पर्या.सं.मं./2019 रायगढ़ दिनांक ....

11290
30/10/19

प्रति,

1. आयुक्त,
   नगर पालिक निगम रायगढ़
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद – सारंगढ़/खरसिया/जशपुर नगर
3. नगर पंचायत– पुसौर/सरिया/किरोड़ीमल नगर/लैलूंगा/बरमकेला/घरघोड़ा/ धरमजयगढ़/पत्थलगांव/कोतबा/बगीचा/कुनकुरी
   जिला – रायगढ़/जशपुर (छ.ग.)

विषय :– मूर्तियों के विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी बाबत्।

संदर्भ :– 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 742 दिनांक 22.08.2019.
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 820 दिनांक 06.09.2019.
3. मण्डल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 5238 दिनांक 23.09.2019.

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। छायाप्रति संलग्न है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के निर्देश/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार मूर्ति विसर्जन यथा गणेशोत्सव एवं दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही, के संदर्भ में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली को जानकारी प्रेषित की जानी है। मूर्ति विसर्जन के दौरान गाइड लाईन का पालन, **डी.जे. का उपयोग न करने, मूर्ति विसर्जन केवल विसर्जन कुण्ड में करने/चिन्हित स्थान में करने एवं विसर्जन के पश्चात घाट का सफाई कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।**

आप अपने क्षेत्र में मूर्तियों के विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। इस हेतु शहर में निर्मित/निर्माणाधीन अस्थाई कुण्डों की प्रगति से शीघ्र इस कार्यालय को अवगत करावें। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल द्वारा समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर फोटोग्राफ्स सहित पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें। निर्देश का पालन नहीं किये जाने की दशा में बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाई की जायेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकायों की होगी। **इसे अति आवश्यक समझा जावे एवं प्राथमिकता से कार्यवाही की जावे।**

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,रायगढ़ (छ.ग.)
रायगढ़ दिनांक 03/10/19

पृ. क्र. 940 /वैज्ञा./पर्या.सं.मं./2019

प्रतिलिपि :–

सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ (छ.ग.)

D:\Yogi\MINAR_REPORT_\Murti vishrjan\ Murti visharjan 2019

22 OCT 2019

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर--19,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) 492002
ई--मेल-- hocecb@gmail.com

क्र 2228 दि 28/9/19

क्रमांक 5238/मुख्या./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2019 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/9/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर / बिलासपुर / रायगढ़ / दुर्ग–भिलाई / अंबिकापुर / कोरबा / जगदलपुर (छ.ग.)

विषय :– मूर्ति के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विभिन्न विपरीत प्रभावों के रोकथाम एवं मूर्ति विसर्जन के पूर्व एवं पश्चात जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट के भेजने के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत।

संदर्भ :– 1. मंडल मुख्यालय का पृ. पत्र कमांक 3895 दिनांक 30.07.2019
2. मंडल मुख्यालय का पृ. पत्र कमांक 3897 दिनांक 30.07.2019
3. क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य) भोपाल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त ई–मेल दिनांक 05.09.2019

----:00:----

कृपया उपरोक्त संदर्भित ई–मेल से प्राप्त पत्र के अनुसार आप अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी नगरीय निकायों को मूर्ति विसर्जन के दौरान गाईड लाईन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने, डी.जे. का उपयोग न करने, मूर्ति विसर्जन केवल विसर्जन कुंड में करने/चिन्हित स्थान में करने एवं विसर्जन के पश्चात घाट का सफाई कार्य सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर मंडल मुख्यालय को अवगत करावें।

संलग्न :-- उपरोक्तानुसार।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

SCRE A 4507
26/9/19

My Computer/Local Disk (E)/general/Letter Chief Chemist

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ0ग0)

क्र. 542 / स्वा.वि. / न.पा.नि. / 2019, रायगढ़ दिनांक 03.10.19

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायगढ़,(छ0ग0)

1317
30/10/19

विषयः— गणेश मूर्ति विसर्जन वर्ष 2019 के सम्बध में।

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पाकिक निगम रायगढ़ द्वारा निर्धारित स्थान पर मूर्तियों का विसर्जन करने हेतु समस्त गणेश / दुर्गा पंडालो कमेटी को सूचित किया गया एवं उन लोगो को नदी के पानी प्रदूषण बावत उसका साइड एफेक्ट के बारे में मूर्ति बनाने में प्राकृतिक मिट्‌टी, बास,प्राकृतिक मटेरियल से बनाने के लिए निर्देशित किया गया।

गणेश मूर्ति का विसर्जन स्थान चक्रपथ भगतसिंह ब्रिज के पास (मेरिन ड्राईव) पर किया गया है। मूर्तियों का पूजा सामग्री फूल, कपड़ा, कागज एवं अन्य सामग्री अलग कर मूर्ति विसर्जन के पश्चात शेष अवशेषों को निर्धारित स्थान से बाहर निकालकर रामपुर ट्रैचिंग ग्राउण्ड में ट्रेक्टर ट्राली के माध्यम से डिस्पोज किया गया। मूर्ति विसर्जन स्थल की साफ — सफाई करा ली गई है।

आयुक्त 3/X/19
नगर पालिक निगम
रायगढ़,(छ0ग0)

पृ. क्र. 542 / स्वा.वि. / मूर्ति.विस. / 2019, रायगढ़ दिनांक 03.10.19

प्रतिलिपि :—

1. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, रायगढ़ को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

S.S.O.

22 OCT 2019

4/11/19

आयुक्त 3/X/19
नगर पालिक निगम
रायगढ़,(छ0ग0)

संलग्नक-7

HO C.G. Environment Conservation Board
13519
10/12/19

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, अंबिकापुर (छ.ग.)
e-mail : rocecbamk@gmail.com

क्रमांक– 1648/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 अंबिकापुर, दिनांकः 03/12/2019

प्रति,

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,
मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19
नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय– मूर्ति के विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी बावत् ।

संदर्भ– मण्डल मुख्यालय का पत्र क्र. 7621 दिनांक 28/11/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा दुर्गोत्सव पर्व के अवसर पर चिन्हांकित स्थल मूर्ति विसर्जन के पूर्व दिनांक 05.10.2019, मूर्ति विसर्जन के दौरान दिनांक 09.10.2019 एवं मूर्ति विसर्जन के पश्चात् दिनांक 11.10.2019 को मूर्ति विसर्जन स्थल एवं मूर्ति विसर्जन स्थल से लगभग 01 किमी. की दूरी पर बांक नदी शंकरघाट, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा के एकत्रित जल नमूनो के विश्लेषण परिणाम कृपया संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अंबिकापुर

Sat. Singh
11/12

C:\Users\user\Desktop\Murti Visharjan 2019\Durga Puja Murtivisorjan 2019.doc

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
Kanya Parisar Road, Near Govt. Aayurvedic Hospital, Namnakala Gangapur, Ambikapur (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected from: **Bank River, Shankarghat Ambikapur, Distt.- Surguja (C.G.)** **Analysis No. 1859**

Discription : of Sample
[1] Bank River Water from approx. 100 m up stream from th immersion spot.
[2] Bank River Water from the immersion spots near Shankarghat, Ambikapur.
[3] Bank River Water Approx 01 Km. down stream from the immersion spots.

Sample collected by:– **R.K. Singh (Chemist)** Date of Sample collection – 05,09,11/10/2019
Analysed by :- **R.K. Singh (Chemist)** Date of Sample Analysis – 14/10/2019
At M/s Maa Mahamaya Sahkari Sakkar Karkhana Ltd., Vill.- Kerta, Teh.- Pratappur, Distt.- Surajpur (C.G.).

Sl. No.	Parameters	Unit	Bank River Water Approx 100m. U/S from the immersion spots			Bank River Water from the immersion spots Near Shankarghat, Ambikapur			Bank River Water Approx 01 Km. D/S from the immersion spots		
			Pre-Immersion 05.10.2019	During Immersion 09.10.2019	After Immersion 11.10.2019	Pre-Immersion 05.10.2019	During Immersion 09.10.2019	After Immersion 11.10.2019	Pre-Immersion 05.10.2019	During Immersion 09.10.2019	After Immersion 11.10.2019
01	Appearance	-	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid	S. Turbid
02	Odour	Threshold No.	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
03	pH	pH Unit	7.21	7.14	7.68	7.63	8.22	7.81	7.46	7.96	7.66
04	Total Solids	Mg/L	408.0	458.0	414.0	418.0	465.0	428.0	412.0	460.0	420.0
05	Dissolved Solids	Mg/L	352.0	390.0	352.0	360.0	391.0	358.0	352.0	382.0	346.0
06	Suspended Solids	Mg/L	56.0	68.0	62.0	58.0	74.0	70.0	60.0	78.0	74.0
07	Dissolved Oxygen	Mg/L	5.0	5.5	5.3	5.2	5.6	5.4	5.1	5.4	5.0
08	B.O.D. (3 days 27^0c)	Mg/L	1.8	2.2	2.0	1.9	2.1	1.8	2.0	2.1	1.9
09	C.O.D.	Mg/L	16.0	20.0	18.0	18.0	20.0	16.0	18.0	20.0	18.0

ANALYSED BY **CHEMIST** **REGIONALOFFICER**

Date 05.10.2019 Before Immersion
Bank River, Shankarghat, Ambikapur

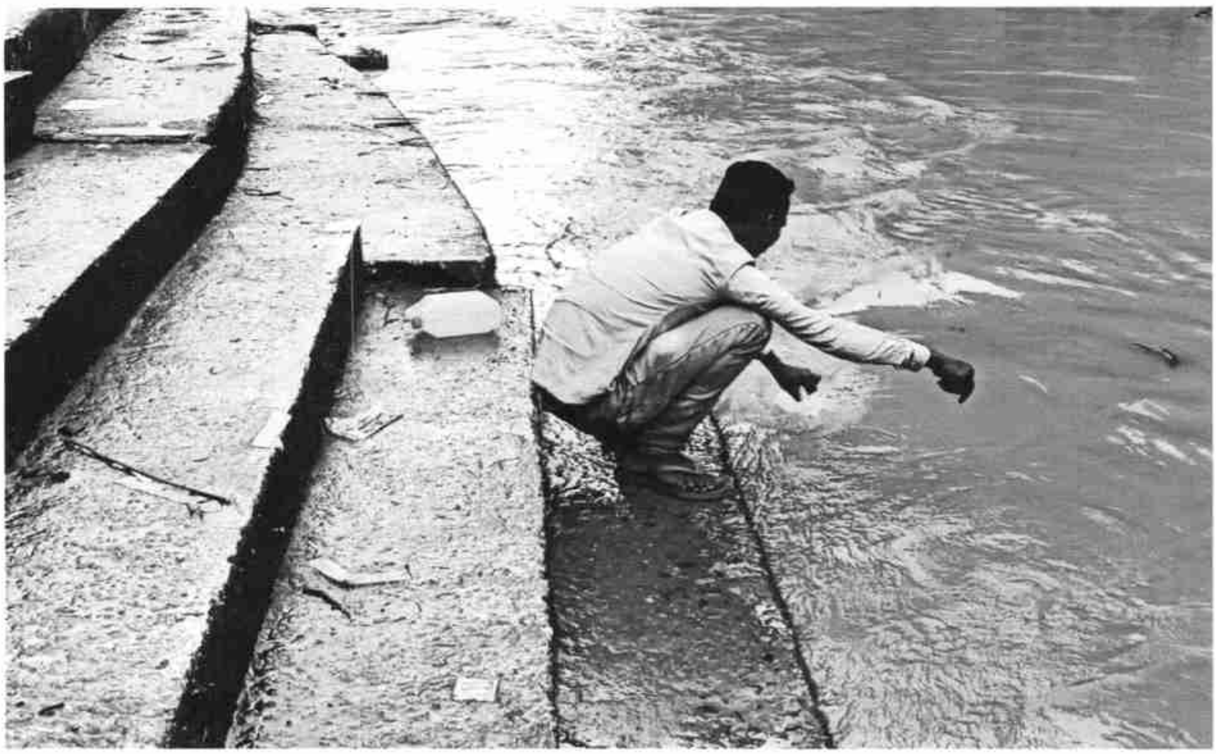

Date 09.10.2019 During Immersion
Bank River, Shankarghat, Ambikapur

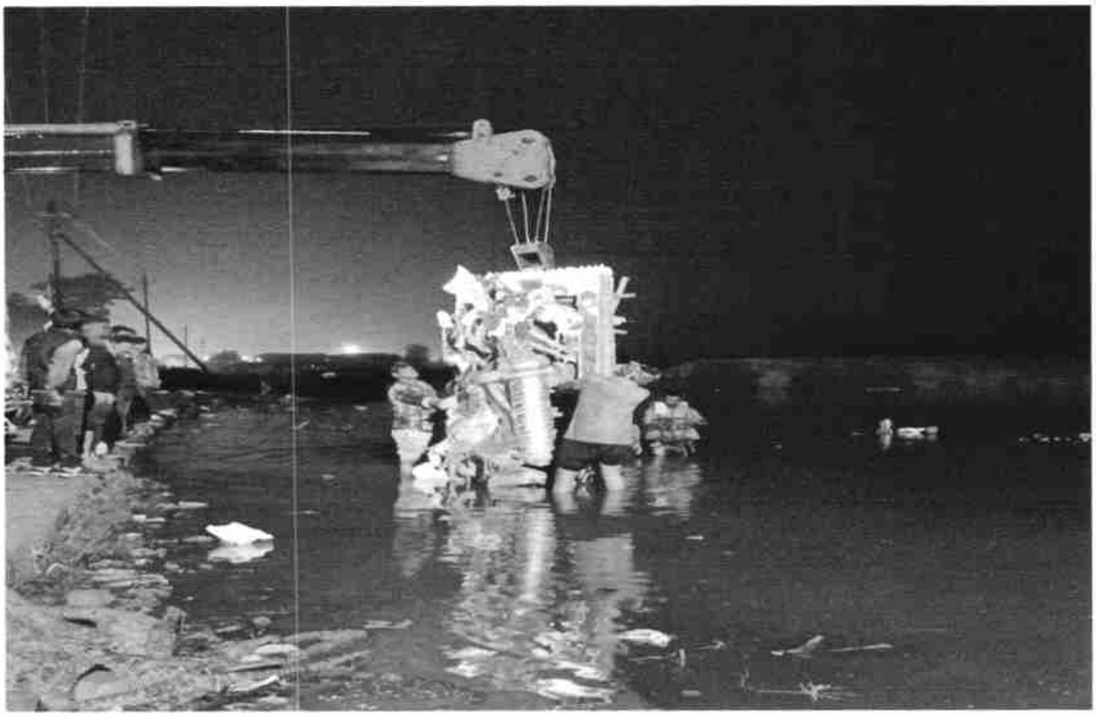

Date 11.10.2019 After Immersion
Bank River, Shankarghat, Ambikapur

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, अंबिकापुर (छ.ग.)
e-mail : rocecbamk@gmail.com

14684
2/1/2020

क्रमांक– 1762/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 अंबिकापुर, दिनांक: 27/12/19

प्रति,

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,
मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19
नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय– मूर्ति के विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी बावत् ।

संदर्भ– मण्डल मुख्यालय का पत्र क्र. 2439 दिनांक 27/08/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा गणेश उत्सव पर्व के अवसर पर चिन्हांकित स्थल मूर्ति विसर्जन के पूर्व दिनांक 07.09.2019, मूर्ति विसर्जन के दौरान दिनांक 12.09.2019 एवं मूर्ति विसर्जन के पश्चात् दिनांक 15.09.2019 को मूर्ति विसर्जन स्थल के 100 मीटर पहले, मूर्ति विसर्जन स्थल एवं मूर्ति विसर्जन स्थल से लगभग 01 किमी. की दूरी पर बांक नदी शंकरघाट, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा के एकत्रित जल नमूनो के विश्लेषण परिणाम कृपया संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

Chemist
31/1/20

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अंबिकापुर

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
Kanya Parisar Road, Near Govt. Aayurvedic Hospital, Namnakala Gangapur, Ambikapur (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected from: **Bank River, Shankarghat Ambikapur, Distt.- Surguja (C.G.)** **Analysis No. 1849**

Discription : of Sample
[1] Bank River Water from approx. 100 m up stream from th immersion spot.
[2] Bank River Water from the immersion spots near Shankarghat, Ambikapur.
[3] Bank River Water Approx 01 Km. down stream from the immersion spots.

Sample collected by:– **R.K. Singh (Chemist)** Date of Sample collection – 07,12,15/09/2019
Analysed by :- **R.K. Singh (Chemist)** Date of Sample Analysis – 16/09/2019
At M/s Maa Mahamaya Sahkari Sakkar Karkhana Ltd., Vill.- Kerta, Teh.- Pratappur, Distt.- Surajpur (C.G.).

No	Parameters	Unit	Bank River Water Approx 100m. U/S from the immersion spots			Bank River Water from the immersion spots Near Shankarghat, Ambikapur			Bank River Water Approx 01 Km. D/S from the immersion spots		
			Pre-Immersion 07.09.2019	During Immersion 12.09.2019	After Immersion 15.09.2019	Pre-Immersion 07.09.2019	During Immersion 12.09.2019	After Immersion 15.09.2019	Pre-Immersion 07.09.2019	During Immersion 12.09.2019	After Immersion 15.09.2019
1	Appearance	-	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid	Turbid
2	Odour	Threshold No.	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless	Odourless
3	pH	pH Unit	7.32	7.62	7.48	7.34	7.85	7.63	7.41	7.67	7.45
4	Total Solids	Mg/L	418.0	448.0	424.0	432.0	475.0	440.0	430.0	458.0	420.0
5	Dissolved Solids	Mg/L	344.0	366.0	346.0	352.0	387.0	356.0	360.0	376.0	336.0
6	Suspended Solids	Mg/L	74.0	82.0	78.0	80.0	88.0	84.0	70.0	82.0	76.0
	Dissolved Oxygen	Mg/L	5.0	5.6	5.3	5.2	5.5	5.3	5.2	5.4	5.0
	B.O.D. (3 days 27°c)	Mg/L	1.9	2.2	2.1	1.9	2.2	1.8	2.0	2.2	1.9
9	C.O.D.	Mg/L	16.0	20.0	18.0	16.0	20.0	16.0	18.0	20.0	16.0

ANALYSED BY **CHEMIST** **REGIONALOFFICER**

Date 07.9.2019 Before Immersion
Bank River, Shankarghat, Ambikapur

Date 12.09.2019 During Immersion
Bank River, Shankarghat, Ambikapur

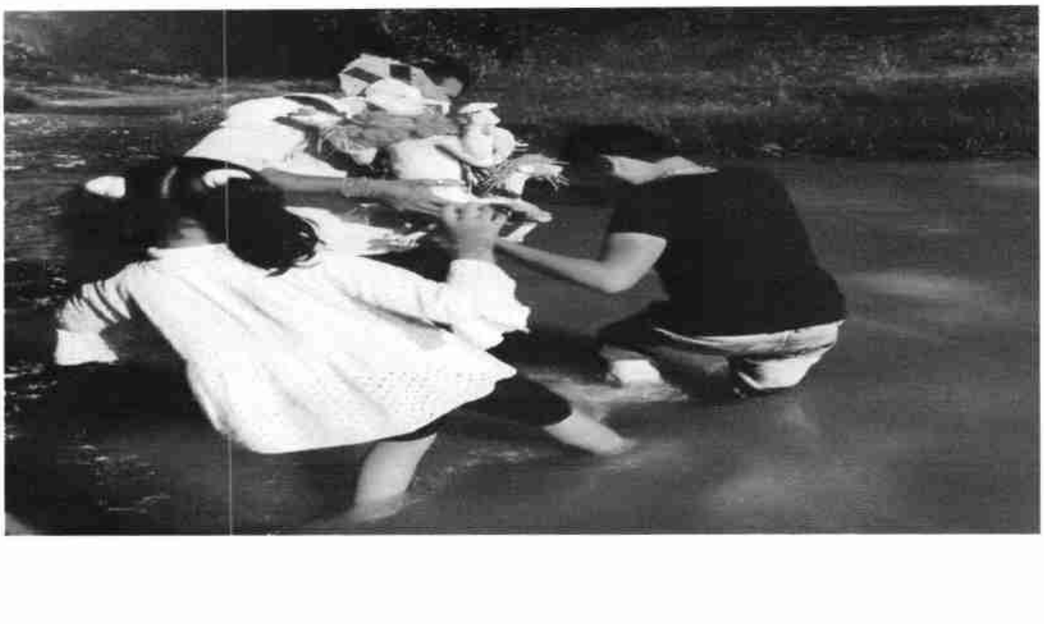

Date 15.09.2019 After Immersion
Bank River, Shankarghat, Ambikapur

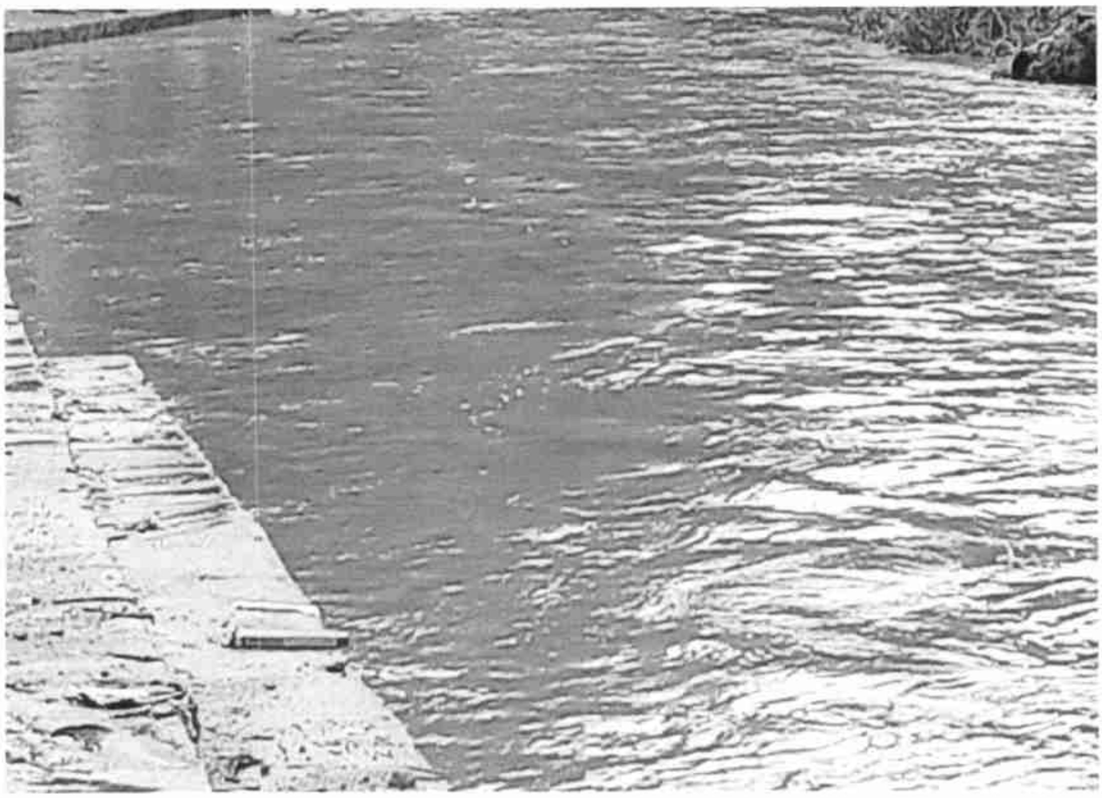

क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

बैंक कालोनी, बी.टी. आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)
e-mail: rocecbamk@gmail.com

8845
22/8/19

क्रमांक– /क्षे.का. /छ.ग.प.सं.मं. /2019 अंबिकापुर /दिनांक

प्रति,

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा
2. आयुक्त नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला–कोरिया
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैकुंठपुर /शिवपुरचर्चा, जिला–कोरिया
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, खोंगापानी, झगराखण्ड एवं नई लेदरी, जिला–कोरिया
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत–सीतापुर एवं लखनपुर, जिला–सरगुजा
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी–नगरपंचायत–बिश्रामपुर /प्रेमनगर /भटगांव /जरही एवं प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी–नगरपंचायत–वाड्रफनगर /रामानुजगंज /बलरामपुर /कुसमी एवं राजपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज

विषय– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश बावत् ।

संदर्भ– मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्र. 3897, दिनांक 30.07.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता प्रभावित होती है। जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की छायाप्रति पूर्व मे भेजी गई थी। गाईड लाईन के मुख्य बिंदु निम्नानुसार है :–

1. नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉण्ड /बन्ड /अस्थाई पॉण्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जायें तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सकें। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉण्ड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।
2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि मे किया जा सकता है।
3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।
4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे मे अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगो का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जावे।
5. मूर्ति विजर्सन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिन्थेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू–भराव इत्यादि मे किया जावे।

C.C.

6. यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिसर एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जाये।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में पूर्व में भी प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 236 दिनांक 16/09/2015 के माध्यम से सभी जिलाध्यक्षों को एवं मंडल मुख्यालय के पत्र क्र. 2135 दिनांक 11/07/2016 के माध्यम से संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर को पत्र लिखा गया है। मूर्तियों का विसर्जन केवल अस्थाई कुण्डों में ही किया जाये। कृपया गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1058 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 अंबिकापुर/दिनांक: 08/8/19

प्रतिलिपि–

1 सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2 कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर–सरगुजा/सूरजपुर/कोरिया/बलरामपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3 संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर

C:\Users\user\Documents\Murtivisorgan2016.docx

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, अंबिकापुर (छ.ग.)
e-mail: roceebamk@gmail.com

क्रमांक– /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 अंबिकापुर/दिनांकः

प्रति,

1 आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा
2 आयुक्त नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला–कोरिया
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैकुंठपुर/शिवपुरचर्चा, जिला–कोरिया
4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, खोंगापानी, झगराखण्ड एवं नई लेदरी, जिला–कोरिया
5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर
6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया
7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत–सीतापुर एवं लखनपुर, जिला–सरगुजा
8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी–नगरपंचायत–बिश्रामपुर/प्रेमनगर/भटगांव/जरही एवं प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर
9 मुख्य कार्यपालन अधिकारी–नगरपंचायत–वाड्रफनगर/रामानुजगंज/बलरामपुर/कुसमी एवं राजपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज

विषय– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश बावत् ।

संदर्भ–1 मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्र. 3897, दिनांक 30.07.2019
2 इस कार्यालय का पत्र क्र. 1057, दिनांक 08.08.2019
3. मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्र. 4439, दिनांक 27.08.2019
4. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1179, दिनांक 30.08.2019
5. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1259, दिनांक 13.09.2019
6. मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्र. 5238, दिनांक 23.09.2019

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो लेख है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता प्रभावित होती है। जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेष उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की छायाप्रति पूर्व मे भेजी गई थी। गाईड लाईन के मुख्य बिंदु निम्नानुसार है :–

1 **नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉण्ड/बन्ड/अस्थाई पॉण्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जायें** तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सकें। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉण्ड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।

2 विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि मे किया जा सकता है।

3 वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।

क्रमशः....... /2

4 स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे मे अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगो का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जावे।

5 मूर्ति विजर्सन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिन्थेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूर्ति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू–भराव इत्यादि मे किया जावे।

H.O. C.G. Environment Conservation Board, Atal Nagar, Distt.-Raipur (C.G.) 10541 11/10/19

6 यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिसर एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जाये। **मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो**, सुनिश्चित किया जाये।

7 उत्सव के दौरान गाईड–लाईन के अनुसार डी.जे. का उपयोग न करने संबंधी निर्देश प्राप्त है तदानुसार नियम का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय समय पर आदेष जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में पूर्व में भी प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 236 दिनांक 16/09/2015 के माध्यम से सभी जिलाध्यक्षों को एवं मंडल मुख्यालय के पत्र क्र. 2135 दिनांक 11/07/2016 के माध्यम से संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर को पत्र लिखा गया है। **मूर्तियों का विसर्जन केवल अस्थाई कुण्डों में ही किया जाये।** कृपया गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

क्षेत्रीय अधिकारी
अंबिकापुर/दिनांक: 24/9/19

पृ. क्रमांक 1313 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019
प्रतिलिपि–

1 सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2 कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर–सरगुजा/सूरजपुर/कोरिया/बलरामपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3 संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर

550
5/10

क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, अंबिकापुर (छ.ग.)

e-mail: rocecbamk@gmail.com

क्रमांक— /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 अंबिकापुर/दिनांक:

प्रति,

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर, जिला—सरगुजा
2. आयुक्त नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला—कोरिया
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैकुंठपुर/शिवपुरचर्चा, जिला—कोरिया
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, खोंगापानी, झगराखण्ड एवं नई लेदरी, जिला—कोरिया
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद—सूरजपुर, जिला—सूरजपुर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद—मनेन्द्रगढ़, जिला—कोरिया
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत—सीतापुर एवं लखनपुर, जिला—सरगुजा
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी—नगरपंचायत—बिश्रामपुर/प्रेमनगर/भटगांव/जरही एवं प्रतापपुर, जिला—सूरजपुर
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी—नगरपंचायत—वाड्रफनगर/रामानुजगंज/बलरामपुर/कुसमी एवं राजपुर, जिला—बलरामपुर—रा.गंज

विषय— मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश बावत् ।

संदर्भ—1 मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्र. 3897, दिनांक 30/07/2019

2 इस कार्यालय का पत्र क. 1057 दिनांक 08/08/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क. 2 का अवलोकन हो। लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के निर्देश/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार मूर्ति विसर्जन कराया जाना था। जिससे जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम की जा सके। उक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा आपको समय समय पर अवगत कराया गया है। आशा है कि आपके निकाय क्षेत्र में गाईड लाईन मे उल्लेखित निर्देशों के पालन के संबंध में कार्यवाही की गई है। उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही की जिसमें मूर्ति विसर्जन के बाद विसर्जन स्थल की फोटोग्राफ्स एवं विसर्जन स्थल से मूर्तियों के अवशेषों एवं अन्य बिखरी सामग्रियो की सफाई कराकर जानकारी इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें।

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1260/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 अंबिकापुर/दिनांक: 13/9/19

प्रतिलिपि—

1. सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर—सरगुजा/सूरजपुर/कोरिया/बलरामपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, अंबिकापुर (छ.ग.)
e-mail: rocecbamk@gmail.com

H.O.C.C. Environment Conservation Board, Atal Nagar, Dist.-Raipur (C.G.) 10540 11/10/19

क्रमांक– /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 अंबिकापुर/दिनांक:

प्रति,

1 आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा
2 आयुक्त नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला–कोरिया
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैकुंठपुर/शिवपुरचर्चा, जिला–कोरिया
4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, खोंगापानी, झगराखण्ड एवं नई लेदरी, जिला–कोरिया
5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर
6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया
7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत–सीतापुर एवं लखनपुर, जिला–सरगुजा
8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी–नगरपंचायत बिश्रामपुर/प्रेमनगर/भटगांव/जरही एवं प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर
9 मुख्य कार्यपालन अधिकारी–नगरपंचायत–वाड्रफनगर/रामानुजगंज/बलरामपुर/कुसमी एवं राजपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज

विषय– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम हेतु मूर्तियों के विसर्जन स्थल पर बिखरे हुए अपशिष्टों की साफ सफाई के संबंध में।

संदर्भ– मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्र. 5238, दिनांक 23.09.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के निर्देश/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार मूर्ति विसर्जन कराया जाना था। जिससे जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम की जा सके। **मूर्तियों का विसर्जन केवल अस्थाई कुण्डों में ही किया जाये।** उक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा आपको समय समय पर अवगत कराया गया है। आशा है कि आपके निकाय क्षेत्र में गाईड लाईन में उल्लेखित निर्देशों के पालन के संबंध में कार्यवाही की गई है। उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही की जिसमें मूर्ति विसर्जन के बाद विसर्जन स्थल की फोटोग्राफ्स एवं विसर्जन स्थल से मूर्तियों के अवशेषों एवं अन्य बिखरी सामग्रियो की सफाई कराकर जानकारी सहित साफ–सफाई किये जाने का प्रमाण पत्र जिसमें कम से कम तीन गणमान्य नागरिकों एवं स्थानीय पार्षद के हस्ताक्षर हों। इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें। ताकि प्राप्त जानकारी संकलित कर समय सीमा में मुख्यालय को प्रेषित की जा सकें।

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1315 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 अंबिकापुर/दिनांक: 24/9/19

प्रतिलिपि–

1 सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2 संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर

C:\Users\user\Documents\SKD\tiwari sir\MURTI VISERJAN\Murtivisorgan2019.docx

क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

बैंक कालोनी, बी.टी. आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)
e-mail: roccebamk@gmail.com

क्रमांक– /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 अंबिकापुर/दिनांक

9341
16/9/19

प्रति,

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा
2. आयुक्त नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला–कोरिया
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैकुंठपुर/षिवपुरचर्चा, जिला–कोरिया
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, खोंगापानी, झगराखण्ड एवं नई लेदरी, जिला–कोरिया
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत–सीतापुर एवं लखनपुर, जिला–सरगुजा
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी–नगरपंचायत–बिश्रामपुर/प्रेमनगर/भटगांव/जरही एवं प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी–नगरपंचायत–वाड्रफनगर/रामानुजगंज/बलरामपुर/कुसमी एवं राजपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज

विषय– मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश बावत् ।

संदर्भ–1 मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्र. 3897, दिनांक 30.07.2019
2 मण्डल मुख्यालय, रायपुर का पृ. पत्र क्र. 4439, दिनांक 27.08.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता प्रभावित होती है। जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव–जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गोत्सव पर्व पर जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन की छायाप्रति पूर्व मे भेजी गई थी। गाईड लाईन के मुख्य बिंदु निम्नानुसार है :–

1. **नदी और तालाब में विसर्जन के लिए विसर्जन पॉण्ड/बन्ड/अस्थाई पॉण्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुयें इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जायें** तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सकें। सभी प्रमुख शहरों में पृथक से आवश्यक सुविधा के साथ विसर्जन पॉण्ड, पहुँच मार्ग सहित बनाने हेतु पूर्व से ही निर्देश दिये गये हैं, जिन्हे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना है।

2. विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामग्री, फूल कपडे, प्लास्टिक पेपर आदि को सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि मे किया जा सकता है।

3. वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित है।

4. स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन स्थल की व्यवस्था विसर्जन से कुछ समय पूर्व किया जाकर आम लोगों को स्थल के बारे मे अवगत कराना, छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगो का उपयोग किया जायें। मूर्ति निर्माण में सिन्थेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न किया जावे।

क्रमशः....... /2

5. मूर्ति विजर्सन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व से ही चिन्हांकित विसर्जन स्थल पर नीचे सिन्थेटिक लाईनर की व्यवस्था की जाये तथा विसर्जन के उपरांत उक्त लाईनर, विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे कि मूति विसर्जन के पश्चात् उसका अवशेष बाहर निकाला जा सके। बास, लकड़ियां पुर्नउपयोग की जावें एवं मिट्टी को भू–भराव इत्यादि मे किया जावे।

6. यह कि मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाये। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिसर एवं बेक्ड क्ले के उपयोग न किया जाये। मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो, सुनिश्चित किया जाये।

उल्लेखनीय है कि मूर्तियों का विसर्जन किये जाने के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर गाईड लाईन के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन किये जाने एवं इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था समय के पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में पूर्व में भी प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 236 दिनांक 16/09/2015 के माध्यम से सभी जिलाध्यक्षों को एवं मंडल मुख्यालय के पत्र क्र. 2135 दिनांक 11/07/2016 के माध्यम से संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर को पत्र लिखा गया है। **मूर्तियों का विसर्जन केवल अस्थाई कुण्डों में ही किया जाये।** कृपया गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1180/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2019 अंबिकापुर/दिनांक: 30/8/19

प्रतिलिपि–

1. सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर–सरगुजा/सूरजपुर/कोरिया/बलरामपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित।

S.S.O.

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर